

1975-76
336.54
A425R

राष्ट्रीय अभिलेखागार पुस्तकालय
NATIONAL ARCHIVES LIBRARY

भारत सरकार
Government of India

नई दिल्ली
New Delhi

आह्वानांक Call No. 336.54 A125R

अवधि सं० Acc. No. 129456

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

वर्ष 1975-76 के लिए

संघ सरकार (सिविल)

राजस्व प्राप्तियां

खंड I

अप्रत्यक्ष कर




Lib 119/78 184

1570
प्राचिन साहित्य संग्रहालय
Acc. No. 129456
दि. 9/1/79
National Archive Library

के. ए. ए.
साहित्य संग्रहालय
दिल्ली

पुस्तक सं. 336.54
A425R

पुस्तक सं. 336.54
A425R



विषय-सूची

	संदर्भ	
	पैरा	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणी		(ii)
अध्याय		
I. सीमा शुल्क प्राप्तियां	1-22	1-37
II. संघ उत्पाद शुल्क	23-104	38-127
III. अन्य राजस्व प्राप्तियां	105-122	128-143

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

गत वर्ष की भांति, वर्ष 1975-76 के लिए संघ सरकार का राजस्व प्राप्तियां (सिविल) का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दो खण्डों में प्रस्तुत किया जाता है—एक खण्ड अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित है और दूसरा प्रत्यक्ष करों से ।

इस खण्ड में अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा के परिणाम दिए जाते हैं । यह प्रतिवेदन निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया गया है :—

अध्याय I में सीमा शुल्क राजस्व के वास्तविक आंकड़े और इन प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा विभाग द्वारा देखी गई ध्यान देने योग्य बातों का उल्लेख किया गया है ;

अध्याय II में इसी प्रकार संघ उत्पाद शुल्क की प्राप्तियों का उल्लेख किया गया है ;

अध्याय III में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के विक्रय कर, मनोरंजन कर और स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्री फीस से सम्बन्धित प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम दिए गए हैं ।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित बातें वे हैं जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आई हैं । उनका अभिप्राय सम्बन्धित विभागों के कार्य-चालन पर किसी प्रकार का सामान्य आक्षेप व्यक्त करना नहीं है और न ही उनका यह अर्थ समझा जाए ।

खण्ड I

अध्याय-I

सीमा शुल्क प्राप्तियां

1. 1974-75 और 1975-76 के दौरान मुख्य शीर्ष 037—
सीमा शुल्क के नीचे प्रत्येक लघु शीर्ष के अंतर्गत वापसियों* और फिरतियों*
को घटाने के पश्चात् कुल निवल प्राप्तियां नीचे दी गई हैं :—

	1974-75	1975-76
	र०	र०
सीमा शुल्क आयात .	11,87,91,67,298	13,04,14,42,056
सीमा शुल्क निर्यात .	83,38,93,550	69,73,28,516
निर्यात पर उपकर .	23,50,51,980	5,58,53,326
अन्य प्राप्तियां .	38,09,04,650	39,94,21,449
	13,32,90,17,478	14,19,40,45,347

ऐसा देखने में आयेगा कि लघु शीर्ष “आयात” और “अन्य प्राप्तियां” के अंतर्गत 1974-75 की तुलना में 1975-76 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि हुई है। परन्तु लघु शीर्ष “निर्यात” और “निर्यात पर उपकर” के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी हुई है।

लघु शीर्ष “निर्यात पर उपकर” के अंतर्गत हुई कमी का कारण यह तथ्य था कि 1974-75 में लघु शीर्ष “आयात” से संबंधित 19.67 करोड़ रु० की राशि शीर्ष “निर्यात पर उपकर” के अंतर्गत दर्ज कर दी गई थी जबकि लघु शीर्ष “आयात” के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी अधिकांशतः चार वस्तुओं पर निर्यात शुल्क समाप्त किए जाने के कारण हुई

*वापसियां 45,65,32,239 रु०

*फिरतियां 33,27,83,951 रु०

बताई गई थी जिसे दो वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाकर आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित कर दिया गया था ।

1975-76 के बजट में सीमा शुल्क टैरिफ दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया था । परन्तु नान-फेरस धातुओं की अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य-प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, तांबे पर प्रतिकारी शुल्क में 3500 रु० प्रति दशमिक टन की और जस्त पर 2125 रु० प्रति दशमिक टन की वृद्धि की गई थी जिससे कि 24.50 करोड़ रु० का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जा सके । कुछ मदों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में वृद्धि के कारण प्रतिकारी शुल्क में होने वाली परिणामी वृद्धि द्वारा 9.55 करोड़ रु० प्राप्त होने की संभावना थी ।

वित्त अधिनियम, 1974 के अंतर्गत लगाया गया सहायक सीमा शुल्क वर्ष 1975-76 के दौरान भी जारी रखा गया था और इस उद्ग्रहण को प्रभावी दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था ।

2. विभिन्न सीमा शुल्क गृहों/कलक्टरियों के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा से कुल 53.53 लाख रु० की राशि के अत्र-निर्धारणों, अत्रिक्त अदायगियों और राजस्व की हानियों का पता चला । लेखापरीक्षा के दौरान 13.68 लाख रु० की राशि के अधि-निर्धारण और कम अदायगियां भी ध्यान में आईं ।

नमूना लेखापरीक्षा में पाई गई मुख्य अनियमितताएं निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं :—

- (क) अतिरिक्त शुल्क का न लगाया जाना/कम लगाया जाना ।
- (ख) सहायक शुल्क लगाने में गलतियां ।
- (ग) छूट अधिसूचनाओं को गलत ढंग से लागू करना ।
- (घ) माल के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम लगाया जाना/न लगाया जाना ।
- (ङ) गलत निर्धार्य मूल्य अपनाए जाने के कारण कम शुल्क लगाया जाना ।

- (च) शुल्क की संगणना में गलती ।
- (छ) फिरती की अनियमित स्वीकृति ।
- (ज) अनियमित वापसियां ।
- (झ) अधि-निर्धारण ।

3. अतिरिक्त शुल्क का न लगाया जाना/कम लगाया जाना

आयात किए गए माल पर भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की धारा 2क के प्रांत प्रतिरिक्त शुल्क लगता है । यह शुल्क भारत में उत्पादित या विनिर्मित उस जैसे सामान पर उस समय उदग्राह्य उत्पाद शुल्क के बराबर लगाया जाता है । वर्ष 1973-74 और 1974-75 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट-राजस्व प्राप्तियां खण्ड 1 (अप्रत्यक्ष कर) के पैराग्राफ क्रमशः (4) और (5) में 49.05 लाख रु० का अतिरिक्त शुल्क न लगाए जाने/कम लगाए जाने के मामलों का उल्लेख किया गया था ।

लोक लेखा समिति ने जिसे इसी प्रकार के पैराग्राफों की जांच करने का अवसर मिला था, अपनी 43वीं रिपोर्ट (पांचवीं लोक सभा) के पैराग्राफ 1.63 में यह बताया था कि वे विशेष रूप से इस बात पर बल देना पसंद करेंगे कि आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने के मामलों की ध्यानपूर्वक जांच की जानी चाहिए । लेखा-परीक्षा में देखे गए कुछ और मामलों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :—

(i) गढ़ाई किया हुआ, गोलाकृत या मुड़ी-तुड़ी आकृति में चल-स्टाक के अर्ध तैयार संघटक पुर्जों का जब आयात किया जाए तो उस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 26 कक(1क) के अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है ।

एक प्रमुख सीमा शुल्क गृह में चल-स्टाक के ऐसे संघटकों पर प्रारम्भ में पंगुहीन अतिरिक्त शुल्क वापस कर दिया गया था और ऐसे संघटकों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 26कक के अंतर्गत किसी भी उप-मद के क्षेत्र से बाहर रखे जाने संबंधी संशोधन याचिका पर 1970 में

लिए गए सरकार के निर्णय के आधार पर अतिरिक्त उगाही बन्द कर दी गई थी। कलकटरी सम्मेलन ने मामले पर जून 1974 में विचार किया और बताया कि गोलाकृत और गढ़ी हुई आकृति के पुर्जे विशेष रूप से मद 26 कक (1क) के अंतर्गत आते हैं और अन्य सभी पत्तनों में ऐसी वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की प्रथा थी। दिसम्बर 1974 में बोर्ड द्वारा निर्णय का अनुमोदन कर दिया गया था, जिसे सीमा शुल्क गृह द्वारा सभी सम्बद्ध संस्थाओं को केवल जून 1975 में ही भेजा गया था।

कुछ मामलों की नमूना जांच के दौरान, 1970 से पहले संग्रहीत अतिरिक्त शुल्क की गलत वापसी और 1970 से अतिरिक्त शुल्क न लगाए जाने के जो मामले लेखापरीक्षा द्वारा के देखने में आए उनकी राशि (लगभग) 2,58,597 रु० बनी। सीमा शुल्क गृह से इसी प्रकार के मामलों का पुनरीक्षण करने के लिए अनुरोध किया गया था (अगस्त 1975)। सीमा शुल्क गृह ने उत्तर दिया (मई 1976) कि यह प्रश्न विचाराधीन था कि क्या चल स्टॉक के अर्ध तैयार संघटक पुर्जों पर कोई अतिरिक्त शुल्क लगता है।

उत्तर में, राजस्व और बैंकिंग विभाग ने यह दावा किया है कि ऐसी वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाना है। तथापि उन्होंने कलकटरों के सम्मेलन में इसके विपरीत हुए निर्णय का उल्लेख नहीं किया है जिसे केन्द्रीय बोर्ड, उत्पाद और सीमा शुल्क द्वारा स्वीकृत किया गया था और सम्बद्ध कलकटर को भेजा गया था।

(ii) फरवरी 1975 में आयात की गई और बीजक और आयात पत्र में बिजली प्रतिरोध झलाईकृत ट्यूबों के रूप में वर्णित 395.830 दशमिक टन की बिजली प्रतिरोध झलाईकृत ट्यूबों पर अतिरिक्त शुल्क 175 रु० प्रति दशमिक टन में से 25 प्रतिशत कम करके रियायती दर पर लगाया गया था। परीक्षण को टाल देने के पश्चात् और आयातकर्ता की इस घोषणा को स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् कि ठेके और त्रिशिष्ट व्योरों की जांच के अनुसार ये वस्तुएं वायलर ट्यूबें (वायलर के संघटक पुर्जे) थीं, इनकी निकासी की गई थी।

जुलाई 1975 में लेखापरीक्षा द्वारा यह बताया गया था कि अतिरिक्त शुल्क की रियायती दर केवल सीबनहीन (सीमलेस) पाइपों और ट्यूबों पर ही लागू होती थी और वर्तमान मामले में 600 रु० प्रति दशमिक टन की मानक दर में से 25 प्रतिशत कम की दर पर शुल्क लगाया जाना चाहिए, जिसके फलस्वरूप 1,26,171 रु० का शुल्क कम लगाया गया था।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(iii) प्रशीतन मशीनों में "फ्लोर स्विचों" का प्रयोग उन नियंत्रण-यंत्रों को चालू करने के लिए किया जाता है जो रिसेवरों, संचयकों और अन्य नलिकाओं में उस प्रशीतक स्तर को नियंत्रित करता है जो एमोनिया सहित सभी साधारण प्रशीतकों में उपयोग के लिए उपयुक्त है। वे या तो -20° फारनहाइट और $+100^{\circ}$ फारनहाइट के बीच के द्रव्य तापमान के लिए अवात मुद्रित कांच ट्यूब पारा स्विचों के रूप में हैं अथवा -50° फारनहाइट और $+100^{\circ}$ फारनहाइट के बीच द्रव्य तापमान के लिए प्रयुक्त परिष्कृत स्नेप ऐक्टिंग ड्राई कन्टैक्ट इलेक्ट्रिक स्विचों के रूप में हैं।

एक प्रमुख सीमा शुल्क गृह ने मई 1975 में आयात किए गए दोनों प्रकार के "फ्लोर स्विचों" का सीमा शुल्क टैरिफ की मद 73(1) के अंतर्गत सीमा शुल्क के लिए निर्धारण बिना कोई अतिरिक्त शुल्क लगाए ही किया।

लेखापरीक्षा द्वारा यह बताए जाने पर कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 29(क) के अंतर्गत इन वस्तुओं पर 125 प्रतिशत यथामूल्य पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा, सीमा शुल्क गृह ने आपत्ति स्वीकार कर ली और 32,197 रु० के अतिरिक्त शुल्क की वसूली की।

(iv) जब बिजली की मोटरों का आयात किया जाता है तो उन पर भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ की मद 72(14)(क) के अधीन चार उप-मदों में से एक उप-मद के अंतर्गत शुल्क लगाया जाता है जो मोटरों के ब्रेक हार्स पावर की मात्रा पर निर्भर होता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

टैरिफ की मद 30 के अंतर्गत उन पर यथामूल्य 20 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी लगता है ।

जन 1975 में एक प्रमुख सीमा शुल्क गृह के माध्यम से आयात किए गए स्पेक्टोग्राफ इम्परफेक्शन (सूत्र समता) टेस्टर के लिए संघटक पुर्जों के एक परेषण में गीयर एसेम्बलियों वाली 21 बिजली की मोटरों भी शामिल थीं । वस्तुओं का शुल्क के लिए निर्धारण करते समय सीमा शुल्क गृह ने बिजली मोटरों सहित जो उपस्कर का अलग पुर्जा होती हैं, अधिकांश परेषणों पर भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ की मद 73 के अंतर्गत समान रूप से 60 प्रतिशत यथामूल्य मूल (सीमा शुल्क) शुल्क लगाया । लेखापरीक्षा ने ध्यान दिलाया (अक्तूबर 1975) कि बिजली मोटरों का उचित वर्गीकरण भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ की मद 72(14)(क) के अंतर्गत होगा, जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 30 के अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क लगेगा । सीमा शुल्क गृह ने निर्धारण को संशोधित किया और 26,398 रु० के कम लगाए गए अतिरिक्त शुल्क की वसूली मई 1976 में की ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली है ।

(v) उत्पाद शुल्क योग्य विनिर्मित उत्पादों पर विभागीय अनुदेशों की नियम पुस्तक के परिशिष्ट में कागज की यह व्याख्या दी गई है कि "पार्चमेंट पेपर" बहुत बढ़िया हाथ से बना हुआ या सांचे में बना हुआ बहुत ही पीला क्रिम या सामान्यतः डेकल किनारे वाला श्वेताभ कागज होता है ।

लेखापरीक्षा द्वारा यह देखने में आया था कि दो प्रमुख सीमा शुल्क गृहों में आयात किए गए पार्चमेंट पेपर को लपेटन (रैपिंग) पेपर मान कर उस पर अतिरिक्त शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 17(2) के अंतर्गत लगाए जाने की बजाए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 17(3) के अंतर्गत लगाया गया था । टैरिफ मद 17 की उप मद (2) में विशेष रूप से पार्चमेंट पेपर का उल्लेख है और इस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 17(3) के अंतर्गत वर्गीकरणीय रैपिंग पेपर की

तुलना में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिक दर पर लगाया जाता है । दोनों सीमा शुल्क गृहों में हुए गलत निर्धारण के कारण 18,851 रु० की राशि का अतिरिक्त शुल्क कम लगाया गया ।

पूरे अन्व-निर्धारण की संगणना नहीं की जा सकी । एक सीमा शुल्क गृह ने ऐसे पेपर के आयात के व्यौरे प्रस्तुत करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने उत्तर में बताया है कि वनस्पति पार्चमेंट पेपर पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने का मामला अभी जांचाधीन है (जनवरी 1977) ।

(vi) जब सिन्थेटिक फाइबर की श्रेणी में आने वाले एक्रिलिक फाइबर केशमिलोन ब्रांड का आयात किया जाता है तो उस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 18 के अन्तर्गत 6 रु० प्रति किलोग्राम की दर पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है । इस प्रकार यद्यपि भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ की मद 46(6) के अन्तर्गत मूल शुल्क लगाने के लिए ऐसे फाइबर के निर्धारण के उद्देश्य से आयातित माल का मूल्य ही आधार होता है तथापि अतिरिक्त शुल्क के निर्धारण के लिए परेषण का भार ही आधार होता है ।

जुलाई 1975 में एक प्रमुख सीमा शुल्क गृह के माध्यम से आयात किए गए एक्रिलिक फाइबर के परेषण के संबंध में, 58,686 रु० के घोषित मूल्य की तुलना में आयात-पत्र में आयातित मात्रा 2,000 किलोग्राम (निवल) दिखाई गई थी । किन्तु आयात-पत्र के साथ संलग्न बीजक में यह दर्शाया गया था कि 26 गांठों में आयात किए गए फाइबर का कुल भार 5,100 किलोग्राम (निवल) बनता था । परेषण में तीन प्रकार के फाइबर शामिल थे, और प्रत्येक प्रकार के फाइबर का निवल भार अलग-अलग था । आयात-पत्र में दर्शाई गई मात्रा, वस्तुतः खेप में आयातित किस्मों में से केवल एक प्रकार के फाइबर की केवल 10 गांठों के भार की द्योतक थी ।

सीमा शुल्क गृह ने आयात-पत्र में घोषित सही मूल्य पर मूल सीमा शुल्क लगा कर परेषण का निर्धारण किया परन्तु अतिरिक्त शुल्क लगाने के उद्देश्य के लिए कम घोषित 2,000 किलोग्राम (निवल) भार को स्वीकार किया। परिणामस्वरूप 3,100 किलोग्राम (निवल) पर 18,600 रु० का अतिरिक्त शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर सीमा शुल्क गृह ने आपत्ति स्वीकार कर ली और जुलाई 1976 में कम लगाए गए शुल्क की राशि वसूल कर ली। तथापि भार की गलत घोषणा के लिए आयातकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

4. सहायक शुल्क लगाने में गलतियाँ

1974-75 और 1975-76 के दौरान यथामूल्य आधार पर निर्धार्य वस्तुओं के संबंध में सीमा शुल्क के सहायक शुल्क की दर यदि सीमा शुल्क की प्रभावी दर 60 प्रतिशत यथामूल्य से कम हो तो 5 प्रतिशत और यदि प्रभावी शुल्क 60 प्रतिशत या उससे अधिक किन्तु 100 प्रतिशत से कम हो तो 15 प्रतिशत यथामूल्य थी। तथापि जिन वस्तुओं के संबंध में प्रभावी शुल्क की दर एक दर से अधिक हो तो उन पर सहायक शुल्क की वह दर लागू होगी जो प्रभावी शुल्क की ऐसी दरों में सबसे उच्चतम हो।

(i) जुलाई 1974 में जारी की गई एक अधिसूचना के अंतर्गत यदि "फोरेट" (कीटनाशी दवाओं को तैयार करने में प्रयोग किया जाने वाला रसायन) का वाणिज्यिक रूप से शुद्ध रूप में आयात किया गया हो तो उस पर 20 प्रतिशत यथामूल्य की रियायती दर पर शुल्क के निर्धारण किए जाने की अनुमति दे दी गई थी।

एक मुख्य सीमा शुल्क गृह में अक्टूबर 1974 में आयातित वाणिज्यिक रूप से शुद्ध फोरेट के परेषण पर शुल्क 20 प्रतिशत यथामूल्य (मूल) और 5 प्रतिशत यथामूल्य (सहायक) की दर से निर्धारित

किया गया था। क्योंकि "फोरेट" उसकी शुद्धता के आधार पर शुल्क की दो अलग-अलग दरों अर्थात् 60 प्रतिशत यथामूल्य और 20 प्रतिशत यथामूल्य पर निर्धार्य था अतः सहायक शुल्क लगाए जाने का आधार शुल्क की उच्चतर दर ही होनी चाहिए थी।

इसी प्रकार के एक अन्य मामले में सीमा शुल्क गृह ने फरवरी और मार्च 1976 के दौरान विभिन्न एजेन्सियों द्वारा वाणिज्यिक रूप से शुद्ध रूप में आयातित "एन्डोसेलफेन" टैक्नीकल के चार परेषणों का मूल (सीमा) शुल्क निर्धारण, 35 प्रतिशत यथामूल्य (जून 1975 में सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना पर आधारित) और 5 प्रतिशत यथामूल्य (सहायक) की रियायती दर पर किया।

लेखापरीक्षा द्वारा यह बताया गया था (जून/अगस्त 1976) कि दोनों मामलों में सहायक शुल्क 15 प्रतिशत यथामूल्य पर लगाया जाना चाहिए था।

उक्त पांचों परेषणों के संबंध में 15 प्रतिशत यथामूल्य की बजाए 5 प्रतिशत यथामूल्य पर सहायक शुल्क लगाए जाने के कारण कुल 81,347 रु० का शुल्क कम लगाया गया था।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने उत्तर में बताया है कि सीमा शुल्क गृह द्वारा सहायक शुल्क पांच प्रतिशत यथामूल्य की दर पर इस आधार पर लगाया गया था कि विचाराधीन रसायन जब वाणिज्यिक रूप से शुद्ध रूप में होते हैं तब ये वहीं वस्तु नहीं होंगे जब ये वाणिज्यिक रूप से शुद्ध रूप में माने जाने वाले रूप से भिन्न रूप में होते हैं। तथापि उन्होंने आगे बताया है कि इस विचार के औचित्य की कानूनी दृष्टि से जांच की जा रही है।

(ii) जब सामान का निर्धारण मूल सीमा शुल्क की रियायती दरों पर उद्गम-देश या निर्दिष्ट अंतिम खपत के विषय में समाधान करने जैसी कुछ शर्तों के अध्याधीन किया जाता है तब सीमा शुल्क की उच्चतम दर (यदि छूट न दी जाती तो जो दर लागू होती) पर ही उदग्रहा सहायक शुल्क की दर निर्धारित की जाएगी।

वैराइटा आलेपित कागज इस प्रकार का कागज होता है जिसके एक तरफ बेरियम सल्फेट और जिलेटिन के पायस का लेप चढ़ा होता है। बेरियम सल्फेट से लेप करने का उद्देश्य यह है कि कागज पर चमकीला सफेद रंग आ जाए। वैराइटा आलेपित कागज का प्रयोग सामान्यतः फोटो-प्रिंटिंग पेपर का विनिर्माण करने के लिए और चल संकेतक पठन यंत्र (मूविंग पाइंटर रीडिंग अपरेटस) में भी किया जाता है।

9 अप्रैल 1965 की यथा-संशोधित अधिसूचना के अंतर्गत, वैराइटा आलेपित कागज के शुल्क का निर्धारण 60 प्रतिशत यथामूल्य की रियायती दर पर किया जाता है जबकि भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ की मद 44 के अन्तर्गत इसकी मानक दर 100 प्रतिशत यथामूल्य है। सितम्बर 1968 में केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया कि यदि वैराइटा आलेपित कागज का प्रयोग फोटो प्रिंटिंग पेपर के विनिर्माण में किया जाता है तो उसके भार (ग्रामेज) का ध्यान रखे बिना ही उस पर शुल्क की रियायती दर लागू की जानी चाहिए, जिससे यह अर्थ निकलता है कि मूल सरकारी अधिसूचना के अंतर्गत शुल्क की रियायती दर विशेष रूप से इसके अंतिम प्रयोग पर ही निर्भर थी। दूसरे शब्दों में मूल शुल्क के प्रयोजन के लिए इस प्रकार के कागज का निर्धारण विभिन्न दरों पर किया जा सकता था जो उसके अंतिम प्रयोग पर निर्भर होता और इसीलिए यह परिणाम निकलता है कि उस पर सहायक शुल्क, मूल शुल्क की उच्चतम दर पर निर्धार्य है।

फरवरी 1976 में मुख्य सीमा शुल्क गृह ने वैराइटा आलेपित कागज के तीन परेषणों का सीमा शुल्क के लिए 60 प्रतिशत यथामूल्य की दर पर और सहायक शुल्क के लिए 15 प्रतिशत यथामूल्य की दर पर निर्धारण किया। लेखापरीक्षा द्वारा जून 1976 में यह बताया गया था कि मूल शुल्क के लिए लागू 100 प्रतिशत यथामूल्य की उच्चतम दर के आधार पर सहायक शुल्क की सही दर 20 प्रतिशत यथामूल्य होनी चाहिए, क्योंकि इस पदार्थ पर इसके अंतिम प्रयोग के आधार पर ही भिन्न-भिन्न दरों पर मूल शुल्क लगाया जाता है।

इस मामले में तीन परेपणों के लिए 30,035 रु० की राशि का अत्र-निर्धारण हुआ ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है (दिसम्बर 1976) कि 9 अप्रैल, 1965 की अधिसूचना में बैराइट आलेपित पेपर के प्रयोग के संबंध में कोई शर्त नहीं लगाई गई थी और इसलिए सीमा शुल्क के मूल शुल्क से आंशिक छूट बिना शर्त है । उन्होंने आगे बताया कि सुसंगत समय पर लागू वित्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, सहायक शुल्क सही दर पर लगाया गया है और इसीलिए वर्तमान मामले में टैरिफ सूचना का हवाला असम्बद्ध प्रतीत होगा । विभाग द्वारा यह भी बताया गया था कि टैरिफ सूचना केवल यह स्पष्ट करने के विचार से जारी की गई थी कि बैराइट आलेपित कागज सीमा शुल्क टैरिफ की मद 44 के अन्तर्गत आएगा ।

तथापि लेखापरीक्षा का यह विचार है कि मूल अधिसूचना को सितम्बर 1968 में जारी किए गए स्पष्टीकरण सहित पढ़ा जाना चाहिए था और स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि बैराइट आलेपित कागज का प्रयोग फोटो प्रिंटिंग पेपर के विनिर्माण के लिए किया गया हो तो उस पर इस के भार (ग्रामेज) का ध्यान रखे बिना ही, रियायती दर लागू की जानी चाहिए ।

(iii) एक मुख्य सीमा शुल्क गृह में अगस्त 1974 में आयातित वैनैडियम पन्टाक्साइड के परेपण का निर्धारण 29 मई, 1971 की अधिसूचना सं० 49 द्वारा यथासंशोधित तारीख 9 जुलाई, 1968 की सरकारी अधिसूचना सं० 108 के अनुसार दी गई आंशिक छूट के अंतर्गत मूल सीमा शुल्क के लिए 30 प्रतिशत यथामूल्य और सहायक शुल्क के लिए 5 प्रतिशत यथामूल्य की दर पर किया गया था । भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ की मद 28 के अंतर्गत 60 प्रतिशत यथामूल्य की सांविधिक मानक दर के बदले में 30 प्रतिशत यथामूल्य की रियायती दर पर मूल सीमा शुल्क का लगाया जाना, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कुछ शर्तों को पूरा करने के अन्वयधीन था । लेखापरीक्षा विभाग द्वारा यह बताया गया था कि सहायक शुल्क वस्तुतः लगाए गए पांच प्रतिशत की बजाए 15 प्रतिशत

यथामूल्य की उच्चतर दर पर लगाया जाना था जैसाकि 60 प्रतिशत की मानक दर के लिए लागू है। सीमा शुल्क गृह ने आपत्ति स्वीकार कर ली और 25,988 रु० के कम शुल्क की वसूली कर ली।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

5. छूट अधिसूचना का गलत लागू किया जाना

(i) सरकार द्वारा दिसम्बर 1973 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार थैलाबन्द खाद और अनाज के आयात परेषणों के साथ आने वाले खाली फालतू बोरो (गनी बैगों) पर उन बोरो की जिनमें जहाजी माल होता है और जो लदान-पत्र में विनिर्दिष्ट होते हैं, कुल संख्या की एक प्रतिशत संख्या पर सम्पूर्ण सीमा शुल्क, अतिरिक्त शुल्क और सहायक शुल्क से छूट होती है।

तथापि लेखापरीक्षा में यह देखने में आया था कि खाली पौलिथीन बैगों, पौलिथीन अस्तर लगे पटसन बैगों आदि के लिए तीन छोटे पत्तनों (ब्राउट-पोर्टों) में छूट दी गई थी। कुछ जाने गए मामलों के संबंध में दो छोटे पत्तनों (ब्राउट-पोर्टों) में 1,31,160 रु० का शुल्क नहीं लगाया गया था।

उत्तर में राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि इन दो पत्तनों के संबंध में मांगें कर दी गई हैं और अभी उनकी वसूली नहीं हुई है। तीसरे पत्तन के संबंध में 1,094 रु० का शुल्क नहीं लगाया गया था और विभाग द्वारा इसे वसूल कर लिया गया बताया गया है।

(ii) 6 अगस्त, 1960 की एक सरकारी अधिसूचना के अंतर्गत, कलक्टर, सीमा शुल्क द्वारा संतोषजनक पाए गए किसी मशीनरी के ऐसे संघटक पुर्जों पर, जोकि उस मशीनरी की प्रारम्भिक स्थापना या उसके संयोजन अथवा विनिर्माण के लिए अपेक्षित है, उसी दर पर शुल्क लगाया जाना था जो कि अधिसूचना में निर्धारित शर्तों के अध्वधीन उक्त मशीनरी पर तब लागू होता जबकि सम्पूर्ण मशीनरी ही आयात की जाती।

एक मुख्य सीमा शुल्क गृह में डीजल इंजनों के संयोजन के लिए 29 मई, 1971 से पहले आयात किए गए ट्रैक्टर किस्म के डीजल इंजनों के सी० के० डी० पैकों को पूर्णतः बिना कोई मूल सीमा शुल्क और प्रतिकारी शुल्क लगाए ही निकासी के लिए अनुमत कर दिया गया था और जिनका आयात 29 मई, 1971 के बाद किया गया था, उन पर केवल मूल सीमा शुल्क ही लगाया गया था। जब डीजल इंजनों के लिए लागू समूचा शुल्क न लगाए जाने पर लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति की गई तो सीमा शुल्क गृह ने 5 जनवरी, 1963 की सीमा शुल्क अधिसूचना का जब तक इसे 29 मई, 1971 को रद्द नहीं कर दिया गया था, और तत्पश्चात् 29 अगस्त 1964 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना का हवाला देकर इसे न्यायसंगत बताया।

5 जनवरी 1963 की अधिसूचना सीमा शुल्क-2 के पैरा (ख) के अनुसार, जब सभी ट्रैक्टरों के पुर्जों का आयात भारत में पूर्णतः कृषि प्रयोजनों के लिए किया गया हो तो उन पर सीमा शुल्क की पूरी छूट दी जाती है बशर्ते कि आयातकर्ता इस आशय का वांड भरे कि यदि वह ऐसे पुर्जों के संबंध में सहायक कलक्टर के संतोष के लिए यह सिद्ध करने में असमर्थ रहता है कि इन पुर्जों का प्रयोग उपरोक्त प्रयोजनों के लिए ही किया गया है तो वह मांगे जाने पर, शुल्क की उतनी राशि अदा कर देगा जितनी कि उन पुर्जों पर छूट न मिलने की स्थिति में उद्ग्राह्य होती।

29-8-1964 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना के अनुसार जो इंजन डी० बी० एच० पी० 50 और उससे कम के ट्रैक्टरों में लगे होते हैं वे उन पर उद्ग्राह्य सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से मुक्त होते हैं।

29 मई 1971 से पहले कृषि ट्रैक्टरों के संघटक पुर्जों के रूप में शुल्क मुक्त निर्धारण करने और 29 मई, 1971 से डीजल इंजनों के लिए लागू प्रतिकारी शुल्क न लगाए जाने के विषय में निम्नलिखित कारणों से विचार नहीं किया गया है :—

(i) विकास विंग द्वारा भेजे गए प्रमाण-पत्रों और तारीख 6 अगस्त 1960 की अधिसूचना के अन्तर्गत आयातकर्ता द्वारा निष्पादित बांड की मुख्य शर्तों से यह तथ्य सिद्ध होता है कि आयातित संघटक अन्तर्दहन (इन्टर्नल कम्बसशन) इंजनों के संयोजन के लिए थे। अतः सीमा शुल्क प्रभार के लिए निकासी के समय उन्हें घरेलू खपत के लिए ट्रैक्टरों के पुर्जे मानने का प्रश्न उचित नहीं है ;

(ii) सी० के० डी० में संघटकों के आयातकर्ता द्वारा 5 जनवरी 1963 की अधिसूचना की धारा (ख) में उल्लिखित अन्तिम-प्रयोग बांड केवल तभी प्रस्तुत किया जा सकता था यदि वह ट्रैक्टर का विनिर्माण करने वाला हो, जो कि इस मामले में नहीं है ; और

(iii) 29 अगस्त 1964 की अधिसूचना में निर्धारित शर्तों को पूरा करना आयातकर्ता के क्षेत्र से बाहर की बात है ।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाए गए नमूना मामलों में शुल्क की छोड़ी गई राशि (लगभग) 1.02 लाख रु० है ।

ऊपर लिखित तथ्यों की पुष्टि करते हुए, राजस्व तथा बैंकिंग विभाग ने उत्तर में बताया है कि टैरिफ विषयों संबंधी सीमा शुल्क कलक्टरों के एक सम्मेलन में इस मामले पर आगे विचार करने का प्रस्ताव किया गया है ।

(iii) एक मुख्य सीमा शुल्क गृह में भारत सरकार के एक उपक्रम द्वारा अप्रैल 1973 में आयातित कुछ विशिष्टियों की सीबनहीन (सीमलेस) इस्पात ट्यूबों के दो परेषणों का सरकार द्वारा अगस्त 1960 में जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत अनन्तिम निर्धारण किया गया था और अन्य बातों के साथ-साथ 10 प्रतिशत की दर पर सहायक सीमा-शुल्क भी लगाया गया था । जुलाई/सितम्बर 1975 में अनन्तिम निर्धारण को अनन्तिम करते समय, 3 मई 1973 की अधिसूचना सं० 68 के अन्तर्गत अनन्तिम निर्धारण के चरण में संग्रहीत सहायक शुल्क की वापसी कर दी गई थी । क्योंकि आयात-पत्र के प्रस्तुतीकरण और जहाज के आगमन

को तारीख अप्रैल 1973 में ही आती थी, और उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत किए गए निर्धारण के संबंध में सहायक शुल्क से छूट केवल 3 मई 1973 से ही लागू हुई थी, अतः लेखापरीक्षा द्वारा यह ध्यान दिलाया गया था (दिसम्बर 1975) कि इन दो मामलों में 1,29,342 रु० की राशि के सहायक शुल्क की वापसी नियमानुसार नहीं थी।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि पुनः विचार करने पर सम्बद्ध कलक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निर्धार्य माल सही रूप से मद 72(3) के अन्तर्गत वर्गीकृत करने योग्य था और उस मामले में सहायक शुल्क उद्ग्रह्य नहीं होता। तथापि तथ्य यह है कि वास्तव में निर्धारण (अन्तिम और अन्तिम दोनों ही) मद 63 (18)(क) के अन्तर्गत किया गया था जिससे सहायक शुल्क लगता है।

6. माल के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम लगाया जाना/न लगाया जाना

(i) एक मुख्य सीमा शुल्क गृह में एक रबड़ फैक्टरी द्वारा अगस्त 1974 में आयात किए गए "डटरेक्स आर० टी" पर, जो रबड़ उद्योग में संसाधन साधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला तेल होता है—प्रतिकारी शुल्क का निर्धारण 91.80 रु० प्रति किलोलिटर की विशेष दर पर किया गया था और इसे भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ की मद 27(7)(ख)(2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 10 के अन्तर्गत "भट्टी तेल" के रूप में वर्गीकृत किये गये थे, जबकि उसी फैक्टरी द्वारा उसी उत्पाद का मार्च 1975 में किये गये एक अन्य आयात का निर्धारण भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ की मद 27(3) के अन्तर्गत 40 प्रतिशत की यथामूल्य दर पर मूल सीमा शुल्क के लिए और 5 प्रतिशत पर किया गया था, इसके अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 11-क के अन्तर्गत 20 प्रतिशत यथामूल्य और 190 रु० प्रति दशमिक टन पर अतिरिक्त शुल्क भी लगाया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह ध्यान दिलाया गया था (नवम्बर 1975) कि बोर्ड की अक्टूबर 1972 की सूचना के अन्तर्गत, तेल की विशेषता के आधार पर केवल अतिरिक्त शुल्क लगाने के उद्देश्य से ही वर्गीकरण

में परिवर्तन किए जाने पर विचार किया गया था जबकि सीमा शुल्क संबंधित वर्गीकरण ज्यों का त्यों रखा गया था। सीमा शुल्क गृह ने फरवरी 1976 में उत्तर दिया कि यद्यपि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मदों के संदर्भ में सूचना जारी की गई थी परन्तु यह नहीं माना जा सकता कि यह सीमा शुल्क के सम्बन्ध में लागू नहीं होती। सीमा शुल्क गृह की यह धारणा भी थी कि सीमा शुल्क टैरिफ की मद 27(7)(ख)(2) के अन्तर्गत निर्धारण पूर्णतः माल के सांविधिक विवरण के अनुसार था और एक मात्र अन्तिम प्रयोग के आधार पर ही वर्गीकरण का निर्णय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, नवम्बर 1972 में सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को, कार्यान्वयन के लिए, बोर्ड की सूचना भेजते समय सीमा शुल्क गृह ने माना कि सीमा शुल्क के संबंध में वर्गीकरण भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ की मद 27(3) के अन्तर्गत होना चाहिए, यद्यपि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में इसका वर्गीकरण, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 10 के अन्तर्गत "भट्टी तेल" के रूप में किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा के दौरान "डटरेक्स आर० टी" के गलत निर्धारण के दो अन्य मामले भी देखने में आए थे (मई 1976) और तीन जांचे गए मामलों में (लगभग) 3.14 लाख रु० की कुल राशि के शुल्क का कम संग्रहण हुआ था। लेखापरीक्षा ने ध्यान दिलाया कि बोर्ड की सूचना के प्रतिकूल हुए निर्धारण के सभी मामलों के आवश्यक नियमानुकूलन के लिए पुनरीक्षण किया जाना अपेक्षित है।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने इसके उत्तर में बताया है कि बोर्ड की अक्टूबर 1972 की सूचना में यह उल्लेख नहीं था कि इसे केवल अतिरिक्त शुल्क को निर्धारित करने के लिए लागू किया जाना था और इन मामलों में वास्तविक संघटन के आधार पर सही रूप में निर्धारण किया गया था जैसा कि प्रयोगशाला विश्लेषण द्वारा सुनिश्चित रूप से जान लिया गया था।

राजस्व और बैंकिंग विभाग की धारणा इस कारणवश सन्देहास्पद है कि बोर्ड की अक्टूबर 1972 की सूचना में स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि डटरेक्स उत्पादों का वर्गीकरण, मुख्य रसायनज्ञ की राय में

उल्लिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए हर बार रसायन-परीक्षण द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए और मुख्य रसायनज्ञ मुख्यतः केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क लगाने का कार्य करता है। संयोगवश मुख्य रसायनज्ञ ने यह भी उल्लेख किया था कि यह युक्तियुक्त नहीं जान पड़ता कि "डटरेक्स 786" जो कि प्लास्टिककारी होता है, "भट्टी तेल" के रूप में वर्गीकरणीय होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क गृह ने भी यही समझा था कि अक्टूबर 1972 की सूचना केवल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संदर्भ में ही जारी की गई थी।

(ii) 1 मार्च 1973 से पहले, यदि वस्तुएं, सीमा शुल्क गृह के साथ उनके आयात किए जाने से पहले पंजीकृत ठेकों के प्रति आयात कर ली गई हैं, जैसा कि परियोजना आयात (ठेके का पंजीकरण) विनियम, 1965 में निर्धारित है, तब विशिष्ट संयंत्रों की मशीनों का परियोजना आयातों के रूप में वर्गीकरण करके भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ की मद 72-क के अन्तर्गत निम्नतर दर पर शुल्क निर्धारण किया जाना था।

एक मुख्य सीमा शुल्क गृह में तीन परेषणों के सम्बन्ध में जिन्हें परियोजना सामान बताया गया था और जिनका आयात यद्यपि सम्बद्ध ठेके के पंजीकरण से पहले ही किया गया था, भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ की मद 72-क के अन्तर्गत 27.5 प्रतिशत यथामूल्य पर सीमा शुल्क के निर्धारण का लाभ अनुमत किया गया था, जबकि भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ की मद 72 के अन्तर्गत सही रूप में 35 प्रतिशत यथामूल्य शुल्क प्रभावी था। दिसम्बर 1975 में लेखापरीक्षा विभाग द्वारा इन मामलों में 2,57,704 रु० राशि के शुल्क के अत्र-निर्धारण की ओर ध्यान दिलाया गया था।

राजस्व और बैंकिंग विभाग को अगस्त 1976 में पैरा भेजा गया था, उसका उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1977)।

7. गलत निर्धार्य मूल्य अपनाए जाने के कारण कम उद्ग्रहण

(i) फरवरी 1968 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार जहाजों से शैड तक माल की

उतराई की प्रक्रिया में व्यय किए गए नौभारक प्रभारों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अन्तर्गत निर्धार्य मूल्य का ही भाग होना चाहिए।

तथापि 1969 के दौरान एक छोटे पत्तन के माध्यम से आयातित उर्वरक के निर्धार्य मूल्य की संगणना में निम्नलिखित बातें देखने में आई थीं:—

- (क) जहाज से जहाज-घाट तक उर्वरकों के नौकान्तरण के लिए माल बोट प्रभारों को हिसाब में नहीं लिया गया था।
- (ख) नौभरक प्रभार (बोट किराया प्रभारों से इतर) सकल भार पर लगाए जाने की बजाय निवल भार पर लगाए गए थे।
- (ग) जहाजों को केप आफ गुड-होप के रास्ते से भेजने के लिए “स्वेज प्रभार” के रूप में लगाए गए अतिरिक्त भाड़ा प्रभारों को हिसाब में नहीं लिया गया था।

इन प्रभारों को निर्धार्य मूल्य में शामिल न किए जाने के कारण 37,516 रु० का सीमा शुल्क कम लगाया गया था।

उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि करते समय राजस्व और बैंकिंग विभाग ने उत्तर में बताया कि कम उद्ग्रहण के संबन्ध में नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

(ii) सीमा शुल्क के निर्धारण के उद्देश्य के लिए “मूल्य” सामान का वह मूल्य होता है जिस पर उसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के समय साधारणतया बेचा जाता है और जब खरीददार और विक्रेता का एक दूसरे के व्यवसाय में कोई हित निहित नहीं होता और विक्री के लिए एक मात्र मूल्य को ही ध्यान में रखा जाता है। साधारणतया अपनाया गया मूल्य वही होता है जो बीजक में दर्शाया गया हो। एक एजेन्ट द्वारा या उसके माध्यम से आयातित सामान के मामले में, उसे देय या प्रदत्त एजेन्सी कमीशन को सामान के निर्धार्य मूल्य को निर्धारित करने के लिए शामिल किया जाना चाहिए।

दिसम्बर 1975 में एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा एक मुख्य सीमा शुल्क गृह के माध्यम से परियोजना सामान के रूप में आयातित "फिल्टरिंग कैंडल और मृत्तिका (सिरैमिक) फिल्टर सिलैण्डर" (पुर्जो सहित) का एक परेषण, बीजक में दर्शाए गए 242816.22 डेयू मार्क के जहाज पर मूल्य के आधार पर भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ की मद 72-क के अन्तर्गत 40 प्रतिशत यथामूल्य पर सीमा शुल्क निर्धारित किया गया था। तथापि सीमा शुल्क गृह द्वारा मूल्य निकालते समय बीजक में दर्शाया गया 26979.58 डेयू मार्क का एजेन्सी कमीशन जो भारत में पार्टी को रूपों में देय था, शामिल नहीं किया गया था। फरवरी 1976 में लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर सीमा शुल्क गृह ने 35,905 रु० कम लगाए गए शुल्क की वसूली जुलाई 1976 में कर ली।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

8. शुल्क के परिकलन में गलती

एक मुख्य सीमा शुल्क गृह में आयात-पत्र में सही रूप से घोषित 36,616 रु० के सामान का निर्धार्य मूल्य शुल्क उद्ग्रहण के लिए 3,661 रु० लिया गया था जिसके कारण 21,421 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

उसी सीमा शुल्क गृह में एक अन्य मामले में, आयात-पत्र में सही रूप से दिखाए गए 17,933 रु० के सामान का निर्धार्य मूल्य 7,933 रु० मान लिया गया था जिस के कारण 5,175 रु० का शुल्क कम लगाया गया। सीमा शुल्क गृह के आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा ऊपर उल्लिखित दोनों आयात-पत्रों की जांच की गई थी किन्तु कम-उद्ग्रहण ध्यान में नहीं आया था।

जून 1975 और जुलाई 1975 में लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर सीमा शुल्क गृह ने आपत्तियां स्वीकार कर लीं और 26,596 रु० की वसूली की (क्रमशः सितम्बर 1975 और नवम्बर 1975)।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

9. फिरती की अनियमित स्वीकृति

एक छोटे पत्तन में, निर्यात किए गए निम्न प्रकार के कागज पर प्रत्येक के सामने दिए गए कागज की उसी किस्मों से तैयार की गई वस्तुओं की निर्धारित दरों पर फिरती अदा की गई थी:—

निर्यात किए गए कागज की किस्म	निम्नलिखित के लिए लागू की जाने वाली दरों पर फिरती दी गई
------------------------------	---

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| (क) हवाई-डाक बहुपरती (मैनीफोल्ड) कागज | बहुपरती कागज की बनी वस्तुएं |
| (ख) पैकिंग और रैपिंग पेपर | पैकिंग और रैपिंग पेपर की बनी वस्तुएं |

क्योंकि इन मामलों में अपनाई गई फिरती की दरें केवल उन्हीं वस्तुओं पर लागू की जानी थीं जिनके विनिर्माण में सम्बद्ध किस्म के कागज का प्रयोग किया जाता है, न कि कागज के उसी रूप में निर्यात पर लागू की जानी थीं अतः फिरती की अदायगी अनियमित थी।

दिसम्बर 1973 से अक्टूबर 1974 तक की अवधि से संबन्धित छः मामलों में कुल 1,07,028 रु० की राशि की अनियमित अदायगी अन्तर्ग्रस्त थी।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने उत्तर में बताया कि सम्बद्ध पार्टियों से इस राशि की मांग की गई है।

10. अनियमित वापसी

(i) एक मुख्य पत्तन न्यास द्वारा नवम्बर 1970 में आयातित एक पुराने मोटर कर्षणाव (टग) का अनन्तिम रूप से सीमा शुल्क निर्धारण "अन्तरस्थलीय और बन्दरगाह नौपरिवहन के लिए जलयान" के रूप में भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ की मद 76(1) के अन्तर्गत 35 प्रतिशत यथामूल्य और 20 प्रतिशत की अतिरिक्त जमा पर किया गया था। कर्षणाव का अधिग्रहण बन्दरगाह के भीतर भारी तेल-वाहकों और अयस्क ढोने वाले जहाजों के नौकर्षण/अनुरक्षण के लिए किया गया था।

अतिरिक्त जमा की वापसी के लिए आयातकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावे (मार्च 1971) के सम्बन्ध में, सीमा शुल्क गृह ने इस जलयान को इस आधार पर समुद्र में चलने वाला जलयान मानकर कि यह सिंगापुर से भारतीय पत्तन पर अपनी शक्ति से आया था, कर्षनाव को शुल्क मुक्त मानकर निर्धारण को अन्तिम कर दिया (नवम्बर 1972)। जलपोत (ट्रालर) को समुद्र में चलने वाला जलयान मानकर बोर्ड के 1925 के निर्णय के तर्कों के आधार पर शुल्क मुक्त निर्धारण किया गया था और 20.34 लाख रु० की वापसी की स्वीकृति दी गई थी (अप्रैल 1975)। लेखापरीक्षा द्वारा इस वापसी पर इस आधार पर आपत्ति उठाई गई थी कि कर्षनाव का समुद्र में चलने वाले जलयान के रूप में वर्गीकरण इसलिए नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह मुख्यतः अन्तरस्थलीय और बन्दरगाह नौपरिवहन के लिए ही थी न कि नियमित समुद्र यात्रा के लिए थी।

उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि करते हुए, राजस्व और बैंकिंग विभाग ने उत्तर में बताया कि देय शुल्क की ऐच्छिक अदायगी करने के लिए पत्तन न्यास से अनुरोध किया गया है।

(ii) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 19 में यह व्यवस्था है कि जब आयातित सामान में ऐसी वस्तुएं शामिल हों जिन पर मूल्य के अनुसार विभिन्न दरों पर शुल्क देयता लागू होती है, जब ऐसी वस्तुओं का शुल्क निर्धारण, अलग-अलग और उचित दर पर किया जाना चाहिए वगैरह कि आयातकर्ता प्रत्येक संघटक वस्तु का अलग-अलग मूल्य होने के संबंध में संतोषजनक प्रमाण दे देता है। ऐसे प्रमाण के अभाव में समूचे सामान पर शुल्क उच्चतर दर पर ही प्रसार्य होगा।

मार्च 1962 में एक मुख्य सीमा गृह के माध्यम से एक लोक उपक्रम द्वारा आटोमोबाइलों, (फालतू पुर्जों और औजारों से सज्जित) पर चढ़े, 'सीमेंटिंग एग्ग्रेट' की दो यूनिटों का आयात किया गया था। प्रारम्भ में सामान की बिना शुल्क की अदायगी किए ही 'नोट पास' के आधार पर निकासी अनुमत की गई थी, परन्तु बाद में इसका शुल्क के लिए निर्धारण, भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ मद 75(1) के अन्तर्गत 100 प्रतिशत यथामूल्य और 12.5 प्रतिशत यथामूल्य पर कर दिया गया। आयातकर्ता के वापसी के दावे और बाद में भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ

की मद 72(20) के अन्तर्गत 10 प्रतिशत यथामूल्य पर 'सीमेंटिंग एग्ग्रेगट' के रूप में सामान का पुनः निर्धारण किए जाने की अपील (जैसा कि 1961 में आयातित उसी प्रकार के परेषण के मामले में हुआ बताया गया था) को विभाग द्वारा रद्द कर दिया गया था। तथापि आयातकर्ता द्वारा दायर की गई पुनरीक्षण अपील का फैसला करते समय, सरकार ने जुलाई 1964 में आदेश जारी किए कि मशीन भाग और आटोमोबाइल भाग को क्रमशः भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ की मद 72(ख) (15 प्रतिशत यथामूल्य) और भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ की मद 75 (35 प्रतिशत तथा 12.5 प्रतिशत यथामूल्य) के अन्तर्गत पुनः निर्धारण किया जाना चाहिए और शुल्क की परिणामी वापसी की अदायगी की जाय। आयातकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से ऐसा पत्र पेश किए जाने की स्थिति में ही यह निर्णय लागू होता था जिसमें क्रमशः यूनिट के मशीनरी भाग और धारक यान (मार्जिंग वेहिकल) का अलग-अलग मूल्य दर्शाया गया हो। तथापि लेखापरीक्षा द्वारा की गई जांच से पता चला कि पूतिकारों ने अपने पत्र में वस्तुओं का निश्चित मूल्य सूचित नहीं किया था परन्तु केवल यही बताया था कि यानों का मूल्य सीमेंटिंग यूनिटों के कुल मूल्य का लगभग 50 प्रतिशत बनता था। पूतिकारों ने यह भी बताया कि चूंकि वे अपूर्ण सुपुर्दगी संबंधी कार्य नहीं करते थे अतः उन्होंने यूनिटों के अलग-अलग पुर्जों का मूल्य वस्तुतः निर्धारित नहीं किया था।

यद्यपि आयातकर्ता ने सरकारी आदेश के आधार पर 2,58,483 रु० के शुल्क की वापसी की मांग की थी परन्तु सीमा शुल्क गृह ने जनवरी 1965 में केवल 77,543 रु० की वापसी की स्वीकृति दी। आयातकर्ता द्वारा 1972 में पुनः अभिवेदन किए जाने के पश्चात् विभाग द्वारा 1,80,940 रु० की बकाया अदायगी जनवरी 1974 में की गई थी। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 19 के परन्तुक (ख) के अन्तर्गत लाकर सामान का पुनः वर्गीकरण किया जाना ठीक नहीं था क्योंकि 'सीमेंटिंग एग्ग्रेगट' बनाने वाली वस्तुओं के अलग-अलग मूल्य के समर्थन में आयातकर्ता ने कोई निर्णायक प्रमाण पेश नहीं किया था। इस मामले में पर्याप्त प्रमाण के रूप में पूतिकारों से मिले सीमित प्रमाण पत्र की स्वीकृति के कारण 2,58,483 रु० के राजस्व की अधिक वापसी की गई।

विभाग यह स्पष्ट नहीं कर सका कि जनवरी 1965 में केवल आंशिक वापसी ही क्यों की गई थी जबकि सरकारी आदेश सम्पूर्ण परेषण पर लागू होता था। विभाग द्वारा वापसी की दो किशतों के बीच 9 वर्ष का अन्तराल हुआ। अन्तिम अदायगी किए जाने के समय तक वापसी की मूल फाइलें नष्ट की जा चुकी थीं और मामले की सही जांच करना असंभव हो गया था।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने उत्तर में बताया कि इस मामले में अपने पुनरीक्षण आदेश के अनुसार सरकार द्वारा संस्वीकृत वापसियों को 'राजस्व की अदेय वापसी' नहीं माना जा सकता। उन्होंने आगे बताया कि 1965 में की गई वापसी संबंधी फाइल नष्ट कर दी गई है और इसलिए वापसी के दो आदेशों के बीच अन्तराल के कारणों का पता लगाया जाना संभव नहीं है।

11. अधिनिर्धारण

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 16(1) के उपबंधों के अन्तर्गत, जिस निर्यात सामान के पोत परिवहन बिलों को उस जलयान के बाहर जाने की तारीख से पहले पेश कर दिया गया हो जिस जलयान से उस सामान का निर्यात किया जाना हो तो, ऐसे निर्यात सामान पर शुल्क की वही दर लागू होगी जो दर ऐसी जावक की तारीख को लागू थी।

एक मुख्य सीमा शुल्क गृह में, पूर्व प्रवेश प्रणाली के अन्तर्गत 'हैसियन बैग' का निर्यात करने के लिए सीमा शुल्क गृह को 3 और 4 जून 1975 को छः पोत परिवहन बिल प्रस्तुत किए गए थे। शुल्क के लिए सामान का निर्धारण, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 के द्वितीय अनुसूची की मद 2(ii) के अन्तर्गत जलयान के जावक प्रवेश की तारीख (5 जून 1975) को प्रचलित दर की वजाए बिल प्रस्तुत किए जाने की तारीख को प्रचलित 600 रु० प्रति दशमिक टन की दर पर किया गया था जबकि सरकार द्वारा जारी की गई 5 जून 1975 की अधिसूचना की शर्तों के अनुसार हैसियन पर शुल्क समाप्त कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा सितम्बर 1975 में यह बताए जाने पर, सीमा शुल्क गृह ने यह विचार व्यक्त किया कि हैसियत पर शुल्क समाप्त किए जाने के अनुदेशों की प्राप्ति से पहले ही पोत परिवहन वर्गीकरण कर दिया गया था। उत्तर से यह पता चला कि जब शुल्क की दरों में परिवर्तन होता है तो पूर्व प्रवेश निर्धारण का पुनरीक्षण करने की क्रियाविधि का पालन नहीं किया गया है। इसके कारण 3,43,607 रु० का अतिरिक्त उद्ग्रहण हुआ, जिसकी राजस्व और बैंकिंग विभाग द्वारा पुष्टि कर दी गई है।

12. मालगोदाम में रखे सामान के हटाए जाने संबंधी नियमों का पालन न किए जाने के कारण शुल्क की वसूली न होना

मालगोदाम सामान (निष्कासन) विनियमन 1963 में व्यवस्था है कि जब सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 67 के अन्तर्गत सामान एक मालगोदाम से हटा कर अन्य उपनगर के अन्य मालगोदाम को ले जाना पड़ता है, उपयुक्त अधिकारी, निकासी की मांग करने वाले व्यक्ति से उस फार्म में और तरीके से जिसे वह उचित समझे, उद्ग्राह्य आयात शुल्क की राशि के बराबर की राशि के लिए बांड भरने को कह सकता है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि यदि बांड भरने वाला व्यक्ति तीन महीने या उस बढ़ाई गई अवधि के भीतर जिसकी उपयुक्त अधिकारी अनुमति दे, उसे गन्तव्य स्थान पर उपयुक्त अधिकारी द्वारा जारी किया गया ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर देता है कि सामान उस स्थान पर पहुंच गया है, तो बांड का उन्मोचन कर दिया जायगा अन्यथा उस सामान पर जिस के संबंध में उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तब उद्ग्राह्य आयात शुल्क के बराबर की राशि जव्त कर ली जायेगी। ये नियम, बिना उचित प्रलेखन और शुल्क की अदायगी के ही सामान को दूसरी जगह ले जाए जाने की रोकथाम किए जाने के विचार से बनाए गए हैं।

एक मुख्य सीमा गृह में यह देखने में आया था कि जिन मामलों में सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 67 के अन्तर्गत विभिन्न उपनगरों में सामान को मुख्य पत्तन के एक मालगोदाम से दूसरे मालगोदामों को

अन्तरित किया गया था, उनके संबंध में जनवरी 1969 से दिसम्बर 1974 तक की अवधि के दौरान निष्पादित किए गए 178 बांडों को 31 मार्च, 1976 तक रद्द किया गया था और गन्तव्य स्थान के उपयुक्त अधिकारी से आगमन (उतराई प्रमाण-पत्र) प्रमाण-पत्र भी प्राप्त नहीं हुए थे ।

यद्यपि इन सभी मामलों में उतराई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के लिए 3 महीने (बांड के निष्पादन की तारीख से) की निश्चित अवधि बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी, फिर भी न तो उपयुक्त अधिकारी द्वारा प्रलेखों के प्रस्तुतीकरण की अवधि ही बढ़ाई गई थी (जैसा कि प्रतिभूमि बाण्ड रजिस्टर से पता चला) और न ही अभी तक विभाग ने विनियमन की शर्तों के अनुसार बाण्ड के उपबंधों के आधार पर पार्टियों से सामान पर शुल्क वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही की थी ।

उपरोक्त मामलों में 3,11,92,409 रु० का शुल्क अन्तर्ग्रस्त था ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने उत्तर में बताया कि 132 बाण्डों के संबंध में कार्यवाही पूरी कर ली गई है और इन्हें रद्द कर दिया गया है तथा शेष 46 बाण्डों के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

13. सीमा पर अनिर्दिष्ट क्षेत्र से निर्दिष्ट क्षेत्र को चांदी का अंतरण

लेखापरीक्षा में यह देखने में आया था कि पांच वर्ष की अवधि (1971—75) के दौरान तीन व्यापारियों ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अध्याय iv-ख के अन्तर्गत 1.80 करोड़ रु० मूल्य की चांदी का जो एक निर्दिष्ट पदार्थ है, राज्य 'क' में 'अनिर्दिष्ट क्षेत्र' से राज्य 'ख' में एक हजार मील से भी अधिक दूर के 'निर्दिष्ट क्षेत्र' को अंतरण कर दिया था । टुलाई कार्य सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रलेखों के आधार पर किया गया था । चूंकि चांदी की मात्रा पर्याप्त थी और 'अनिर्दिष्ट क्षेत्र' जहां से इसे लाया गया था, एक पड़ोसी देश के निकटवर्ती (साथ लगता हुआ) था, अतः विभाग से बताने का अनुरोध किया गया था कि क्या चांदी की अधिप्राप्ति के स्रोत की जांच की गई थी । स्थानीय

कलक्टर ने बताया कि व्यापारियों ने अपने लेखाओं में चांदी की अधिप्राप्ति का स्रोत पड़ोसी क्षेत्रों में ग्रामवासियों से प्रयुक्त और टुटे फुटे आभूषणों की खरीद के रूप में दिखाया था। उसने आगे बताया है कि सीमान्त क्षेत्र में, चांदी के गुप्त रूप से आयात करने की संभावना से भी पूर्णतः इन्कार नहीं किया जा सकता।

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 11.ज(ग) द्वारा निहित शक्तियों के अन्तर्गत सरकार ने 3 जनवरी 1969 को अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर और मद्रास राज्यों तथा गोवा, दमन, दीव और पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों की सीमा के भीतर आने वाले ऐसे अन्तर्देशी क्षेत्रों को जो भारत के तट से चौड़ाई में पचास किलोमीटर थे, जिसमें आसानी से की जा सकने वाली तस्करी को ध्यान में रखते हुए, 'निर्दिष्ट क्षेत्र' अधिसूचित कर दिया गया है। उपरोक्त निर्दिष्ट राज्य 'क' में सीमान्त क्षेत्र, जो यद्यपि तस्करी के मामले में असुरक्षित थे, को निर्दिष्ट क्षेत्रों की सूची में शामिल न किए जाने के कारण विभाग द्वारा कोई प्रभावी निगरानी या नियंत्रण रखना अव्यवहार्य हो गया था। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिसूचना में तट से चौड़ाई में पचास किलोमीटर के कुछ क्षेत्र ही शामिल किए गए थे और पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली सीमांत भूमि को इसमें शामिल नहीं किया गया था

यदि 1.80 करोड़ रु० मूल्य की इस चांदी का आयात प्राधिकृत ढंग से किया गया होता तो इस पर 100 प्रतिशत यथामूल्य परमूल आयात शुल्क लगाया जाता।

राजस्व और बैंकिंग विभाग जिसे पैराग्राफ अक्टूबर 1976 में भेजा गया था, का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1977)।

14. क्रोम शोधित (टेंड) चमड़े के निर्यात पर सीमा शुल्क की हानि

निर्यात टैरिफ की मद 26 के अन्तर्गत सभी प्रकार के शोधित और अशोधित चर्म, खाल और चमड़ों पर सीमा निर्यात शुल्क उदग्रहय होता है। सरकार ने 7 फरवरी 1968 की अधिसूचना द्वारा अन्य बातों के साथ बकरी, भेड़ और गोजातीय पशुओं के चमड़े और बछड़ा खालों को छोड़ कर गोजातीय पशुओं के शोधित चर्म को शुल्क मुक्त कर दिया।

उपरोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत बकरी और भेड़ के शोधित चर्म पर निर्यात शुल्क की छूट नहीं दी जा सकती थी। सीमा शुल्क विभाग के लिए यह सुनिश्चित करना कठिन था कि उनमें से कुछ का क्या केवल आंशिक संसाधन ही किया जाना था या वे पूर्ण संसाधन के अध्यधीन थे, जिससे कि चमड़े की वस्तुएं बनाए जाने में उनका तुरन्त प्रयोग किया जा सके, क्योंकि चमड़े का पूर्ण संसाधन किया जाना इस बात पर निर्भर करता था कि उसका प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाना अभिप्रेत था।

लेखापरीक्षा में यह देखने में आया था कि पिछले वर्ष की तुलना में 1972-73 में तैयार चमड़े के निर्यात में 800 प्रतिशत वृद्धि अर्थात् 16.91 लाख किलोग्राम से बढ़कर 138 लाख किलोग्राम हो गई थी, जबकि उस अवधि के दौरान तैयार चमड़े की यूनिट मूल्य वसूली में 44 प्रतिशत कमी हो गई थी, अर्थात् 21.29 रु० से घटकर 11.98 रु० प्रति किलोग्राम, इसका मुख्य कारण यह था कि मात्रा का 85 प्रतिशत और 1972-73 में निर्यात किए गए तैयार चमड़े के सामान का 59 प्रतिशत "अन्य क्रोम शोधित चमड़ा" कहलाने वाली मद में शामिल कर दिया गया था, जिसका वर्गीकरण "तैयार चमड़ा" के अन्तर्गत किया गया था। तैयार चमड़ा और चमड़ा विनिर्माताओं की निर्यात परिषद, कानपुर ने स्वीकार किया कि इस मद की सही तकनीकी विशिष्टि ज्ञात नहीं थी और आयात करने वाले देशों में इनका और संसाधन किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया गया था। 1972-73 में इस मद की यूनिट मूल्य वसूली केवल 8.23 रु० प्रति किलोग्राम थी जबकि पूर्व भारत के शोधित चमड़े और क्रोम शोधित गीले नीले चमड़े की औसत यूनिट मूल्य वसूली क्रमशः 33.38 रु० और 18.11 रु० प्रति किलोग्राम थी। बिना निर्यात शुल्क के निर्यात किए गए 'अन्य क्रोम शोधित चमड़े' की कुल मात्रा ज्ञात नहीं थी। तथापि, यह अनुमान लगाया गया था कि वर्ष 1972-73 और 1973-74 के लिए इसके फलस्वरूप 1.29 करोड़ रु० के निर्यात शुल्क की हानि होगी और आयात पुनः पूर्ति की अधिक हकदारी 25 लाख रु० तक की होगी।

राजस्व और वैकिंग विभाग ने बताया है कि 'अन्य क्रोम शोधित चमड़े' का तैयार चमड़े के रूप में निर्धारण नहीं किया गया है और गोजातीय पशुओं के गीले नीले क्रोम शोधित चर्म/खालों की जिन कुछ किस्मों को उसमें शामिल किया गया था उन्हें बिना शुल्क लगाए पास कर दिया गया था, परन्तु तैयार चमड़े के रूप में नहीं।

तथापि विभाग ने तैयार चमड़े की यूनिट मूल्य वसूली में हुई अत्यधिक कमी के कारण स्पष्ट नहीं किए हैं, जिससे कि 1972-73 के दौरान निर्यात शुल्क की वसूली (निर्यात की गई मात्रा में आठ गुणा वृद्धि होने के बावजूद) प्रभावित हुई है। उन्होंने 'अन्य शोधित क्रोम चमड़े', 'तैयार चमड़े' और अन्य किस्मों के चमड़े की सही तकनीकी विशिष्टि भी सूचित नहीं की है जिसके संदर्भ में सीमा शुल्क गृह ने वर्गीकरण निर्धारित किया और पारस्परिक अनन्यता सुनिश्चित की।

15. विमानन टरबाइन ईंधन पर आयात शुल्क की वसूली में विलम्ब

विदेशी उड़ान पर जाने वाले वायुयान की टंक्रियों में बचे विमानन टरबाइन ईंधन के उस अंश पर उस समय आयात शुल्क लगता है जब उनका विदेशी उड़ानों से घरेलू उड़ानों में परिवर्तन किया जाता है। घरेलू उड़ानों में प्रयुक्त करने के लिए किसी विदेशी पत्तन से लिए गए विमानन टरबाइन ईंधन पर भी आयात शुल्क लगता है।

कलकत्ता हवाई अड्डे में मार्च 1971 से सितम्बर 1973 की अवधि के लिए रंगून में लिये गए और कलकत्ता से रंगून और वापसी की विदेशी उड़ानों के संबंध में भारतीय एयर लाइन्स के वायुयानों की टंक्रियों में बचे विमानन टरबाइन ईंधन पर 99,924 रु० का आयात शुल्क बिना वसूल हुआ पड़ा था। पोर्ट बलेयर या कलकत्ता हवाई अड्डों पर उतरने के समय विमानन टरबाइन ईंधन (रंगून में लिया गया) की बची मात्रा पर मार्च 1969 से सितम्बर 1975 की अवधि के लिए कलकत्ता से पोर्ट बलेयर बरास्ता रंगून, और कलकत्ता को सीधी वापसी तथा कलकत्ता से पोर्ट बलेयर बरास्ता रंगून और कलकत्ता को बरास्ता रंगून वापसी की उड़ानों के संबंध में 7,11,354 रु० के आयात शुल्क की मांग भी बकाया पड़ी


थी। तथापि जून 1972 से अगस्त 1972 की अवधि के लिए कलकत्ता से पोर्ट बलेयर बरास्ता रंगून और कलकत्ता को सीधी वापसी उड़ानों के संबंध में, पोर्ट बलेयर के हार्बर मास्टर से अपेक्षित सूचना न मिलने के कारण अभी तक कोई मांग नहीं की गई है।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने उत्तर में बताया कि 8,11,278 रु० की बकाया मांगों में से अभी तक 99,924 रु० की राशि की वसूली की जा चुकी है और भारतीय एयर लाइन्स कारपोरेशन से शेष राशि की वसूली करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। कलकत्ता से पोर्ट बलेयर बरास्ता रंगून और कलकत्ता को सीधी वापसी की उड़ानों के संबंध में जून 1972 से अगस्त 1972 की अवधि के लिए उद्ग्राह्य शुल्क के संबंध में, राजस्व और बैंकिंग विभाग ने उत्तर में बताया कि पोर्ट बलेयर के हार्बर मास्टर से अपेक्षित सूचना प्राप्त हो गई है और उपयुक्त मांग कर दी गई है।

16. प्रलेखों की लेखापरीक्षा में विलम्ब के फलस्वरूप राजस्व की हानि

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 में यह निर्दिष्ट है कि शुल्क की अदायगी की तारीख से 6 महीने की निश्चित अवधि (सरकारी भण्डारों के मामले में, मासिक लेखाओं की उच्चत सूची में शुल्क दर्ज किए जाने की तारीख से छः मास) निर्दिष्ट है उस अवधि के भीतर विभाग को शुल्क के ऐसे अंश को वसूल करने के लिए मांग नोटिस जारी करना चाहिए जो शुल्क न लगाए जाने अथवा कम लगाए जाने के कारण जैसा भी मामला हो, निर्धारण से छूट गया है। अतः यह अनिवार्य है कि इससे पहले कि अधिनियम के अनुसार छूट जाने वाले राजस्व की मांग, कालातीत हो, सीमा शुल्क गृह में आयात पत्र की लेखापरीक्षा कर ली जानी चाहिए।

(i) फरवरी 1971 में एक मुख्य सीमा शुल्क गृह के माध्यम से केन्द्रीय सरकार की एजेन्सी द्वारा आयातित परेषण जिसे 'ढलाई मिश्रण और ढलाई पाउडर' बताया गया था, शुल्क के लिए भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ की मद 87 के अन्तर्गत 60 प्रतिशत यथामूल्य की दर पर निर्धारित किया गया। शुल्क को मासिक लेखाओं की उच्चत सूची में अप्रैल 1972 में शामिल किया गया था। सीमा शुल्क गृह के आन्तरिक लेखापरीक्षा



विभाग में आयात पत्र जनवरी 1973 में प्राप्त हुआ था; परन्तु आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग ने केवल फरवरी 1975 में ही यह बताया कि रासायनिक परीक्षण या उत्पाद के संघटन और उपयोग को सूचित करने वाले किसी साहित्य के अभाव में आयातित सामान भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ की मद 82(3) के अन्तर्गत 100 प्रतिशत यथामूल्य पर शुल्क के लिए और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 15 क के अन्तर्गत 36 प्रतिशत यथामूल्य पर अतिरिक्त शुल्क के लिए निर्धार्य था। मूल (सीमा शुल्क) शुल्क के संबंध में अव-निर्धारण और अतिरिक्त शुल्क न लगाए जाने के कारण राजस्व की संभावित छूटी हुई राशि जैसा कि आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा बताया गया था, 7,17,188 रु० हुई। तथापि, जिस समय यह चूक विभाग के ध्यान में आई तब तक वसूली कालातीत हो चुकी थी। कम वसूल किए गए शुल्क की ऐच्छिक अदायगी के लिए विभाग ने जो मांग की उसे आयातकर्ता एजेन्सी द्वारा इस तर्क के आंधार पर स्वीकार नहीं किया गया था कि अधिनियम के अन्तर्गत वह मांग कालातीत हो गई थी।

सीमा शुल्क गृह के एक विभाग से दूसरे विभाग को आयात पत्र प्रेषण में पर्याप्त विलम्ब हुआ था जिससे आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग में आयात पत्र देर से प्राप्त हुआ। इस प्रकार लेखापरीक्षा विभाग में आयात पत्र की शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित न किए जाने के फलस्वरूप 7,17,188 रु० के राजस्व की हानि हुई।

इस मामले में लेखापरीक्षा के लिए आयात पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा मामले में आगे कार्यवाही करने के लिए, लिए गए समय में दो वर्ष से भी अधिक समय की वृद्धि की गई थी।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(ii) जून 1970 में सीमा शुल्क गृह के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी एजेन्सी द्वारा आयातित 'सामान्य जहाजी माल' विवरण वाले परेषण में, विशेष रूप से ऊंचाई पर सुविधापूर्वक उड़ान भरने के विचार से पायलटों के प्रयोग के लिए बनाए गए कुछ दबाव सूट शामिल थे। अक्टूबर 1970

में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रेषण की निकासी बिना शुल्क लगाए कर दी गई थी। सीमा शुल्क गृह के आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग के सम्बद्ध आयात पत्र लेखापरीक्षा के लिए जुलाई 1971 में प्राप्त हुए थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग ने ध्यान दिलाया कि यद्यपि 'सामान्य जहाजी' माल के रूप में बताया गया सामान वास्तव में पायलटों के परिधान थे और इसलिए ये भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ की मद 52(2) के अन्तर्गत वर्गीकरणीय थे, और कम उदग्रहण की राशि 2,12,363 रु० बनती थी। आगे जांच किए जाने पर विभाग ने निर्णय किया कि चूंकि आयातित सामान विशेष रूप से ऊंचाई पर पायलटों के प्रयोग के लिए बनाए गए गुरुत्व-रोधी सूट थे, अतः उनका निर्धारण भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ की मद 77 के अन्तर्गत किया जाना चाहिए था। परिणामी कम उदग्रहण की राशि 1,27,418 रु० बनी।

शुल्क के न लगाए जाने के विषय में आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग के ध्यान दिलाए जाने के फलस्वरूप, विभाग ने भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ की मद 52(2) के अन्तर्गत शुल्क के उदग्रहण के लिए 22 जुलाई 1971 को आयातकर्ता को 2,12,363 रु० की कम शेयर संबंधी मांग जारी की, जिसे बाद में (20 सितम्बर, 1974) भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ की मद 77 के अन्तर्गत 1,27,418 रु० के अव-उदग्रहण के लिए संशोधित कर दिया गया था। तथापि, आयातकर्ता एजेन्सी ने मांग स्वीकार करने से इन्कार कर दिया क्योंकि मूलतः जारी की गई कम प्रभार मांग ही अधिनियम की धारा 28(1) के अनुसार कालातीत हो गई थी। आयातकर्ता के साथ बाद में हुए पत्राचार के बावजूद भी आयातकर्ता द्वारा छूटे हुए शुल्क की स्वैच्छिक अदायगी नहीं की गई थी। बाद में कालातीत मांगों के संबंध में विभाग द्वारा लिए गए नीति निर्णय के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि को बट्टे खाते डालने का निर्णय किया गया था क्योंकि पार्टी ने स्वैच्छा से मांग की अदायगी करने से इन्कार कर दिया था।

सीमा शुल्क गृह के एक विभाग से दूसरे विभाग में आयात पत्र भेजे जाने में पर्याप्त विलम्ब हुआ था, जिससे आन्तरिक लेखापरीक्षा का उद्देश्य

विफल हो गया था। आन्तरिक लेखापरीक्षा में आयात पत्रों की शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित न होने के फलस्वरूप 1,27,418 रु० के राजस्व की हानि हुई।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

17. नीलाम बिक्री में बेची गई जब्तशुदा औषधि के अवमूल्यांकन के कारण राजस्व की हानि

एक सीमा शुल्क गृह ने जुलाई 1974 में जब्त किए गए 280 किलोग्राम (निवल) 'फरुस्माइड' का मूल्य (औषध नियंत्रण विभाग द्वारा सूचित लागत बीमा भाड़ा मूल्य 525 रु० प्रति किलोग्राम पर) 2.80 लाख रु० निर्धारित किया और मुखबर को 4000 रु० का अग्रिम पुरस्कार अदा किया। तथापि औषध को 13 मार्च 1975 को हुए नीलाम में बेचे जाने के समय, खेप का उचित आरक्षित मूल्य केवल 40,000 रु० निर्धारित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 'वास्तविक प्रयोक्ता' को की गई बिक्री से केवल 33,100 रु० प्राप्त हुए थे। मूल्यांकन समिति द्वारा कुछ सामान के क्षतिग्रस्त हो जाने के अतिरिक्त और कोई कारण दर्ज नहीं किया गया था, यद्यपि बोली देने वाले द्वारा दवाई के विनिर्माण में प्रयोग करने के लिए समूची मात्रा की खरीद की गई थी।

सीमा शुल्क गृह के अनुसार नीलाम में बेची गई औषधि की उतराई पर लागत लगभग 2,64,600 रु० बनती जबकि नीलाम के समय इसका सुनिश्चित लागत बीमा भाड़ा मूल्य 1,47,000 रु० था। इस प्रकार औषधि के सही वसूली योग्य मूल्य निर्धारण करने में विभाग की चूक के कारण विभाग के अपने अनुमान के अनुसार (लगभग) 2,31,500 रु० के राजस्व की हानि हुई।

सरकार द्वारा अगस्त 1974 में जारी किए गए उन अनुदेशों का भी नीलाम में उल्लंघन किया गया था जिनके अनुसार जब्तशुदा दवाइयों/ औषधियों को बिक्री के लिए सर्व प्रथम सरकारी उपक्रमों को दिए जाने का प्रस्ताव किया जाना चाहिए और यदि उपक्रम विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य पर उन्हें खरीदने के लिए तैयार न हो तभी उन्हें नीलाम में 'वास्तविक

उपभोक्ताओं' को बेचा जाना था। यद्यपि 'फरस्माइड' आयात की सरणी-बद्ध मद है, विभाग ने इस बात के बावजूद भी कि वास्तविक निपटान पांच महीने के विलम्ब के पश्चात् हुआ था, न तो राज्य व्यापार निगम जो कि एक मात्र आयातकर्ता हैं, से ही कोई पूछताछ की गई और न ही किसी समय किसी सरकारी उपक्रम को ही सामान देने का प्रस्ताव किया।

लेखापरीक्षा द्वारा यह ध्यान दिलाए जाने पर (सितम्बर, 1975), विभाग ने स्वीकार किया (फरवरी 1976) कि स्पष्ट रूप से सामान का मूल्यांकन किए जाने में कुछ गम्भीर निर्णायक गलतियां की गई थीं और दायित्व निर्धारित करने और उचित कार्यवाही किए जाने के लिए मामला जांचाधीन था।

राजस्व और बैंकिंग विभाग को पैराग्राफ अगस्त 1976 में भेजा गया था, उसका उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1977)।

18. जन्तुशुदा माल --टिक्किंग मशीनों की हानि

1967 में एक मुख्य पत्तन में, जापानी स्टेपलरों की 21 पेटियों और टिक्किंग मशीनों की 15 पेटियों के दो परेषणों का आयात किया गया था। चूंकि टिक्किंग मशीनों के लिए वैध आयात लाइसेंस नहीं था, अतः मुख्य सीमा शुल्क गृह द्वारा आयातकर्ताओं को यह विकल्प देकर उन मशीनों को जन्तु कर लिया गया था कि 98,000 रु० के जुर्माने की अदायगी कर के मशीनों को छोड़ा सकते हैं। क्योंकि आयातकर्ताओं द्वारा इस विकल्प का उपयोग नहीं किया गया था, अतः सीमा शुल्क गृह द्वारा जनवरी 1968 में पत्तन न्यास से टिक्किंग मशीनों वाली पेटियों को अपने कब्जे में ले लिया गया था।

सीमा शुल्क गृह द्वारा सामान का निपटान किए जाने के लिए पेटियां 1974 में खोली गई थी। तभी यह देखने में आया था कि पन्द्रह पेटियों में से एक छोटे आकार की पेटि में टिक्किंग मशीनों की बजाए केवल स्टेपलर ही रखे थे। यह संदेह किया गया था कि पेटि पर लगे चिन्हों में हेर फेर किया गया था और एक टिक्किंग मशीनों वाली पेटि की स्टेपलरों वाली पेटि के बदले में निकासी की गई थी। तथापि

सीमा शुल्क गृह द्वारा पत्तन परिसर से माल हटाए जाने के समय इस असंगति की ओर ध्यान नहीं दिया गया था।

टिकिटिंग मशीन की एक पेटी के मूल्य और स्टेपलरों की एक पेटी के मूल्य के बीच (लगभग) 20,000 रु० का अन्तर होने का अनुमान लगाया गया था। लेखापरीक्षा को इस हानि की सूचना मार्च 1975 में भेजी गई थी।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने उत्तर में बताया है कि यह पत्तन न्यास द्वारा गलत सुपुर्दगी किए जाने का मामला प्रतीत होता है और चूंकि इन दो परेषणों का आयात 1967 में किया गया था, अतः इस अवस्था में विस्तृत जांच करना संभव नहीं है।

19. जहाजों और वायुयानों को 5 वर्ष और उससे अधिक समय के लिए बन्द न किया जाना

माल सूची निकासी विभाग की केन्द्रीय नियम पुस्तक में अन्य बातों के साथ साथ यह व्यवस्था है कि सामान्यतया एक जहाज की फाइल जलयान के आगमन की तारीख से 10 महीने के भीतर बन्द कर दी जानी चाहिए और उसे लेखापरीक्षा के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग को भेज देना चाहिए। प्रत्येक मास अन्तिम रूप से बन्द की गई मालसूची, परवर्ती महीने की पहली तारीख को आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग और सीमा शुल्क राजस्व लेखापरीक्षा को भेजी जानी होती है। प्रत्येक महीने की 15 तारीख को पिछले महीने में निपटाई गई आयात फाइलों की संख्या और निपटान के लिए शेष फाइलों की संख्या को दर्शाने वाली प्रगति रिपोर्ट तैयार की जानी होती है और सहायक कलक्टर और कलक्टर की सूचना के लिए प्रस्तुत करनी होती है।

चार मुख्य सीमा गृहों में रखे गए माल सूची रजिस्ट्रों के पुनरीक्षण से पता चला कि बहुत से जहाजों की फाइलें कई वर्षों से बन्द नहीं की

गई हैं। नीचे दिए गए विवरण में ऐसी फाइलों की संख्या दर्शाई गई है जो पांच वर्ष से भी अधिक समय से अन्तिम रूप से बन्द नहीं की गई हैं :—

जिस वर्ष से फाइल संबंधित है	बन्द नहीं की गई आयात फाइलों की संख्या	बंद नहीं की गई निर्यात फाइलों की संख्या
1965 तक	596	2
1966	202	..
1967	1831	58
1968	240	262
1969	1276	261
1970	783	219
जोड़	4928	802

जहाजों/वायुयानों की फाइलों को बंद किए जाने में विलम्ब होने के कारण मांगों के दावे ध्यान में नहीं रहते।

ऊपर उल्लिखित तथ्यों की पुष्टि करते समय, राजस्व और बैंकिंग विभाग ने उत्तर में बताया कि जिन कारणों से जहाजों की फाइल बंद किए जाने में विलम्ब हुआ, वे निम्नलिखित हैं :—

- (i) पत्तन न्यास से निकासी रिपोर्ट देर से प्राप्त हुई, जिससे स्टीमर एजेंटों को भेजे जाने वाले कारण बताओ पत्रों (सीमाओं) को तैयार करने में विलम्ब होता है,
- (ii) सामान्यतया स्टीमर एजेंट कारण बताओ पत्र का उत्तर देने और प्रत्येक मद के संबंध में कमी का कारण बताने के लिए अपेक्षित प्रलेख प्रस्तुत करने के लिए बहुत समय लेते हैं, और
- (iii) यदि इन कमियों के अन्तिम रूप से कारण नहीं बताए जाते हैं, तब सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 116 के अन्तर्गत अर्थ दण्ड लगाया जाता है। स्टीमर एजेंट अर्थ दण्ड की अदायगी करने के लिए अतिरिक्त समय लेते हैं।

20. अनन्तिम रूप से निर्धारित आयात पत्र को अन्तिम रूप दिए जाने में विलम्ब

ठेका कार्यविधि संबंधी आयात पत्रों से इतर आयात पत्रों के अनन्तिम निर्धारण के मामले में, विभागीय नियम पुस्तक में इस आशय के अनुदेश दिए गए हैं कि अनन्तिम निर्धारण की तारीख से दो महीने के भीतर अन्तिम निर्धारण किया जाना चाहिए और अत्यधिक अपवादस्वरूप मामलों में ही समय एक महीना आगे बढ़ाया जा सकता है तत्पश्चात् तदर्थ अन्तिम रूप दिए जाने और अनन्तिम शुल्क बांड की शर्तों को लागू किए जाने पर विचार किया जाता है ।

तीन सीमा शुल्क गृहों में रखे गए अनन्तिम निर्धारण रजिस्ट्रों के पुनरीक्षण से पता चला कि अन्तिम नहीं किए गए अनन्तिम निर्धारण मामलों, ठेकों और अन्य मामलों की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है :—

मामलों का प्रकार	वह अवधि जिससे मामले संबंधित थे	मामलों की संख्या	सामान का मूल्य (करोड़ रु०में)
मशीनरी ठेका	1961 से 1965	82	78.02
परियोजना ठेका	1966 से 1974	585	175.55
बांड मामले आयात	1965 से 1975	1901	124.41
बांड मामले निर्यात	1968 से 1974	95	0.59

राजस्व और बैंकिंग विभाग को पैराग्राफ नवम्बर 1976 में भेजा गया था, उसका उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1977) ।

21. सीमा शुल्क की बकाया राशि*

31 अक्टूबर 1976 को 31 मार्च 1976 तक की अवधि के लिए कुल 3.66 करोड़ रु० का सीमा शुल्क वसूल नहीं हुआ था । जबकि

*राजस्व और बैंकिंग विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े ।

पिछले वर्ष में तदनुरूपी अवधि के लिए इसकी राशि 76.17 लाख रु० थी। इसमें से 46.08 लाख रु० की राशि एक वर्ष से भी अधिक समय से बकाया चली आ रही है।

उन मामलों के संबंध में सूचना प्रतीक्षित (फरवरी 1977) है जिनमें मांग तो कालातीत हो गई है परन्तु विभाग द्वारा स्वैच्छिक अदायगी के लिए अनुरोध किया गया है और 31 मार्च 1976 को वसूली बकाया रहती है।

22. सीमा शुल्क राजस्व* की छूट और परित्याग

(i) वर्ष 1975-76 के दौरान छूट दिए गए, बट्टे खाते डाले हुए अथवा परित्याग किए गए हुए सीमा शुल्क राजस्व की कुल राशि 3.12 लाख रु० है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान तदनुरूप राशि निम्नलिखित है :—

वर्ष	राशि (रु०)
1972-73	12,19,636
1973-74	3,41,361
1974-75	10,86,756

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(2) के अन्तर्गत 1975-76 के दौरान जारी किए गए छूट के आदेशों की संख्या से संबंधित सूचना और उसमें अन्तर्गत राशि, जोकि राजस्व और बैंकिंग विभाग से अक्टूबर 1976 में मंगाई थी प्रतीक्षित है (फरवरी 1977)

*राजस्व और बैंकिंग विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े।

अध्याय II

संघ उत्पाद-शुल्क

23. 1975-76 के दौरान संघ उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत प्राप्तियां 3,844.78 करोड़ रु० थी। पिछले पांच वर्षों की प्राप्तियां एवं उन वस्तुओं की तदनुरूपी संख्या, जिन पर केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत उत्पाद-शुल्क उद्ग्राह्य था, नीचे दर्शाई गई है:—

वर्ष	संघ उत्पाद-शुल्क के अन्तर्गत प्राप्तियां (करोड़ रुपयों में)	उन वस्तुओं की संख्या जिन पर उत्पाद-शुल्क उद्ग्राह्य था
1971-72 . . .	2,061.10	116
1972-73 . . .	2,324.25	120
1973-74 . . .	2,602.13	124
1974-75 . . .	3,230.51	128
1975-76 . . .	3,844.78	130

24. 1975-76 की प्राप्तियों के ब्यौरे और 1974-75 के तदनु-रूपी आंकड़े नीचे दिए गए हैं:—

038-संघ उत्पाद-शुल्क	वास्तविक आंकड़े	
	1974-75 रु०	1975-76 रु०
क. प्रभाज्य शुल्क : मूल उत्पाद-शुल्क .	26,67,49,32,434	31,88,33,29,891
विशेष उत्पाद-शुल्क .	(—) 6,08,308	844
खनिज उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क .	1,35,02,95,385	1,33,14,88,041
जोड़ (क)	28,02,46,19,511	33,21,48,18,776

ख. राज्यों को समनुदेशित शुल्क, विक्रय कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क	1,86,18,79,470	2,27,46,61,368
जोड़ (ख)	1,86,18,79,470	2,27,46,61,368
ग. अप्रभाज्य शुल्क :		
विनियामक उत्पाद-शुल्क	5,25,793	9,03,36,201
सहायक उत्पाद-शुल्क	2,00,04,64,677	2,49,16,04,298
विशेष उत्पाद-शुल्क .	2,36,126	1,99,188
अन्य शुल्क .	1,80,78,784	4,83,569
जोड़ (ग)	2,01,93,05,380	2,58,26,23,256
घ. वस्तुओं पर उपकर	63,15,70,805	82,62,17,524
ङ. अन्य प्राप्तियां	(—) 23,22,38,488	(—) 45,05,56,113
जोड़-मुख्य शीर्ष	32,30,51,36,678	38,44,77,64,811

25. 1975-76 के लिए बजट की मुख्य विशेषताएं

(क) उत्पाद शुल्क के क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय उत्पादों को लाने के अतिरिक्त विद्यमान टैरिफ मदों में वृद्धि/संशोधन करके ऐसी सब वस्तुओं को उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत लाने के लिए जो अनुसूची में और कहीं विनिर्दिष्ट नहीं की गई है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कराधान में प्रयोग के रूप में नए सिद्धान्त को लागू करने के लिए एक नई टैरिफ मद जोड़ी गई थी, जिससे प्रतिवर्ष 24.00 करोड़ रु० की आय होने का अनुमान था।

(ख) अविनिर्मित तम्बाकू की कतिपय किस्मों के मामले के सिवाए सहायक उत्पाद शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था।

(ग) अन्य महत्वपूर्ण सुझावों में निम्नलिखित बातें शामिल थीं :—

- (i) बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से निर्यात के लिए अधिक मात्रा सुनिश्चित करने के लिए देशी बाजार में खुली बिक्री वाली चीनी, चाय और सीमेण्ट जैसी वस्तुओं की खपत को कम करने का प्रयास।
- (ii) कर-व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने के लिए और राजस्व में वृद्धि करने के उपाय के रूप में कपड़े की बजाय धागे की अवस्था में आंशिक रूप से शुल्क लगाकर रेयन और संश्लिष्ट धागे/वस्त्र पर शुल्क की दरों का पुनर्समायोजन।
- (iii) दो स्तरों पर शुल्क की व्यवस्था करके कपड़े के टुकड़ों और चिथड़ों की निकासी के लिए रियायती दरों का अनुचित लाभ प्राप्त करने की बुराई को दूर करना।
- (iv) पेट्रोलियम उत्पादों के प्रयोग में अधिक मितव्ययिता और कुशलता में वृद्धि करने के लिए उन पर शुल्क का बढ़ाया जाना।
- (v) ग्रामोफोनों, रिकार्ड प्लेयर्स, टेप रिकार्डों, स्थायी मैग्नेटों और वाहनों में काम आने वाले टायरों जैसी मर्चों से संबंधित टैरिफ सूची और छूट अधिसूचनाओं की युक्तिसंगत व्यवस्था करना।

(घ) 30 अप्रैल 1975 को लोक सभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण में कतिपय रियायतों की घोषणा की। प्रस्तावित किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित थे :—

- (i) डी० एम० टी० पर वर्तमान यथामूल्य शुल्क का हटाया जाना;
- (ii) मूल्य को ध्यान में न रखते हुए कृत्रिम रेशमी कपड़ों पर मूल उत्पाद-शुल्क की छूट का दिया जाना।

26. 1975-76 के दौरान कुल 130 वस्तुओं में से निम्नलिखित अठारह वस्तुओं जिन पर, उत्पाद=शुल्क लगाया जाना था, से 50 करोड़ रु० से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर इनसे प्राप्त शुल्क निवल प्राप्तियों* का लगभग 75 प्रतिशत से अधिक बनता है :—

(करोड़ रुपयों में)

1. मोटर स्पिरिट	404.06
2. सिगरेट	329.08
3. परिष्कृत डीजल तेल और वाष्पीय तेल	299.61
4. रेयन और संश्लिष्ट रेशा और धागा	241.33
5. लोहा और इस्पात उत्पाद	228.27
6. खंडसारी से भिन्न चीनी	224.95
7. मिट्टी का तेल	160.19
8. सीमेंट	139.49
9. टायर और ट्यूबें	134.59
10. सूती कपड़े	108.95
11. अविनिर्मित तम्बाकू	92.19
12. ऐलुमिनियम	89.05
13. उर्वरक	81.66
14. कृत्रिम संश्लिष्ट रेजिन (राँल) और प्लास्टिक का सामान और उसकी बनी प्लास्टिक की वस्तुएं	75.68
15. सूत की डोरी, सूत और धागे, सभी प्रकार के	73.34
16. मोटर गाड़ियां	71.00
17. कागज	61.67
18. चाय	59.47
जोड़	2874.58

*राजस्व और बैंकिंग विभाग द्वारा सूचित किए गए आंकड़े (अनन्तिम) (जनवरी 1977)।

27. बजट प्राक्कलनों और वास्तविक आंकड़ों में अंतर

वर्ष 1975-76 के बजट अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां और अन्तर तथा पिछले तीन वर्षों के तदनुसूची आंकड़े नीचे दिए गए हैं:—

वर्ष	बजट अनु- मान	वास्तविक आंकड़े	अन्तर	प्रतिशतता
				(करोड़ रुपयों में)
1972-73 .	2464.75	2324.25	(—) 140.50	(—) 5.7
1973-74 .	2741.05	2602.13	(—) 138.92	(—) 5.07
1974-75 .	3184.34	3230.51	(+) 46.17	(+) 1.45
1975-76 .	3823.62	3844.78	(+) 21.16	(+) 0.55

28. संग्रहण की लागत

1975-76 के दौरान संघ उत्पाद-शुल्क के संबंध में राजस्व के संग्रहण पर किया गया व्यय और पिछले तीन वर्षों के तदनुसूची आंकड़े नीचे दिए गए हैं:—

वर्ष	संग्रहण	संग्रहण पर व्यय
		(करोड़ रुपयों में)
1972-73 .	2324.25	16.91
1973-74 .	2602.13	19.04
1974-75 .	3230.51	23.52
1975-76 .	3844.78	30.63

29. स्वतः निष्कासन क्रिया-विधि का लागू किया जाना

स्वतः निष्कासन क्रियाविधि के अन्तर्गत पहले से ही शामिल वस्तुओं के अतिरिक्त यह योजना टायर पट्टे (फ्लैप्स) संयोजन सेटों, बुना हुआ धागा (टैक्चर्ड यार्न), और अन्य कहीं विनिर्दिष्ट न की गई सभी अन्य वस्तुओं (टैरिफ मद 68) पर लागू कर दी गई थी। वीडियों, चवाने का तम्बाकू, नसवार और स्नफ एण्ड ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड के विनिर्माता परम्परागत नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करते थे।

30. लघु विनिर्माताओं द्वारा शुल्क की लेवी और संग्रहण की सरलीकृत क्रियाविधि

केन्द्रीय उत्पाद स्वतः निष्कासन क्रियाविधि समीक्षा समिति रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर 23 जनवरी, 1976 को जारी की गई सूचना के द्वारा सरकार द्वारा एक योजना लागू की गई थी जिसमें छोटे विनिर्माताओं पर निकासी आधारित नियंत्रण के लिए सरलीकृत क्रियाविधि विनिर्दिष्ट की गई थी। योजना जोकि केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ की 46 मदों पर 1 मार्च, 1976 से लागू की गई थी, की मुख्य विशेषताएं निम्न-लिखित थीं :—

- (i) विनिर्दिष्ट वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का 5 लाख रु० तक का वार्षिक उत्पादन करने वाले विनिर्माता इस योजना का लाभ उठा सकते थे।
- (ii) एक से अधिक विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माताओं या विनिर्दिष्ट और अविनिर्दिष्ट दोनों वस्तुओं के विनिर्माताओं के लिए उत्पादन की सीमा 10 लाख रु० निर्धारित की गई थी बशर्ते कि किसी विनिर्दिष्ट वस्तु का उत्पादन, 5 लाख रु० से अधिक नहीं होगा।
- (iii) गत निष्पादन के आधार पर निर्धारित मासिक शुल्क देयता जब किसी वर्ष में उत्पादित माल की टैरिफ दर या मूल्य में परिवर्तन गत निष्पादन से 50 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति को छोड़कर अगले तीन वर्षों के लिए अपरिवर्तित रहेगी।

योजना को अपनाने वाली विनिर्माण यूनिटों के लिए प्रलेखी नियंत्रण और विभागीय अभिलेखों ने अनुरक्षण के संबंध में भी योजना में परिवर्तन किया गया था।

31. नमूना लेखापरीक्षा परिणाम

सभी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टरियों में रखे गए अभिलेखों और लाइसेंसधारियों के मूल उत्पाद-शुल्क अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा

से अव-निर्धारण और 28.47 करोड़ रु० की राजस्व हानि का पता लगा।

लेखापरीक्षा में ध्यान में आए कुछ मामले निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं :—

शुल्क का अपवंचन/शुल्क लगने से बचना

32. रेयन और नकली रेशम के कपड़े

(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 173-घ में विनिर्माताओं पर अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्मित माल का उत्पादन करने के लिए अपेक्षित मुख्य कच्चे माल की मात्रा के संबंध में आवश्यक रूप से सूचना प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व डाला गया है। एक लाइसेंसधारी ने जिसने 1950 से ही उत्पादन करना आरम्भ कर दिया था, विनिर्मित उत्पाद की यूनिट मात्रा का विनिर्माण करने के लिए आवश्यक मुख्य कच्चे माल की मात्रा के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए थे। निर्धारित ने अपने अभिलेख उस तरीके से नहीं रखे थे जिससे उत्पाद-शुल्क विभाग के अधिकारी कच्चे माल और तैयार उत्पादों को स्वतंत्र रूप से सह-संबंधित करने में समर्थ हो सकते।

स्वतः निष्कासन क्रियाविधि (1969) के लागू किए जाने के पश्चात् इन उपबन्धों का महत्व बढ़ गया था क्योंकि उनसे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग को इस बात की जांच करने के लिए कि क्या लाइसेंसधारी घोषित उत्पादन खपत किए गए कच्चे माल को देखते हुए सही था, स्वतंत्र साधन उपलब्ध हो गए थे। इस दृष्टि से अन्तिम उत्पाद के साथ कच्चे माल की खपत को सह-संबंधित करने की आवश्यकता पर 1969 में केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा बल दिया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा कच्चे माल और तैयार उत्पाद के बीच संबंध की जांच करने की आवश्यकता की ओर मई, 1970 में लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाया गया था। फरवरी, 1974 में सहायक कलक्टर ने सूचित किया कि इस प्रकार का सह-संबंध सम्भव नहीं था क्योंकि लाइसेंसधारी ने धागे (मुख्य कच्चा माल) के लेखे भार में रखे थे और तैयार

उत्पाद के लेखे लम्बाई में रखे थे यद्यपि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली के नियम 55 में उसी मानक और यूनिट में इन लेखाओं के रखे जाने की व्यवस्था थी। तथापि, फरवरी, 1975 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर ने स्वीकार किया कि उपर्युक्त संबंध की जांच करना आवश्यक था और निर्धारण अधिकारी को उसे सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने का परामर्श दिया। किन्तु जुलाई, 1975 में यह पाया गया कि लाइसेंसधारी ने सम्भव सह-संबंध लाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी।

अप्रैल, 1971 में निरीक्षण निदेशक, सीमा शुल्क और उत्पाद-शुल्क द्वारा बताया गया था कि रेयन और नकली रेशम के कपड़ों के मामले में कच्चे माल की छीजन 0.9 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तक रहेगी। किन्तु लाइसेंसधारी द्वारा मार्च 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान लाइसेंसधारी द्वारा उत्पादन के मामले में यह देखने में आया कि छीजन 2.7 प्रतिशत से 3.2 प्रतिशत तक के बीच थी। जिसके परिणाम-स्वरूप मुख्य कच्चे माल में 20,393 किलोग्राम की अधिक छीजन हुई। यद्यपि 20,393 किलोग्राम कच्चे माल से (औसत दर पर) 91,770 मीटर कपड़ा तैयार किया जा सकता था जिस पर 5.90 लाख रु० का शुल्क उद्ग्राह्य किया जाना होता, किन्तु अधिक छीजन के संबंध में निर्णय करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि सूती कपड़े के विनिर्माण के पश्चात् बचने वाले टुकड़ों (फेन्ट्स) और चिथड़ों की अधिकतम मात्रा अच्छे कपड़े की मात्रा का क्रमशः 6.4 प्रतिशत और 4 प्रतिशत होगी। यद्यपि रेयन और कृत्रिम रेशम के कपड़ों के मामले में ऐसा कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है फिर भी टुकड़ों और चिथड़ों की मात्रा सूती कपड़ों के मामले में निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं हो सकती। वर्ष 1971-72 और 1972-73 में अच्छे कपड़े के विनिर्माण के बाद बचे टुकड़ों और चिथड़े निम्नानुसार थे :—

	टुकड़े (फेन्ट्स)	चिथड़े
1971-72	11 प्रतिशत	5 प्रतिशत
1972-73	17 प्रतिशत	11 प्रतिशत

रेयन और कृत्रिम रेशम के टुकड़ों और चिथड़ों पर शुल्क सबसे पहले 24 जून, 1972 में लागू किया गया था और अगले वर्ष (1973-74) में टुकड़ों और चिथड़ों का उत्पादन गिरकर क्रमशः छः प्रतिशत और एक प्रतिशत रह गया। सूती कपड़ों के मामले में आदेशों के ही आधार पर निर्धारित सीमा से अधिक निकासी किए गए टुकड़ों और चिथड़ों के आधार पर ही ऊंची दर पर शुल्क लगाया जाना चाहिए। वर्ष 1971-72 और 1972-73 में टुकड़ों (फेन्ट्स) की अधिक निकासी और वर्ष 1972-73 में चिथड़ों की अधिक निकासी पर 17.70 लाख रु० का विभेदक शुल्क देय था।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अनुसूची में केवल तीन प्रकार के सूती कपड़ों अर्थात् अच्छा कपड़ा, टुकड़े और चिथड़ों को मान्यता दी गई है। यह निर्धारित 'कटपीस' नाम की कपड़े की अन्य किस्म की निकासी कर रहा है। निर्धारित ने 1973-74 और 1974-75 के दौरान क्रमशः 11,20,095 मीटर कटपीस (अच्छे कपड़े का 24 प्रतिशत) और 10,84,917 मीटर कटपीस (अच्छे कपड़े का 26 प्रतिशत) की निकासी की। यद्यपि कपड़े की इस किस्म पर अच्छे कपड़े पर लागू सामान्य दर पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अदा किया जा रहा है, तथापि इसका निर्धारित मूल्य केवल भार द्वारा (टुकड़ों और चिथड़ों के मामले की भांति) निर्धारित किया जा रहा है न कि लम्बाई के अनुसार (अच्छे कपड़े के मामले की भांति)। 'कटपीस' के संबंध में मूल्यांकन की इस पद्धति को अपनाकर निर्धारित 1973-74 के दौरान 5.04 लाख रु० और 1974-75 के दौरान 4.88 लाख रु० के शुल्क की अदायगी से बचने में समर्थ हो गया।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि इस वस्तु में मुख्य कच्चे माल और तैयार उत्पाद के बीच सह-संबंध एक ऐसा विषय है जिसका विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है और इस प्रकार का अध्ययन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निरीक्षण निदेशक को कहा जा रहा है। 'कटपीस' के संबंध में विभाग ने बताया है कि जब तक उन पर अच्छे कपड़े पर लागू दर पर शुल्क उद्ग्राह्य है तब तक उसमें कोई

अनियमितता नहीं है और इस बात का कोई अंतर नहीं पड़ता कि भार आधार पर बेचे गए हैं या मीटर के आधार पर किन्तु तथ्य यह है कि टैरिफ वर्गीकरण में 'कटपीस' का उल्लेख नहीं है और अच्छे कपड़े, होने के कारण उस पर शुल्क वर्ग मीटरों में निर्धार्य है और इससे अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई होती।

(ख) संसाधित कृत्रिम रेशम के कपड़ों के एक वित्तिर्माता ने पुनर्संसाधन के लिए संसाधित कपड़ों की निकासी की जिसमें संसाधित कपड़ों को पुनः काटा जाना था। पुनर्संसाधन के लिए निकासी किए गए माल की मात्रा स्टाक लेखे से निकाल दी गई थी। इस प्रकार निकासी किए गए अच्छे कपड़ों की पर्याप्त मात्रा को फिर से काटकर छोटे कटपीसों में बदल दिया था, जिन्हें चिथड़े/टुकड़े कहते हैं; और कपड़ों की केवल थोड़ी मात्रा वापस हुई थी और बाद में स्टाक लेखे में पुनर्संसाधित कपड़ों के रूप में पुनः प्रविष्टि की गई थी। संसाधित कृत्रिम रेशम के कपड़ों के चिथड़े और टुकड़े क्रमशः 28 फरवरी, 1973 और 23 जुलाई, 1972 तक पूर्णतया शुल्क से पूर्णतया मुक्त थे। इसके बाद इन पर शुल्क रियायती दरों पर लगाया गया था जो कि बढ़िया कपड़ों पर लागू शुल्क से बहुत अधिक कम था। बढ़िया कपड़ों को चिथड़ों/टुकड़ों में रुपान्तरण के परिणामस्वरूप बढ़िया कपड़े की पर्याप्त मात्रा पर शुल्क के अधिक भार के स्थान पर शून्य या कम हो गया।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाए जाने पर कलकटरी ने बताया कि फैक्टरी उन परिस्थितियों, को दर्शाने वाले कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सकी जिन के कारण कपड़ों के ऐसे पुनर्संसाधन की आवश्यकता पड़ गई थी। इसके बाद, कलकटरी ने अक्टूबर, 1970 से अप्रैल, 1972 तक की अवधि के लिए 58,498 रु० के चार मांग नोटिस जारी किए। वसूली के विवरण प्रतीक्षित हैं। मई, 1972 और उससे आगे की अवधि के लिए मांग नोटिस जारी नहीं किए गए हैं।

तथ्यों की पुष्टि करते हुए राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि चार मांगों में से दो मांगों पर नए सिरे से निर्णय किया जाना है और दो मांगों पर अपील की गई है। उन्होंने यह भी बताया है कि प्रसंगाधीन राशि अभी तक वसूल नहीं की गई है (फरवरी, 1977)।

33. मोटरगाड़ियां

सरकार द्वारा स्कूटरों पर अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण रखा जाता है। सरकार द्वारा समय समय पर नियत उपभोक्ता मूल्यों पर अन्य बातों के साथ व्यापारियों को दिए जाने वाले न्यायोचित लाभ को भी ध्यान में रखा जाता है। स्कूटरों का विनिर्माण करने वाले निर्धारिती उनको प्राधिकृत व्यापारियों को बेच देते हैं और उनके द्वारा ऐसे व्यापारियों से वसूल किए गए मूल्य अर्थात् नियंत्रित मूल्य में से व्यापारियों को दिया गया उचितलाभ कम करके, उस पर आधारित शुल्क अदा कर देते हैं।

स्कूटरों की बिक्री और वितरण पर स्कूटर (वितरण और बिक्री) नियंत्रण आदेश, 1960 के अन्तर्गत सांविधिक नियंत्रण लागू होता है। इन आदेशों के अन्तर्गत सरकार या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय समय पर विशेष कोटा नियत कर दिया जाता है। इस कोटे के अन्तर्गत स्कूटर व्यापारियों द्वारा निर्धारिती से खरीदे गए स्टॉक में से ही बेचे जाते हैं।

लेखापरीक्षा में दिसम्बर, 1975 में यह देखने में आया कि एक निर्धारिती सरकारी कोटे के अन्तर्गत बेचे गए सभी स्कूटरों के संबंध में आवधिक रूप से पृथक डेबिट नोट जारी करके व्यापारियों से प्रति स्कूटर 50 रु० वसूल कर रहा था। इस प्रक्रिया के द्वारा जो जुलाई 1966 से अमल में लाई गई बताई गई है, न तो उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को समय समय पर प्रस्तुत की गई मूल्य सूचियों में दर्शाया गया था और न ही बीजकों में।

चूँकि इससे व्यापारियों को बेचे गए स्कूटरों के मूल्य में वृद्धि होती जाती है। बट्टे की मात्रा (व्यापारी का लाभ) में कमी होती है और चूँकि उन्हीं व्यापारियों को बेचे गए उसी उत्पाद के लिए दो निर्धार्य मूल्य नहीं हो सकते हैं अतः लेखापरीक्षा में यह बात ध्यान में लाई गई कि सभी स्कूटरों (न केवल सरकारी कोटे के अन्तर्गत व्यापारियों द्वारा बेचे गए स्कूटरों) के निर्धार्य मूल्य बढ़ाकर प्रति स्कूटर 50 रु० कर दिए जाने चाहिए।

निर्धारिती तीन पहियों वाले स्कूटरों का भी विनिर्माण कर रहा था। ये स्कूटर भी अगस्त 1975 तक उसी प्रकार के नियंत्रण के अधीन थे। वह व्यापारियों से उनके द्वारा सरकारी संस्थाओं और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को बेचे गए सभी स्कूटरों पर प्रति स्कूटर 100 रु० वसूल कर रहा था। इस प्रकार तीन पहिए वाले स्कूटरों का निर्धार्य मूल्य प्रति स्कूटर 100 रु० तक कम बताया गया।

इसके कारण स्कूटरों और तीन पहियों वाले स्कूटरों पर अप्रैल 1972 से मार्च 1976 तक कुल 5,45,796 रु० का अवनियंत्रण हुआ। निर्धारिती ने ऐसी वसूली अप्रैल, 1976 से बंद कर दी है। जुलाई 1966 से मार्च 1972 तक की अवधि से संबंधित सूचना कलकत्ती से मांगी गई है।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि संबंधित कलकत्ती ने इस आपत्ति को मुख्यतया इस आधार पर स्वीकार नहीं किया है कि विभाग द्वारा अनुमोदित थोक मूल्य पर विनिर्माता द्वारा पर्याप्त विक्री कर ली गई थी, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि थोक 'मूल्य' उपलब्ध है किन्तु उन्होंने यह भी बताया है कि 1 सितम्बर 1974 से 30 सितम्बर 1975 तक की अवधि के लिए 2,56,393 रु० के शुल्क की मांग जारी कर दी गई है। अप्रैल, 1972 से अगस्त, 1974 तक और 30 सितम्बर, 1975 की बाद की अवधि के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

34. चीनी मिट्टी का सामान और पोर्सलेन मिट्टी का सामान

एक विजली के इंजुलेटर विनिर्माता ने ठेके के मूल्यों में पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधन कर दिया और पूरक बीजकों पर ग्राहकों से शुल्क सहित विभेदक मूल्य वसूल कर लिया था। किन्तु उस विभेदक मूल्य का तदनुसूची केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारिती के व्यक्तिगत खाते लेखे में समायोजित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में इस बात की ओर ध्यान दिलाए जाने पर मार्च, 1974 से अगस्त, 1975 तक की अवधि के लिए 58,231 रु० का विभेदक शुल्क निर्धारिती के व्यक्तिगत लेखे में समायोजन द्वारा वसूल किया गया। तथ्यों को स्वीकार करते हुए राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया कि पार्टी के विरुद्ध आरम्भ की गई दाण्डिक कार्यवाही चल रही है।

35. साबुन

एक कलकटरी में एक साबुन विनिर्माता मूल्य सूचियों में घोषित और विभाग द्वारा अनुमोदित मूल्य के अतिरिक्त साबुन के सभी खरीदारों से समान नियत दर पर जुलाई 1973 से सुपुर्दगी प्रभार वसूल कर रहा था। आरम्भ में सुपुर्दगी प्रभार का 2.50 रु० प्रति कार्टन साबुन की दर पर वसूल किया गया था। दो चरणों में बढ़ाकर 6 रु० कर दिया गया था। नवम्बर 1968 में जारी किए गए और बाद में जनवरी 1970 और अक्तूबर, 1972 में यथा स्पष्टीकृत बोर्ड के अनुदेशों के अनुसार ये प्रभार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की धारा 4 के अन्तर्गत निर्धार्य शुल्क थे। किन्तु ये प्रभार विनिर्माता द्वारा दाखिल की गई मूल्य सूची में घोषित नहीं किए गए थे और विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए थे। और अतः निर्धारण के प्रयोजन के लिए मूल्य निर्धारण करते समय उन्हें शामिल नहीं किया गया था। जब मार्च 1975 में मामले पर कार्यवाही की गई तो कलकटर ने अप्रैल 1976 में बताया कि जुलाई 1973 से अप्रैल 1975 की अवधि के लिए 1,79,606 रु० के कम उद्ग्रहण की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि निर्धारिती ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दी जो कि निर्णयाधीन है। किन्तु यह नहीं बताया गया है कि क्या रिट याचिका मामले के गुण अवगुण पर की गई है या निर्धारण को दुबारा करने से संबंधित तकनीकी कारण से की गई है।

36. बिजली की मोटर

देशी खपत के लिए किसी विनिर्माता द्वारा एक मास में निकासी की गई सभी प्रकार की बिजली की मोटरों का रियायती दरों पर निर्धारण किया जाता है बशर्ते कि निकासी के महीने से पहले बारह महीनों में से किसी एक महीने में उस फैक्टरी में उत्पादन (बिजली की मोटरों का) 300 अश्वशक्ति से अधिक न हुआ हो। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने 24 जनवरी 1967 के स्पष्टीकरण पत्र में इस बात की पुष्टि

की कि रियायती दरों पर शुल्क की छूट सभी फैक्टरियों को अलग-अलग और स्पष्ट रूप से दी जा सकती थी। इस प्रकार, उन मामलों में जहां विनिर्माताओं का एक से अधिक फैक्टरी में स्वामित्व हित था वहां रियायती दरें प्रत्येक फैक्टरी के संबंध में पृथक रूप में लागू की गई थी।

लेखापरीक्षा में यह देखने में आया कि पर्याप्त मामलों में भागीदार फर्मों ने अलग-अलग फैक्टरियां स्थापित करके जिनमें सभी या कुछ भागीदार वही थे, रियायतों का लाभ उठाया। इस प्रकार वे फर्मों उनके द्वारा बनाई गई बिजली की मोटरों पर टैरिफ दरों पर निर्धारण से बच गईं। एक कलकटरी में पांच ऐसी यूनिटों में अप्रैल 1970 से अगस्त 1975 के दौरान इस प्रकार 2,25,830 रु० का शुल्क बचाया गया था।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है।

37. मिश्रित स्नेहक तेल

स्नेहक ग्रीस का विनिर्माण करने वाली फैक्टरी 'क' ने एक एजेंट 'ख' के माध्यम से दो किस्मों की 99 प्रतिशत ग्रीस बेची। 'ख' ने माल की सुपुर्दगी लेने के बाद उत्पाद के मिश्रण में कोई परिवर्तन किए बिना केवल इसके कन्टेनर लेबल/ट्रेड मार्क को बदल दिया और उसे थोक बाजार में अधिक मूल्य पर बेच दिया। 'क' और 'ख' के विक्री कार्यालय एक ही परिसर में स्थित थे। केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निम्न मूल्य पर प्रभारित किया गया जिस पर 'क' ने 'ख' को माल बेचा था। विभाग द्वारा सम्बद्ध मूल्य सूचियाँ विधिवत् अनुमोदित कर दी गई थीं। लेखापरीक्षा ने बताया (जून 1975) कि चूंकि 'ख' ने 99 प्रतिशत माल 'क' से प्राप्त किया था अतः अधिक मूल्य, जिस पर 'ख' ने थोक बाजार में माल बेचा, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4(क) के अन्तर्गत निर्धारण करने के लिए थोक नकद मूल्य के रूप में अधिक मूल्य लिए जाने चाहिए जिस पर 'ख' ने माल थोक बाजार में बेचा था।

लेखापरीक्षा के अनुरोध पर छानबीन करने के बाद कलक्टर ने बताया कि नवम्बर 1973 से सितम्बर 1975 तक की अवधि के लिए 35,588 रु० का विभेदक शुल्क निर्धारिती से सितम्बर 1975 में वसूल कर लिया गया था।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया है कि पार्टी ने विरोध प्रकट करते हुए विभेदक शुल्क अदा कर दिया है।

38. परिरक्षित आहार

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ की मद 1-ख के अन्तर्गत डिब्बाबंद सब्जियां जिन पर यथामूल्य 10 प्रतिशत शुल्क निर्धार्य था, मार्च 1970 में सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत पूर्णतया शुल्क मुक्त कर दी गई थीं। सरकार द्वारा मई 1971 में जारी की गई संशोधित अधिसूचना द्वारा यह छूट वापस ले ली गई थी और अतः उस तारीख से फैक्टरी से निकाली गई समस्त डिब्बाबंद सब्जियों पर शुल्क लगाया जाना था और वसूल किया जाना था। किन्तु खारे जल में डिब्बा बंद आलुओं, जो तैयार या परिरक्षित आहार के विनिर्माण करने वाले निर्धारिती द्वारा उत्पादित डिब्बाबंद सब्जियों की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, की निकासी वर्गीकरण सूची को फाइल किए बिना और उन पर देय उद्ग्राह्य शुल्क की अदायगी किए बिना, उस तारीख के बाद की गई थी। लाइसेंसधारी की विक्री बीजक की नमूना जाँच से पता चला कि 29 मई 1971 से 4 मई 1973 तक की अवधि के दौरान कुल 2,53,223 रु० मूल्य के खारे जल में डिब्बाबंद आलुओं की निकासी शुल्क की अदायगी किए बिना की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 25,322 रु० का शुल्क नहीं लगाया गया। यह अनियमितता कलक्टर के नोटिस में मई 1973 में लाई गई थी। इस पर सहायक कलक्टर ने लाइसेंसधारी के विरुद्ध अपराध मामला दर्ज किया जो न्यायालय में विचाराधीन है।

इस मामले के तथ्यों को स्वीकार करते हुए, राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि अब उत्पाद-शुल्क वर्गीकरण सूची के उचित अनुमोदन के बाद प्रभाषित किया जा रहा है।

39. लपेटने का कागज

लपेटने का कागज टैरिफ मद संख्या 17(3) के अन्तर्गत पृथक रूप से शुल्क प्रभाय है। इसलिए विनिर्माण के पश्चात् इसकी निकासी के लिए एक अलग लेखा रखा जाना अपेक्षित है।

कागज का विनिर्माण करने वाली एक फैक्टरी लपेटने का कागज और इसमें लपेटे गए अन्य किस्मों के कागज की निकासी कर रही थी। जून 1973 में लेखापरीक्षा में यह देखने में आया कि अन्य किस्मों के कागज को लपेटने के लिए प्रयुक्त लपेटने के कागज का लेखा निर्धारित फार्म में सही तौर पर नहीं रखा जा रहा था। अतः विभाग से क्रियाविधि को कारगर और सरल बनाने के लिए अनुरोध किया गया। सहायक कलक्टर ने लेखापरीक्षा को दिसम्बर 1973 में सूचित किया कि फैक्टरी ने लपेटने के कागज पर उसी समय शुल्क अदा करने की क्रियाविधि अपना ली थी जिस समय कि वह अन्य कागज को लपेटने के लिए जारी किया जाता था और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के नियम 173-ज के उपबन्धों के अनुसार उस अवस्था में शुल्क देयता का निर्वहन हो जाता था।

जून 1974 में लेखापरीक्षा द्वारा इससे आगे की गई समीक्षा से पता चला कि फैक्टरी सही क्रियाविधि का अनुसरण नहीं कर रही थी। लपेटने के कागज पर शुल्क उस समय अदा नहीं किया गया था जबकि लपेटने के लिए उसकी निकासी की गई थी किन्तु उसकी अदायगी केवल तब की जा रही थी जबकि लपेटे हुए कागज की निकासी की जाती थी। अप्रैल 1973 से मार्च 1974 तक की अवधि के दौरान 12,71,528 किलोग्राम लपेटने का कागज लपेटने के प्रयोजन हेतु अभिसाधन करने वाले कारखाने को जारी किया गया था जबकि उत्पाद-शुल्क अभिलेखों में इसकी निकासी किए जाने पर शुल्क की अदायगी के लिए केवल 7,48,749 किलोग्राम लपेटने का कागज दर्ज किया गया था। इस प्रकार वास्तव में विनिर्मित और अन्य प्रकार के कागज के लपेटने के लिए जारी किया गया 5,22,779 कि० ग्राम लपेटने का कागज 2,40,531 रु० के शुल्क से बच गया।

पैरा राजस्व और बैंकिंग विभाग को अगस्त 1976 में भेजा गया था, उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1977)।

चीनी (टैरिफ मद 1)

40. बांड के अन्तर्गत किए गए निर्यात पर अस्वीकार्य रिबेटों की संजूरी

चीनी के उत्पादन को अधिकाधिक करने के उद्देश्य से सरकार ने चीनी के बढ़े हुए उत्पादन पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में रिबेट की एक योजना 1960 में लागू की। 1973-74 वर्ष के लिए रिबेट गत वर्ष के उत्पादन से अधिक मात्रा में उत्पादित चीनी पर दिया गया। वर्ष 1974-75 के लिए रिबेट लेवी चीनी और खुली विक्री की चीनी के अधिक उत्पादन पर क्रमशः 70:30 के अनुपात में दिया गया। खुली विक्री की चीनी पर 60 रुपये प्रति क्विंटल और लेवी चीनी पर 16 रु० प्रति क्विंटल की दर से रिबेट अनुमत किया गया। यह रिबेट पेशगी में दिया जाना था और मौसम के अन्त में उपयुक्त पाए जाने पर ही इसका पूरी दर पर अन्तिम समायोजन किया जाना था। उत्पादन की अवधि के संदर्भ में इस प्रकार परिकलित रिबेट की राशि को माल की निकासी के समय शुल्क की अदायगी के प्रति समायोजित किया जाए। इस प्रकार रिबेट का दावा करने के लिए आवश्यक पूर्व अपेक्षा यह है कि उत्पादित अधिक मात्रा पर देय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया हो।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एक चीनी की फैक्टरी ने बांड के अन्तर्गत शुल्क की अदायगी किए बिना, निर्यातित 60,257 क्विंटल (32,799 क्विंटल का उत्पादन 1973-74 में और 27,458 क्विंटल का उत्पादन 1974-75 में हुआ) की कुल मात्रा पर 15,76,813 रुपये की राशि के प्रोत्साहन रिबेट का दावा किया। इस मात्रा पर 1973-74 और 1974-75 के लिए 14,34,622 रुपये की राशि प्रोत्साहन रिबेट के रूप में पहले ही अनुमत की जा चुकी थी।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि सम्बन्धित प्रोत्साहन अवधियों में निर्यातित चीनी की मात्रा सम्बद्ध मौसमों में, आधार स्तर उत्पादन की सीमा से कम थी और इसलिए रिबेट के किसी दावे को अनियमित रूप से स्वीकार नहीं किया गया था।

किन्तु तथ्य यह है कि चूँकि निर्यातित चीनी पर कोई उत्पाद-शुल्क पहले नहीं दिया गया था (निर्यात बांड के अन्तर्गत होने के कारण), शुल्क के रिबेट के लिए कोई दावा नहीं बनता था।

41. कम निर्यातित चीनी पर शुल्क का संग्रहण न किए जाने से अव-निर्धारण

केन्द्रीय उत्पाद नियमों के नियम 13 के अन्तर्गत वस्तुओं (कुछ अपवादों सहित) का निर्यात एक माल गोदाम या एक लाइसेंसशुदा फैक्टरी से इस प्रयोजन के लिए भरवाए गए बांड के अन्तर्गत शुल्क की अदायगी किए बगैर ही किया जा सकता है और यह बांड तब तक नहीं चुकाया जाएगा जब तक कि कलक्टर को यह विश्वास न हो जाए कि वस्तुओं का निर्यात उसके लिए स्वीकृत समय के अन्दर ही कर दिया गया है या अन्यथा ऐसे अधिकारी को उसके हिसाब-किताब के विषय में पूरा विश्वास न हो जाए, या जब तक हिसाब में कम पाई गई वस्तुओं पर देय शुल्क का पूरा भुगतान न कर दिया गया हो। केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड ने पूरक अनुदेश जारी किए कि बांड भरने वालों को कम मात्रा में निर्यात किए गए माल पर शुल्क देने के लिए अवश्य कहा जाए और कलक्टर द्वारा स्वीकार्य हानियों सम्बन्धी शुल्क को बढ़े खाते डाल दिया जाए।

दो कलक्टरियों में 21 चीनी फैक्टरियों द्वारा 1971-72 से 1974-75 की फसल के दौरान निर्यात की गई चीनी के पुनरीक्षण से ज्ञात हुआ कि इस प्रयोजन के लिए नियुक्त सर्वेक्षक द्वारा निर्यातित चीनी की जितनी मात्रा प्रमाणित की गई थी, फैक्टरी से शुल्क दिए बगैर निर्यात के लिए निकाली गई चीनी की मात्रा उससे कम थी। विभाग ने विभेदक मात्रा पर न तो शुल्क संग्रह करने के लिए कोई कार्यवाही की और न ही स्वीकार्य हानियों पर देय शुल्क को बढ़े खाते डाला। इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही न किए जाने का आधार यह था कि निर्यात का पर्यवेक्षण करने वाले सीमा शुल्क अधिकारियों ने किसी कमी की रिपोर्ट नहीं की थी। इन मामलों में चीनी निर्यात प्रोत्साहन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत उद्ग्राह्य केन्द्रीय शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की राशि 1,13,835 रुपये थी।

पैरा राजस्व और बैंकिंग विभाग को सितम्बर 1976 में भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1977)।

42. 'लवी' चीनी पर गलत निर्धारण

सरकार द्वारा अधिगृहीत चीनी, जो 'लेवी चीनी' के नाम से जानी जाती है, 1 जुलाई, 1972 की अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ के मद 1 की उपमद (1) के अन्तर्गत 24 प्रतिशत (मूल) और 6 प्रतिशत (अतिरिक्त) यथामूल्य की दर से निर्धार्य थी। 1 दिसम्बर 1972 की एक दूसरी अधिसूचना द्वारा शुल्क की दर घटाकर 20 प्रतिशत कर दी गई। इसके अतिरिक्त आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा (3) की उपधारा (3 ग) के अन्तर्गत अवधारित मूल्य के आधार पर 6 प्रतिशत यथामूल्य शुल्क लगाया जाना था।

केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड ने 1 दिसम्बर 1972 के परिपत्र में यह स्पष्ट किया कि संशोधित दर, चीनी (1972-73 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 1972 के अन्तर्गत लेवी चीनी के लिए दर्शाए गए संशोधित संवर्धित फैक्टरी मूल्य पर लागू होनी थी। किन्तु दिसम्बर 1972 की अधिसूचना में यह आशय स्पष्ट नहीं किया गया था और कई कलक्टरियों में दर ठीक प्रकार से लागू नहीं की गई। वर्ष 1972-73 के स्थान पर वर्ष 1971-72 के लिए नियत फैक्टरी (कम) मूल्यों पर शुल्क की कम दर लगाए जाने के परिणामस्वरूप 1,65,415 रुपये की राशि का शुल्क कम लगाया गया।

तथ्यों के मूल रूप से सही होने की पुष्टि करते हुए राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि दो कलक्टरियों के सम्बन्ध में 42,153 रु० का राजस्व अंतर्ग्रस्त था और अन्य कलक्टरियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

43. अधिक उत्पादन पर रिबेट की गलत अदायगी

28 सितम्बर 1972 और 1 मार्च 1973 की अधिसूचनाओं के अनुसार किसी फैक्टरी में 1 मार्च 1973 से लेकर 30 अप्रैल 1973

को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उत्पादित चीनी की उस मात्रा पर जो 1972 की तदनुसूची अवधि के दौरान उत्पादित चीनी की मात्रा से अधिक थी, उत्पाद-शुल्क में 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से रिबेट की घोषणा की गई। इसी प्रकार 4 अक्टूबर, 1973 और 20 अप्रैल 1974 की अधिसूचनाओं के अनुसार 1972-73 अर्थात् 1 अक्टूबर 1972 से 30 सितम्बर 1973 के उत्पादन के संदर्भ में 1973-74 की ऋतु में अधिक उत्पादित चीनी पर उत्पाद-शुल्क में रिबेट की घोषणा की गई। मई और जून 1974 में उत्पादित चीनी की उस मात्रा पर जो 1973 की तदनुसूची अवधि के दौरान उत्पादित मात्रा के 110 प्रतिशत से अधिक हो किन्तु 180 प्रतिशत से अधिक न हो, 30 रुपये प्रति क्विंटल की दर से रिबेट मिलना था जबकि 180 प्रतिशत से अधिक उत्पादित चीनी पर 40 रुपये प्रति क्विंटल की दर से रिबेट मिलना था। दोनों चीनी वर्षों 1972-73 और 1973-74 में यह रियायत इस शर्त के अधीन दी गई थी कि सम्बद्ध फैक्टरी में सम्बन्धित आधार अवधि के दौरान उत्पादन अवश्य हुआ हो।

एक कलक्टरी में यद्यपि एक लाइसेंसधारी ने मार्च 1972 से अप्रैल 1972 और मई 1973 से जून 1973 की अवधियों के दौरान चीनी का कोई उत्पादन नहीं किया था, उसे 1973 और 1974 की तदनुसूची अवधियों में 20,441 और 1,582 क्विंटल चीनी के उत्पादन पर 20 रु० और 40 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर क्रमशः 4,08,820 रुपये और 63,280 रुपयों का गलत रिबेट अनुमत किया गया। इसी प्रकार उसी कलक्टरी के अन्तर्गत एक अन्य लाइसेंसधारी ने अप्रैल 1974 में उत्पादित 368 क्विंटल चीनी पर 30 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 11,040 रुपये का रिबेट गलती से ले लिया यद्यपि आधार अवधि अप्रैल 1973 में कोई उत्पादन नहीं हुआ था।

इन तथ्यों की पुष्टि करते हुए और यह बताते हुए कि मांग करने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है, राजस्व और बैंकिंग विभाग ने प्रोत्साहन रिबेट की गलत मंजूरी विधि मंत्रालय की राय में परिवर्तन होने के कारण बतायी गई है।

तैयार या परिरक्षित आहार (टैरिफ मद ख)

44. अनियमित निर्धारण

टैरिफ मद 1-ख के अन्तर्गत दूध के पाउडर पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क 10 प्रतिशत यथामूल्य की दर से निर्धार्य है। जुलाई 1973 में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार मलाई निकाले हुए स्किमड दूध का प्रयोग यदि उसी फैक्टरी में पुनः दूध बनाने के लिए किया जाता है, तो उस पर सम्पूर्ण देय शुल्क से छूट मिल जाती है। परन्तु शुद्ध दूध के पाउडर पर ऐसी कोई छूट उपलब्ध नहीं है।

एक लाइसेंसधारी ने 'फैक्टरी परिसर के अन्दर ही पुनः दूध बनाने' के लिए शुल्क की अदायगी किए बगैर ही 25,850 किलोग्राम शुद्ध दूध के पाउडर की निकासी के लिए 20 नवम्बर 1974 को गेट पास बनाया। गेट पास 9 दिसम्बर 1974 को यह बताते हुए रद्द कर दिया गया कि शुद्ध दूध के पाउडर की निकासी वास्तव में बंधक भंडार कक्ष से नहीं की गई थी किन्तु भूल से इसे उत्पादन अभिलेखों में से कम कर दिया गया था। फिर से दूध बनाए जाने के लिए 19 मार्च 1975 को शुल्क की अदायगी किए बगैर 25,850 किलोग्राम शुद्ध दूध के पाउडर की निकासी की गई थी।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों के नियम 49 के अधीन किसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित माल की निकासी शुल्क की अदायगी किए बगैर तभी हो सकती है जब उस माल की निकासी बांड के अधीन हुई हो या उसे उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया हो या माल विक्री के अयोग्य हो और पुनः संसाधन/सुधार करके उसे उसी वर्ग का माल बनाने के लिए निकाला गया हो। विभाग द्वारा विनिर्माता को बंधक भंडार कक्ष से शुद्ध दूध के पाउडर की निकासी, शुल्क की अदायगी किए बिना ही अनुमत करने से नियम 49 का उल्लंघन हुआ और इसके परिणामस्वरूप 52,992 रुपये का शुल्क नहीं लगाया गया।

सहायक कलक्टर ने सूचित किया है कि विनिर्माता ने 52,992 रु० का शुल्क जनवरी 1976 में अदा कर दिया है।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है ।

45. शुल्क का न लगाया जाना

टीनों या पत्नी के डिब्बों में पैक किए गए निर्जलीकृत मटरों पर दिनांक 1 मार्च 1970 की अधिसूचना की अनुसूची की संख्या नं. 11 के साथ पठित टैरिफ मद 1-ख के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दर 10 प्रतिशत यथामूल्य लगती है ।

एक कलक्टर ने निर्जलीकृत मटर के एक विनिर्माता ने मार्च 1972 से मार्च 1976 तक 4,00,031 रुपये के निवल मूल्य के 17,119 कि. ग्रा. के ऐसे उत्पादों की एक एक किलो के प्लास्टिक मर्तबानों में, जिनके मुंह ढक्कन और ढक्कनियों से सील कर दिए गए थे, पैक करके उत्पाद शुल्क की अदायगी किए बिना निकासी की । अक्टूबर 1974 में कलक्टर द्वारा एक अन्य मामले में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि प्लास्टिक के मर्तबान में पैकिंग करने से भी उत्पाद शुल्क उतना ही देय होगा जितना टीनों या पत्नी के डिब्बों में होता । इस प्रकार शुल्क की अदायगी किए बगैर प्लास्टिक के मर्तबानों में पैक की गई निर्जलीकृत मटर की निकासी अनियमित थी और इसके परिणामस्वरूप 40,003 रुपये के शुल्क का अवनिर्धारण हुआ । लेखापरीक्षा द्वारा इस और ध्यान दिलाए जाने पर कलक्टर ने जून 1976 में वसूली करने के अनुदेश जारी किए ।

तथ्यों की पुष्टि करते हुए राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि मार्च 1972 से जून 1976 की अवधि के लिए 46,337.70 रुपये की राशि के लिए दो 'कारण बताओ' नोटिस 11 जून, 1976 और 1 फरवरी, 1977 को जारी कर दिए गए हैं ।

काँफी (टैरिफ मद 2)

46. शुल्क का कम लगाया जाना

'तात्कालिक (इन्स्टेंट) काफी' पर शुल्क यथामूल्य से निर्धारित किया जाता है । एक कलक्टर ने एक यूनिट अपने मालिकों की ओर से तात्कालिक

काफी के दो ब्रांडों अर्थात् नेस्कैफे और रिकोरी का विनिर्माण करती थी और सारा माल उनको अन्तरित कर देती थी। नेस्कैफे और रिकोरी के निर्धार्य मूल्य क्रमशः 1 मई 1974 और 1 जून 1974 से बढ़ा दिए गए थे और तदनुसार कलक्टर ने उनका अनुमोदन कर दिया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि इस यूनिट ने तात्कालिक काफी के दोनों ब्रांडों की निकासी सितम्बर 1974 तक पुराने दर से की। कलक्टरी ने अगस्त और सितम्बर 1974 से संबंधित उत्पादन की तिमाही विवरणी (आर. टी.-12) पर 24,127 रुपये का उद्ग्रहण कम लगाए जाने की ओर ध्यान दिलाया जो दिसम्बर, 1974 में वसूल कर लिया गया। किन्तु जुलाई 1974 तक की अवधि के लिए 1,64,612 रुपये के विभेदक शुल्क को वसूल करने के लिए कलक्टरी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर कलक्टरी ने आपत्ति स्वीकार कर ली और 1,64,612 रुपये की मांग कर दी।

स्थिति के मोटे तौर पर सही होने की पुष्टि करते हुए राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि निर्धारिती द्वारा किन्हीं अन्य आधागों पर दाखिल की गई पहले की एक रिट याचिका के संबंध में उच्च न्यायालय ने निर्धारिती के पक्ष में निर्णय दिया था कि जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा अपील की जा रही है। किन्तु उस निर्णय का इस पैरे में दिए गए विषय से कोई संबंध नहीं है।

चाय (टैरिफ मद 3)

47. शुल्क की कम अदायगी

टैरिफ मद 3 के अधीन चाय पर 2 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक की दर पर शुल्क उद्ग्रहण नहीं है। 1 मार्च 1975 की एक अधिसूचना के अधीन असम राज्य के जोन V में उत्पादित चाय पर 1.30 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से शुल्क निर्धार्य है।

2 जून, 1970 की एक पूर्व अधिसूचना के अधीन सरकार ने उन चाय बागानों की खुली चाय पर, जिनकी पिछले तीन वित्तीय वर्षों में, अनुमोदित नीलामी केन्द्रों में बेची गई चाय की औसत मूल्य प्राप्ति 5 रुपये प्रति किलोग्राम से कम थी, उत्पाद शुल्क की दर 70 पैसे प्रति किलो तक सीमित कर दी। दिनांक 1 अप्रैल 1975 की एक अन्य अधिसूचना के अधीन यह रियायती दर 30 जून 1975 तक बढ़ा दी गई। दिनांक 1 जुलाई 1975 की अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1975 से इस रियायती दर को बढ़ा कर 80 पैसे प्रति किलोग्राम कर दिया गया। एक चाय सम्पदा को विनिर्मित चाय की रियायती दर पर निकासी 30 जून 1975 तक अनुमत की गई। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि यद्यपि निर्धारित ने 1 जुलाई 1975 से मूल उत्पाद शुल्क की अदायगी रियायती दर पर करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया था, तथापि प्रबन्धकों को जुलाई, 1975 से अगस्त, 1975 के दौरान 2,78,990 किलोग्राम चाय की निकासी करने के लिए मूल शुल्क की अदायगी 80 पैसे प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर करने की अनुमति दे दी थी। इसी प्रकार एक अन्य चाय संपदा ने जुलाई 1975 से सितम्बर 1975 के दौरान 80 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से मूल उत्पाद शुल्क की अदायगी करके 1,96,656 किलोग्राम विनिर्मित चाय की निकासी की। चूंकि ये सम्पदाएं स्वयं को 1 जुलाई 1975 से कमजोर वर्ग (सेक्टर) के बागान सिद्ध नहीं कर सकी, इसलिए विनिर्मित चाय की रियायती दर पर निकासी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के किसी उपबन्ध के अनुरूप नहीं थी और परिणामस्वरूप इन दो चाय सम्पदाओं द्वारा क्रमशः 1,39,495 रुपये और 98,282 रुपये के शुल्क की कम अदायगी की गई। लेखापरीक्षा द्वारा इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर कलकटरी ने बताया कि 1,39,495 रुपये और 98,282 रुपये के विभेदक शुल्क की मांग कर दी गई थी जिसमें से पहली चाय सम्पदा से 1,10,610 रुपये की राशि प्राप्त हो गई थी।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि निर्धारण अनन्तिम रूप से नीची दर पर किए गए थे और अब उनको अन्तिम रूप दिया जा चुका है और विभेदक शुल्क की वसूली कर ली गई है।

तम्बाकू (टैरिफ मद 4)

48. गलत निर्धार्य मूल्य को अपनाने के कारण अवनिर्धारण

टैरिफ मद संख्या 4-II(2) के अधीन आनेवाली सिगरेटों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क यथामूल्य आधार पर निर्धार्य है। वित्त अधिनियम, 1974 में सिगरेटों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों में हुए संशोधन के परिणाम-स्वरूप सिगरेटों का विनिर्माण करने वाली एक फैक्टरी ने अपने उत्पादनों का मूल्य 1 मार्च 1974 से संशोधित कर दिया। फैक्टरी द्वारा संशोधित मूल्य सूची 10 मार्च 1974 को कलकटरी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई थी, जिसका अनुमोदन 12 मार्च 1974 को किया गया। तथापि फैक्टरी ने 1 मार्च 1974 से 12 मार्च 1974 तक की अवधि के लिए सिगरेटों के अपने कुछ ब्रांडों की निकासी संशोधित दर पर शुल्क के भुगतान पर की किन्तु निर्धार्य मूल्य का परिकलन 1 मार्च 1974 से पूर्व प्रचलित मूल्य के आधार पर किया गया। निर्धार्य मूल्य के प्रति अपनाए गए पुराने मूल्य के कारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का 1,22,473 रु० की सीमा तक अवनिर्धारण हुआ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया है कि विभेदक उत्पाद शुल्क वसूल कर लिया गया है।

खनिज तेल (टैरिफ मद 6 से 11ग तक)

49. अप्राधिकृत रियायत दिए जाने के कारण अवनिर्धारण

एक फैक्टरी अध्याय-X क्रियाविधि के अधीन दिनांक 21 दिसम्बर, 1967 की अधिसूचना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किए गए कुछ औद्योगिक प्रयोगों के लिए शुल्क अदत्त खनिज तेल लाई। खनिज तेल की एक ऐसी किस्म मिश्रित एक्सलीन थी जिसे उपरोक्त अधिसूचना में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया गया था। चूंकि विनिर्दिष्ट औद्योगिक प्रयोग के संबंध में शर्त पूरी नहीं की गई थी इसलिए कम्पनी के लिए उपर्युक्त टैरिफ मद के अन्तर्गत मिश्रित एक्सलीन पर पूरे उत्पादन शुल्क की देयता को पूरा करना आवश्यक था। इसके बावजूद कलकटरी द्वारा निर्धारिती को विनिर्दिष्ट न किए गए प्रयोजनों के लिए शुल्क का

भुगतान किए बिना उत्पाद का प्रयोग करने की अनुमति दे दी गयी । यह पद्धति 28 फरवरी 1974 से जारी हुई ।

(क) अगस्त 1974 में लेखापरीक्षा द्वारा उस ओर ध्यान दिलाए जाने पर कलकटरी ने 28 फरवरी 1974 से 23 नवम्बर 1974 की अवधि के दौरान उपयोग में लाई गई 325.367 किलोलिटर मिश्रित एक्सलीन के लिए 1,36,166 रु० का एक कारण बताओ एवं मांग नोटिस जुलाई 1975 में जारी किया ।

(ख) सरकार ने विनिर्दिष्ट औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए गए मिश्रित एक्सलीन सहित खनिज तेल की कुछ विशिष्ट किस्मों के लिए उत्पाद शुल्क की रियायती दर निर्धारित करते हुए 26 दिसम्बर 1974 को एक अन्य अधिसूचना जारी की । तथापि कलकटरी ने निर्धारिती को 26 दिसम्बर 1974 के पश्चात् भी किसी प्रकार के उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना उत्पाद को उपयोग में लाने की अनुमति दे दी । लेखापरीक्षा ने 26 दिसम्बर 1974 की अधिसूचना के संदर्भ में अनियमित निर्धारण पद्धति की ओर पुनः 9 सितम्बर 1975 को ध्यान दिलाया । लेखापरीक्षा के अनुरोध पर सहायक कलक्टर ने 26 दिसम्बर 1974 से 30 जून 1975 तक की अवधि के लिए 1,26,908 रु० के उत्पाद शुल्क के लिए 20 सितम्बर 1975 को एक कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी किया ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है ।

50. अव-निर्धारण

(क) एक फैक्टरी ने 14 दिसम्बर 1974 से 26 अगस्त 1975 तक की अवधि के दौरान औद्योगिक उपयोग के लिए दो प्रकार की मोटर स्पिरिटें अर्थात् टालूईन और हल्का विलायक नैफथा, दिनांक 7 सितम्बर 1974 की एक अधिसूचना के अन्तर्गत यथा निर्धारित 34 रु० प्रति किलोलिटर की दर से उत्पाद शुल्क का भुगतान करने पर लाई । तथापि फैक्टरी मोटर स्पिरिटों को कीटनाशक घोलों/स्प्रे/सर्पेंशन के औषधि-निर्माण में या डी. डी. टी. के विनिर्माण में प्रयोग में नहीं लाया गया

था केवल जिन प्रयोजनों के लिए अधिसूचना के अन्तर्गत 34 रु० प्रति किलोलिटर की रियायती दर लागू थी, मोटर स्पिरिट को रोगनों और प्रलाक्षा-रसों के विनिर्माण में विरलक के रूप में प्रयोग में लाया गया था, और जब वह इस प्रकार उपयोग में लाया जाए तो उस पर दिनांक पहली मार्च 1974 की एक अन्य अधिसूचना के अन्तर्गत यथा निर्धारित 450 रु० प्रतिकिलो लिटर की दर से शुल्क लागू होता था। 450 रु० प्रति किलोलिटर की दर से शुल्क का भुगतान न किए जाने के कारण उत्पाद शुल्क का अव-निर्धारण हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाए जाने पर कलकटरी ने 14 दिसम्बर 1974 से 26 अगस्त 1975 तक की अवधि के लिए 1,20,744 रु० के लिए कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी किया।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और बताया है कि अन्तर्ग्रस्त राशि की अब वसूली हो गई है और निर्धारिती के विरुद्ध उपर्युक्त कार्यवाही आरम्भ की जा रही है।

(ख) एक नाइट्रो सेल्लोस लेकर विनिर्माता ने प्रलाक्षा-रस के विनिर्माण में प्रयोग के लिए रियायती दर पर शुल्क का भुगतान करके बाहर से टालूईन लाई और एल-6 परिसर में रखी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि विनिर्माता द्वारा रखी गई टालूईन के सम्बन्ध में 1965 से विभाग द्वारा नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित माल-पड़ताल नहीं की गई थी। इस चूक की ओर सितम्बर 1970 और दिसम्बर 1971 में ध्यान दिलाया गया। इस पर फरवरी 1972 में माल-पड़ताल की गई और 77,256 लिटर टालूईन की कमी ध्यान में आई। तदनुसार 68,449 रु० की राशि का विभेदक शुल्क दिसम्बर 1972 में निर्धारिती से वसूल किया गया।

वनस्पति अवाष्पशील तेल (टैरिफ मद 12)

51. अनियमित छूट के कारण राजस्व की हानि

टैरिफ की मद 12 में सभी प्रकार के वनस्पति अवाष्पशील तेल पर शुल्क के उद्ग्रहण की व्यवस्था है। पहली मार्च 1963 की यथा

संशोधित अधिसूचना के अन्तर्गत केवल संशोधित अवाष्पशील तेल पर शुल्क लगाए जाने योग्य था जबकि अन्य प्रकार के तेलों पर छूट थी। अधिसूचना में संसाधित वनस्पति अवाष्पशील तेल पर भी पूरी छूट दे दी गई थी, यदि इनका उपयोग कुछ अन्य उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं जैसे खाद्य वनस्पति उत्पाद और साबुन के विनिर्माण में उपयोग किया जाए।

दो कलक्टरियों में वनस्पति उत्पादों के विनिर्माताओं ने संसाधित वनस्पति अवाष्पशील तेलों का विनिर्माण किया और हाइड्रोजनीकरण द्वारा उन्हें अधिक ठोस वनस्पति उत्पाद के रूप में बदल दिया। विनिर्माताओं ने अधिक ठोस वनस्पति उत्पाद का साबुन के विनिर्माण में उपयोग किया। इसे भी अन्य साबुन विनिर्माताओं को बेचा गया। उन मामलों में जहां संसाधित वनस्पति अवाष्पशील तेल को साबुन के विनिर्माण में सीधे तौर पर उपयोग में लाया गया हो वहां छूट की अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कोई भी शुल्क प्रभार्य नहीं था। किन्तु जहां संसाधित वनस्पति अवाष्पशील तेल का अधिक ठोस वनस्पति उत्पाद बनाने में उपयोग में लाया गया था वहां किसी अधिसूचना के अभाव में पूरा शुल्क प्रभार्य था। तथापि अधिक ठोस वनस्पति उत्पाद के विनिर्माण में इस प्रकार उपयोग में लाए गए संसाधित वनस्पति अवाष्पशील तेलों पर कोई शुल्क अदा नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप पांच फैक्टरियों के सम्बन्ध में पहली जनवरी 1968 से 8 दिसम्बर 1971 की अवधि के दौरान 4,23,693 रुपये की सीमा तक राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा अनियमितता की ओर ध्यान दिलाए जाने पर कलक्टर ने बताया कि अधिक ठोस वनस्पति उत्पाद वास्तव में एक वनस्पति अवाष्पशील तेल था जिसे साबुन के विनिर्माण में उपयोग में लाये जाने हेतु ठोस किया गया था और इसलिए उसे पहली मार्च 1963 की यथा संशोधित अधिसूचना के अन्तर्गत छूट प्राप्त थी। यह मत स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिक ठोस वनस्पति उत्पाद एक ऐसी वस्तु थी जो संसाधित वनस्पति अवाष्पशील तेल से भिन्न थी। तथापि सहायक कलक्टर ने साबुन के विनिर्माण में उपयोग में लाये जाने के लिए दो फैक्टरियों द्वारा निकासी किए गए अधिक ठोस वनस्पति के उत्पाद रर धित

वनस्पति अवाष्पशील तेल के अंश पर 9 अक्टूबर 1971 से 30 जून 1974 की अवधि के लिए 59,392 रु० की सीमा तक शुल्क की मांग की (जुलाई और अगस्त 1974) । की गई मांगें अभी तक बकाया हैं ।

पैरा राजस्व और बकिंग विभाग को जून 1976 में भेजा गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1977) ।

पेटेन्ट अथवा स्वामित्व वाली दवाइयां (टैरिफ मद 14 ड)

52. शुल्क का छूट जाना

टैरिफ मद 14 ड के स्पष्टीकरण I के अन्तर्गत पेटेन्ट अथवा स्वामित्व वाली दवाइयों की परिभाषा किसी भी ऐसी भेषज और औषधीय सामग्री के रूप में दी गई है जिस पर कोई ऐसा नाम या तो उस पर या उसके डिब्बे पर या दोनों पर दिया होता है जो किसी औषध कोष, सूत्र-संग्रह, प्रकाशनों में दिए गए विनिबन्ध में विनिर्दिष्ट नहीं है या जो ब्रांड नाम है जिससे कि औषधी और कुछ ऐसे व्यक्तियों के बीच सम्बन्ध स्थापित किया जाए जो या तो स्वामी के रूप में या अन्यथा किसी की पहचान के किसी संकेत के या बिना संकेत के नाम या छाप का प्रयोग करने का अधिकार रखते हैं । ऐसी कोई भी औषधी जो इस परिभाषा का परिधि के अन्तर्गत आती है यथा मूल्य 7.5 प्रतिशत की दर से शुल्क के लिए निर्धार्य हो जाती है ।

एक कलकटरी में औषधीय सामग्री के एक विनिर्माता ने दवाई भरी हुई बोतलों पर क्राउन कार्क का उपयोग किया जिसके साथ उसके यूनिट नाम का संकेत था जिससे विनिर्माता और दवाई के बीच सम्बन्ध स्थापित होता था । किन्तु निर्धारिती ने इस तर्क पर माल की शुल्क मुक्त निकासी की कि वे केवल औषधीय सामग्री थीं । दवाइयों (विभिन्न प्रकार की दवाइयों की 85,000 बोतलें) के निर्धारण में चूक होने से लगभग 47,621 रु० का शुल्क लगाने से छूट गया । इस ओर कलकटरी का नवम्बर 1975 में ध्यान दिलाया गया । अन्तर्ग्रस्त सही शुल्क के

निर्धारण और उसकी वसूली के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

पैरा राजस्व और बैंकिंग विभाग को अगस्त 1976 में भेजा दिया गया था, उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1977) ।

प्रसाधन (कासमौटिक) और श्रंगार (टायलेट) सामग्री

(टरिफ मद 14-च)

53. अस्वीकार्य बढ़ा

टरिफ मद 14-च के अन्तर्गत आने वाली प्रसाधन सामग्री यथामूल्य शुल्क के लिए प्रभार्य है । केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण करने में व्यापारिक बढ़े के प्रति एक कटौती अनुज्ञात की गई है । दिए गए बढ़े की वास्तविक मात्रा भी अनुज्ञेय है वशर्ते कि इस प्रकार के बढ़े:—

(i) एक जैसी मात्रा के लिए सभी स्वतंत्र खरीदारों के लिए समरूप से अनुज्ञेय हों, और

(ii) फैक्टरी से माल हटाए जाने के समय तत्क्षण दे दिए गए हैं ऐसा साबित हो ।

भूतपूर्व केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने सितम्बर 1961 में स्पष्ट किया कि जहां कोई विनिर्माता शुल्क का भुगतान करने पर माल की निकासी करता है और उसे फैक्टरी से बाहर माल गोदामों में रखता है और खरीदारों से प्राप्त हुए आदेशों के अनुसार उसे प्रेषित करता है, ताकि विनिर्माता को टाला जा सके तो वहां निर्धार्य मूल्य से केवल न्यूनतम दर पर बढ़े की कटौती की जा सकती है । नवम्बर 1968 में सरकार ने सामान्य अनुदेश जारी किए कि कटौती के रूप में किसी प्रकार का बढ़ा अनुज्ञेय नहीं होगा जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि वे फैक्टरी से निकासी के समय तत्क्षण दे दिये गये हैं ।

प्रसाधन सामग्री के एक विनिर्माता ने अपनी मूल्य सूची में वट्टे की दरें तीन दर्जन वस्तुओं से कम खरीदों के लिए 5 प्रतिशत और तीन दर्जन और उससे अधिक वस्तुओं की खरीदों के लिए 10.56 प्रतिशत घोषित की थी।

फैक्टरी से निकासी की गई मात्रा देश के विभिन्न भागों में स्थित उनके अपने भाण्डागारों को भेजी गई थी। ऐसे थोक स्टॉक अन्तरण के आधार पर जो बराबर तीन दर्जन से अधिक थे, विनिर्माता ने 10.56 प्रतिशत की उच्चतर दर पर वट्टे का दावा किया, जो अनुमत कर दिया गया। जब लेखापरीक्षा द्वारा इस और ध्यान दिलाया गया कि निकासी के समय वट्टा केवल 5 प्रतिशत की न्यून दर पर कटौती-योग्य था, जैसा कि बोर्ड के सितम्बर 1961 के अनुदेशों में बताया गया था तो कलकटरी ने उत्तर दिया कि भाण्डागारों को स्टॉक अन्तरण के रूप में माल का भेजा जाना भाण्डागारों में प्राप्त हुए आदेशों के आधार पर था और प्राप्त होने वाले आदेशों को पूरा करने के लिए उसका अन्तरण नहीं किया गया था।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि फैक्टरी के पास निकासी और शुल्क के भुगतान के समय ऐसे आदेश नहीं हैं जिन्हें व्यक्तियों/खरीदारों/व्यापारियों से प्राप्त हुआ बताया गया है और वट्टे के लिए अनुमति प्रदान करने का प्रश्न केवल फैक्टरी से माल की निकासी के समय उठाया है, कलकटरी का उत्तर उचित नहीं है। सितम्बर 1964 से मार्च 1976 तक की अवधि के लिए वट्टे की अधिक कटौती और स्टॉक अन्तरणों के फलस्वरूप समझा गया राजस्व (लभभग) 15,72,157 रु० है।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने उत्तर दिया है कि कलकटरी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार सभी बिक्रियां तीन दर्जन और उससे अधिक की मात्राओं में थी और इसलिए 10.56 प्रतिशत का वट्टा अनुज्ञेय था। तथापि फैक्टरी से या किसी प्राधिकृत भाण्डागार से माल के हटाए जाने के समय शुल्क का भार लगाया जाता है। इस विशेष मामले में माल गोदाम

प्राधिकृत भाण्डागार नहीं थे और न ही फैक्टरी से माल हटाए जाने के समय बट्टे की अनुमति दी गई थी ।

5.4. रियायत के गलत बढ़ाए जाने के कारण अवनिर्धारण

किसी भी विनिर्माता द्वारा किसी भी महीने में घरेलू खपत के लिए निकासी की गई प्रसाधन और श्रृंगार सामग्री के पहले 75 किलोग्राम पर कुछ शर्तों के अर्धधीन उस पर लगाए जाने वाले पूरे उत्पाद-शुल्क से छूट है ।

एक कलकटरी में एक लाइसेंसधारी ने नवम्बर 1972 से प्रसाधान और श्रृंगार सामग्री का विनिर्माण आरम्भ किया । उसे नवम्बर और दिसम्बर 1972 के प्रत्येक महीने में इस प्रकार की सामग्री के 75 किलोग्राम की निःशुल्क निकासी करने की अनुमति दी गई । जुलाई 1973 में लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि उसी विनिर्माता के पास प्रसाधान सामग्री बनाने की एक अन्य फैक्टरी (एक अन्य कलकटरी के अधिकार क्षेत्र में) थी और उस फैक्टरी के उत्पादन को भी हिसाब में लिया जाना चाहिए था, क्योंकि शुल्क की रियायत फैक्टरी-वार अनुज्ञेय नहीं थी बल्कि एक विनिर्माता के लिए थी । यदि अन्य फैक्टरी का उत्पादन भी हिसाब में लिया जाता तो विनिर्माता रियायत का अधिकारी नहीं होता । एक ही विनिर्माता के स्वामित्व वाली अन्य फैक्टरी के उत्पाद को छोड़ने से दो महीनों में 29,802 रु० उत्पाद-शुल्क का अव-निर्धारण हुआ ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि लेखापरीक्षा आपत्ति प्राप्त होने पर सितम्बर 1973 में शुल्क की वसूली के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और निर्धारित ने एक न्यायनिर्णयन आदेश के माध्यम से सहायक कलक्टर द्वारा राशि की पुष्टि किए जाने के पश्चात् अपने व्यक्तिगत खाते में समायोजन द्वारा राशि का भुगतान कर दिया था । विभाग ने यह भी बताया कि अनियमितता, के लिए उत्तरदायी संबद्ध अधिकारियों को चूक के लिए चेतावनी देकर क्षमा कर दिया गया है ।

55. अनियमित निकासियों के कारण कम उद्ग्रहण

कलकटरी में एक प्रसाधन सामग्री विनिर्माता अपने सभी उत्पाद एक-मात्र पाटों को बेच रहा था जिसके साथ लाइसेंसधारी की विशेष नातेदारी थी यह देखने में आया कि लाइसेंसधारी द्वारा घोषित और जून 1973 और अप्रैल 1974 में विभाग द्वारा अनुमोदित थोक नकद मूल्य एक मात्र वितरक के विक्रय मूल्यों से बहुत कम थे । एकमात्र वितरक द्वारा प्रभारित वास्तविक मूल्य वस्तुओं के क्रय मूल्यों का लगभग 300 प्रतिशत थे । केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4 के अन्तर्गत मूल्यों को निर्धार्य मूल्य के रूप में अपनाने में चूक होने के कारण जून 1973 से अक्टूबर 1973 की अवधि के लिए 46,200 रुपये के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ ।

इसके अतिरिक्त उसी विनिर्माता ने एक मात्र वितरक को प्रसाधन सामग्री की निःशुल्क पूर्ति की । इन मात्राओं को विनिर्माता के अभिलेखों में उत्पादन के रूप में हिसाब में नहीं दर्शाया गया और न ही इनकी वैध फाटक पासों पर निकासी की गई और इस प्रकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया । इसके परिणामस्वरूप भी 6,321 रु० की राशि के राजस्व की हानि हुई ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने तथ्य स्वीकार कर लिए हैं और बताया है कि 11 जुलाई 1972 से 28 फरवरी 1975 की अवधि के लिए 56,979 रु० के शुल्क की मांग का निर्धारिती ने विरोध प्रकट करते हुए दिसम्बर 1975 में भुगतान कर दिया था ।

एसिड (टैरिफ मद 14 छ)

56. शुल्क का निरन्तर न लगाया जाना

उत्पादन संयंत्र से सल्फ्यूरिक एसिड के प्रत्यक्ष रूप से अनियमित अपवर्तन और निक्षालन संयंत्र में जस्ते के निष्कर्षण के लिए और शुष्क करने वाली एसिड टंकी में सल्फर डाइआक्साइड के निर्जलीकरण के लिए एक जस्ता विनिर्माता द्वारा उत्पादन फैक्टरी में उत्पाद-शुल्क का भुगतान किए बिना उसको उपयोग में लाने के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा रिपोर्ट 1969-70

के पैरा 21 में टिप्पणी की गई थी। उप निदेशक निरीक्षण और मुख्य रसायनज्ञ ने नवम्बर 1971 में फैक्टरी का निरीक्षण किया और उसी स्थान पर ही अध्ययन किया और मंत्रालय के माध्यम से लोक लेखा समिति को सूचित किया कि निक्षालन संयंत्र और शुष्क करने वाली एसिड टंकी में खपत किए गए सल्फ्यूरिक एसिड पर उत्पाद-शुल्क लगाए जाने योग्य था, किन्तु वह निर्धारण से बच गया क्योंकि विनिर्माण की प्रक्रिया जटिल थी और स्टाफ वास्तविक मामले को समझ नहीं सका। और रसायन परीक्षक जिसने फैक्टरी का जून 1967 में निरीक्षण किया था वह भी स्टाफ को सुस्पष्ट परामर्श और निदेश नहीं दे सका। मंत्रालय ने सूचित किया कि 30 सितम्बर 1971 तक की अवधि के लिए कुल 1,64,807 रु० की मांग पार्टी को भेज दी गई थी और उसने सरकार का पुनरीक्षण आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था। समिति ने इस अनियमितता की ओर गम्भीर रूप से ध्यान दिया और अन्य बातों के साथ-साथ की गई वसूलियों के सम्बन्ध में जानने की इच्छा व्यक्त की। (अप्रैल 1972) (देखिए चवालीसवीं रिपोर्ट पांचवीं लोक सभा का पैरा 1.256 से 1.260)

अक्टूबर 1972 में भारत सरकार ने पुनरीक्षण आवेदन-पत्र रद्द कर दिया और संचयन टंकियों से की गई एसिड की निकासी के सम्बन्ध में 4,406 रु० के शुल्क की मांग की दिसम्बर 1972 में वसूली की गई। किन्तु उत्पादन टंकी से सीधे तौर पर हुई एसिड की खपत से सम्बद्ध शुल्क के लिए मांग को लागू नहीं किया गया। इसके सम्बन्ध में ऐसा बताया गया है कि कलक्टर ने मार्च 1971 में स्थगन आदेश जारी कर दिया था। लेखापरीक्षा की एक पृष्ठाच्छ के सम्बन्ध में कलक्टर ने दिसम्बर 1975 में बताया कि सम्बद्ध सहायक कलक्टर को सूचित कर दिया गया था कि स्थगन आदेश अब लागू नहीं था और मामले का निर्णय मई 1968 में दिए गए मुख्य रसायनज्ञ के परामर्श तथा "किलन गैस के मामले" में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए किया जाना था। कलक्टर को परामर्श दिया गया कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस मामले में लागू नहीं होता था, जबकि मुख्य रसायनज्ञ ने तथ्यों के आधार पर निर्णय दिया कि माल शुल्क योग्य था।

शुल्क का न लगाया जाना अभी तक जारी है और जनवरी 1967, जिस दिन उत्पादन आरम्भ हुआ था, से मार्च 1976 तक न लगाए गए शुल्क की राशि लगभग 5,04,314 रु० बनती है ।

पैरा राजस्व और बैंकिंग विभाग को सितम्बर 1976 में भेजा गया था, उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1977) ।

57. निर्धार्य मूल्य का गलत अवधारण

टैरिफ 14-छ के अन्तर्गत आने वाले तेल (ओलियम) यथामूल्य आधार पर शुल्क से निर्धार्य है । केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4(क) के अन्तर्गत निर्धारण के लिए अपनाए जाने वाला मूल्य थोक नकद मूल्य होगा, यदि समान वस्तुएं बाजार में बेची जाती हैं या थोक नकद मूल्य के अभाव में, इसका मूल्य वह होगा जिस पर समान वस्तुएं उसी अधिनियम की धारा 4(ख) के अन्तर्गत बेची जाती हैं । नवम्बर 1968 में सरकार ने स्पष्ट किया कि धारा 4(ख) के अन्तर्गत मूल्य निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी एक के द्वारा अवधारित किया जा सकता था :—

(i) वह मूल्य जिस पर समान किस्म और गुण वाली वस्तुएं बाजार में बेची जाती हैं,

या

(ii) चार्टर्ड एकाउण्टेंट या लागत लेखाकार द्वारा प्रमाणित यथोचित लाभ सहित लागत लेखाकरण सिद्धान्तों पर उत्पादन लागत ।

तेल (ओलियम) बनाने वाला और मुख्यतः बद्ध खपत के लिए उसका उपयोग कर रहा एक यूनिट प्रस्तुत की गई और विभाग द्वारा सितम्बर 1972 में अन्तिम रूप से अनुमोदित की गई मूल्य सूची के अनुसार सितम्बर 1971 से 364 रुपये प्रति मीटरी टन की दर से मूल्य को अपना कर शुल्क का भुगतान कर रहा था । चूंकि बाजार दर 500 रु० और 600 रु० प्रति मीटरी टन के बीच पाई गई, इसलिए निर्धार्य मूल्य के संशोधन की आवश्यकता की ओर लेखापरीक्षा ने जनवरी 1973 में ध्यान दिलाया और की गई जांच के परिणामस्वरूप सहायक

कलक्टर ने 555 रु० प्रति मीटरी टन की दर को अपना कर सितम्बर 1971 से सितम्बर 1973 तक की अवधि के लिए 1,39,496 रुपये के विभेदक शुल्क के भुगतान के लिए निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस जारी किया। लाइसेंसधारी द्वारा किए गए प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए सहायक कलक्टर ने लागत और लाभ की गुंजाइश के आधार पर जनवरी 1976 में निर्धार्य मूल्य का पुनर्नियतन किया और 30 मई 1973 से 31 मार्च 1975 की अवधि तक के लिए जब निर्धार्य मूल्य चरणों में 364 रु० से बढ़ाकर 750 रु० कर दिया गया था, 1,01,775 रु० के विभेदक शुल्क की मांग की। निर्धारिती द्वारा अपील करने पर अपीलीय कलक्टर ने कच्चे माल की लागत को बहुत कम बताते हुए मई 1976 में आदेश दिया कि लागत सम्बन्धी आंकड़ों को सुनिश्चित करने के पश्चात् नये सिरे से निर्धारण किया जाए।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि सम्बद्ध सहायक कलक्टर ने पुनः निर्धार्य मूल्य की पुष्टि की है जिसके कारण मूल मांग की गई थी।

उर्वरक (टैरिफ मद् 14-जज)

58. शुल्क का कम लगाया जाना

उर्वरक यथामूल्य आधार पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से प्रभार्य है। यूरिया बनाने वाली एक यूनिट ने पैकिंग प्रभारों को शामिल करके प्रति मीटरी टन मूल्य अनुमोदित करवाये और उस आधार पर उत्पाद-शुल्क की वसूली की। तथापि फैक्टरी ने 986 किलोग्राम/988 किलोग्राम के भरे हुए थैलों में माल की निकासी की और तदनुसार उत्पाद-शुल्क का भुगतान किया, यद्यपि ग्राहकों से प्रभारित और वसूल किया गया मूल्य 1,000 किलोग्राम भार के आधार पर था। इसके परिणामस्वरूप 9,81,382 रु० का अत्र-निर्धारण हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर मार्च 1973 में ध्यान दिलाया गया। इस पर कलक्टर ने दिसम्बर 1960 से सितम्बर 1973 तक की अवधि के लिए नवम्बर 1973 और फरवरी 1974 में 12,04,605 रु० की मांग की।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया है कि मामला पुनरीक्षण हेतु सरकार के पास भेजा गया है ।

59. निर्धार्य मूल्य के गलत अवधारण के कारण अव-निर्धारण

यूरिया (46 प्रतिशत नाइट्रोजन) का विनिर्माण करने वाले एक निर्धारिती ने उसे थोक व्यापारियों को सरकार द्वारा समय-समय पर फैक्टरी वसूलियों के रूप में सूचित किए गए मूल्य पर बेचा, किन्तु इसके अतिरिक्त उसके द्वारा दिए गए वास्तविक भाड़ा प्रभारों का ध्यान किए बिना उसने ऐसी सभी बिक्रियों पर एक नियत दर से बराबर किया हुआ भाड़ा प्रभारित किया । जून 1973 से सितम्बर 1975 तक की अवधि के दौरान प्रभार 51 रु० से 84.55 रु० प्रति मीटर टन के बीच थे (जबकि भारत सरकार द्वारा दिए गए व्यौरों में केवल 40 रुपये का भाड़ा प्रभार बताया गया था) । चूंकि बराबर किया हुआ भाड़ा, बिक्रय मूल्य में वृद्धि किए जाने के रूप में है, इसलिए देय उत्पादन-शुल्क का अवधारण करने के लिए इसे निर्धार्य मूल्य में जोड़ा जाना चाहिए । ऐसा नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जून 1973 से सितम्बर 1975 तक की अवधि के दौरान 42,62,020 रुपये का अव-निर्धारण हुआ ।

इसी निर्धारिती ने छोटे आकार का यूरिया और मैला (जो माइ-करोप्रिल्ड यूरिया कहलाता था) की निकासी की और सीधे उर्वरक मिश्रण यूनितों को बेच दिया । मूल मूल्य और बराबर किए हुए उपरोक्त भाड़ा प्रभारों के अतिरिक्त निर्धारिती ने इन बिक्रियों पर प्रति मीटरी टन की नियत दर से (जून 1973 से मई 1975 तक के दौरान 35 रु० से 49 रु० प्रति मीटरी टन की दर के बीच) "अन्य" प्रभार भी लगाए । कलक्टर द्वारा यह बताया गया कि ये 'अन्य' प्रभार माइ-करोप्रिल्ड यूरिया के उपयोग के सम्बन्ध में तकनीकी और विपणन परामर्श देने के लिए तकनीकी फीस के रूप में पश्च विनिर्माण व्यय के रूप के थे । चूंकि ये प्रभार निकासी के समय मूल्य में नियत वृद्धि के रूप में लगाए गए थे और वास्तविक पश्च निकासी व्यय की प्रतिपूर्ति के द्योतक नहीं हैं और इन 'अन्य' प्रभारों को निर्धार्य मूल्य के साथ जोड़ दिया जाना

चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप जून 1973 से मई 1975 तक की अवधि के दौरान 2,87,215 रु० का अव-निर्धारण हुआ।

पैरा राजस्व और बैंकिंग विभाग को अगस्त 1976 में भेजा गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1977)।

60. कम-निर्धारण

उर्वरक के विनिर्माण में लगी हुई एक यूनिट अपने उत्पाद पर विभाग द्वारा अनुमोदित निर्धार्य मूल्य के अतिरिक्त 1.50 रु० प्रति मीटरी टन लदान-प्रभार लगा रही थी।

लदान-प्रभार वास्तविक सुपुर्दगी से पूर्व फैक्टरी परिसर में किया गया व्यय होने के कारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की धारा 4 के अन्तर्गत मूल्य का एक अनिवार्य भाग हैं।

व्यापार से समरूप में प्रभारित इस प्रकार के लदान-प्रभारों को छोड़ने के परिणामस्वरूप उत्पाद का अव-मूल्यांकन हुआ जिससे अप्रैल 1970 से सितम्बर 1975 तक की अवधि के दौरान 84,652 रु० का कम निर्धारण हुआ।

तथ्यों की पुष्टि करते हुए विभाग ने सूचित किया है कि कम निर्धारण की राशि वसूल कर ली गई है। उन्होंने यह भी बताया कि अनियमितता सबसे पहले सितम्बर 1973 में विभागीय निरीक्षण दल द्वारा देखी गई थी, किन्तु अनुवर्ती कार्यवाही करने में विलम्ब हुआ।

कृत्रिम या संश्लिष्ट बैरोजा और प्लास्टिक का सामान (टैरिफ मद 15-क)

61. गलत वर्गीकरण के कारण अव-निर्धारण

टैरिफ मद 15-क में अन्य बातों के साथ-साथ सभी प्रकार के कृत्रिम या संश्लिष्ट बैरोजा पर शुल्क लगाने की व्यवस्था है।

जून 1971 में यथा संशोधित अधिसूचना के कारण ऐल्काइड बैरोजा शुल्क की "शून्य" दर लगनी है जब कि मैलेइक और फिनोलिक बैरोजा

उस में दी गई इन बैरोजों की परिभाषाओं के अद्यधीन रियायती दरों पर उत्पाद-शुल्क योग्य है ।

उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के केन्द्रीय बोर्ड ने नवम्बर 1964 में यह बताते हुए अनुदेश जारी किए कि वाष्पशील कार्बनिक विलायक में संश्लिष्ट बैरोजों के घोल मद 15-क की परिधि से केवल तब ही निकाले जाने थे जब विलायक का वजन घोल के वजन से 50 प्रतिशत बढ़ जाता । विलायक के वजन के संदर्भ में 50 प्रतिशत का मापदंड नवम्बर 1971 में जारी किए गए अनुदेश द्वारा वापस ले लिया गया था, जिसमें बोर्ड द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि बैरोजों के घोल वाष्पशील विलायक अंश का ध्यान किए बिना घोल के समस्त भार के मूल्य पर उत्पाद-शुल्क लगाये जाने योग्य होंगे ।

(क) एक फैक्टरी ने बद्ध खपत के लिए 47.8 प्रतिशत वाष्पशील कार्बनिक विलायक वाले घोल के रूप में परिशोधित ऐल्काइड तेल और फिनोलिक बैरोजों के एक मिश्रण का विनिर्माण किया । कलकटरी द्वारा उत्पाद को टैरिफ मद 14(ii)(i) के अन्तर्गत वार्निश के रूप में वर्गीकृत किया और उसका निर्धारण शून्य शुल्क की दर पर किया । चूंकि उत्पाद दो प्रकार के बैरोजों अर्थात् ऐल्काइड और फिनोलिक का सम्मिश्रण था, इसलिए परिणामी घोल बैरोजा घोल के रूप में शुल्क लगाये जाने योग्य था । गलत वर्गीकरण के कारण जून 1971 से जुलाई 1973 तक के दौरान हुए अर्ध-निर्धारण का परिकलन (लगभग) 2,51,625 रु० हुआ ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि उप-महारासायनज के फरवरी 1976 के मत के अनुसार उत्पाद, रसायन द्वारा परिशोधित ऐल्काइड बैरोजा है और ऐल्काइड बैरोजा का फिनोलिक बैरोजे के साथ सम्मिश्रण नहीं है । उन्होंने यह भी बताया है कि मामले की नये सिरे से जांच करने और उत्पाद का ठीक प्रकार से वर्गीकरण करने की कार्यवाही आरम्भ हो गई है ।

(ख) ऐल्काइड बैरोजा शुल्क से मुक्त था जो अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त के अद्यधीन था कि जब इस का विनिर्माण ऐनहाइड्राइड

पारस्परिक क्रिया द्वारा किया जाए तो इसका मैलेइक ऐनहाइड्राइड बैरोजे में फ़ैथेलिक ऐनहाइड्राइड की मात्रा पर परिकलित 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

एक फैक्टरी ने मैलेइक और फ़ैथेलिक ऐनहाइड्राइड सहित विभिन्न अंशों की पारस्परिक क्रिया द्वारा एक उत्पाद का विनिर्माण किया । उसमें उपयोग में लाए गए मैलेइक ऐनहाइड्राइड की प्रतिशतता उपयोग में लाए गए फ़ैथेलिक ऐनहाइड्राइड की मात्रा पर किए गए परिकलन के आधार पर चार तक थी । सहायक कलक्टर द्वारा उत्पाद टैरिफ मद 14 के अन्तर्गत मध्यम वार्निश के रूप में वर्गीकृत किया गया और वार्निश रूप में शुल्क का भुगतान किए बिना आन्तरिक रूप से उपयोग में लाया गया, यद्यपि सम्बद्ध रसायन रिपोर्ट में उत्पाद की 41.6 प्रतिशत वाष्पशील विलायक लिए हुए संश्लिष्ट बैरोजा (ऐल्काइड) का घोल बताया गया था । इसलिए विवादास्पद बैरोजा घोल का वार्निश के रूप में निर्धारण किया जाना गलत था ।

इसके अतिरिक्त रेजिन घोल में फ़ैथेलिक ऐनहाइड्राइड के संदर्भ में मैलेइक ऐनहाइड्राइड की प्रतिशतता निर्धारित 2 प्रतिशत की सीमा से बढ़ गई थी, इसलिए यह टैरिफ दर से निर्धारण किये जाने योग्य था जिसमें जनवरी 1972 से दिसम्बर 1973 की अवधि के दौरान लगभग 3,56,479 रु० तक शुल्क अन्तर्गस्त था ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है ।

62. शुल्क का कम लगाया जाना

एक लाइसेंसधारी ने पहली जनवरी, 1974 से 18 नवम्बर, 1974 की अवधि के दौरान 1300 रुपये प्रति मीटरी टन के निर्धार्य मूल्य पर कास्टामाइड बैरोजे की निकासी की । पहली जनवरी, 1974 से प्रभावी निर्धार्य मूल्य को 2,141 रु० प्रति मीटरी टन तक बढ़ाकर एक संशोधित मूल्य सूची 19 नवम्बर, 1974 को प्रस्तुत की गई । लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 1 जनवरी, 1974 से 18 नवम्बर, 1974 तक की अवधि के लिए कलक्टर द्वारा विभेदक शुल्क की मांग नहीं की

गई थी। इस चूक की ओर ध्यान दिलाए जाने पर कलकटरी ने 2,35,769 रु० के विभेदक शुल्क की वसूली की।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया है।

टायर (टैरिफ मद 16)

63. अनुज्ञेय छूट के कारण अव-निर्धारण

टैरिफ मद 16 की उप-मद (1) के अन्तर्गत आने वाले स्कूटरों, मोटर साइकिलों, मोपेड्स और आटोसाइकिलों के टायर 31 जुलाई, 1974 तक 50 प्रतिशत यथा मूल्य पर और इसके पश्चात् 55 प्रतिशत यथा मूल्य पर शुल्क से निर्धार्य थे। टायर में अन्दर की ट्यूब और बाहरी कवर शामिल थे। सामान्य निर्धारण पद्धति यह थी कि टैरिफ मद 16(1) के अन्तर्गत अन्दर की ट्यूबों और बाहरी कवरों पर अलग-अलग शुल्क निर्धारण किया जाता था और फैक्टरी से अलग-अलग ही निकासी की जाती थी। इस प्रकार से टैरिफ मद 16(1) के अन्तर्गत निर्धारण के लिए प्रस्तुत टायर या तो अन्दर की ट्यूब या बाहरी कवर का सूचक हो सकता है।

दिनांक 18 जनवरी, 1974 की छूट अधिसूचना के अन्तर्गत कुछ विनिर्दिष्ट साइजों और तह की श्रेणियों के अनुरूप उपरोक्त वाहनों के टायर 25 प्रतिशत यथा मूल्य की रियायती दर पर शुल्क से निर्धार्य थे। चूंकि विनिर्दिष्ट साइज और तह की श्रेणियां वास्तविक विशेषताओं की सूचक थीं और चूंकि अन्दर की ट्यूबों के लिए कोई तह की श्रेणी नहीं हो सकती थी इसलिए शुल्क की रियायती दर केवल बाहरी कवरों पर ही लागू थी। तथापि यह देखने में आया कि शुल्क की रियायती दर इस प्रकार के टायरों की अन्दर की ट्यूबों और बाहरी कवरों के सम्बन्ध में अनुज्ञात थीं। टायरों की अन्दर की ट्यूबों का रियायती दर पर निर्धारण किए जाने के परिणामस्वरूप दो कलकटरियों में दो फैक्टरियों के सम्बन्ध में 6 फरवरी, 1974 से 28 फरवरी, 1975 तक की अवधि के दौरान 7,77,203 रुपयों का कम उदग्रहण हुआ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि चूंक 'टायर' की परिभाषा में अन्दर की ट्यूब भी शामिल है, इसलिए आपत्ति स्वीकार नहीं की जाती है। तथापि विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह कैसे हो सकता था और यह कैसे सुनिश्चित किया गया था कि अन्दर की ट्यूबों, जिनका शुल्क के लिए अलग-अलग निर्धारण किया गया था और निकासी की गई थी, वास्तव में विनिर्दिष्ट तह की श्रेणी के बाहरी कवरों में प्रयोग की गई थीं।

रबर के उत्पाद (टैरिफ मद 16-क)

64. शुल्क न लगाया जाना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने नवम्बर 1962 में अनुदेश जारी किए कि शुल्क प्रदत्त ट्रीड रबड़ या कैमल बैक की कतरनों से बनी पुनः मशीन से तैयार की हुई और पुनः निस्स्रावित वस्तुओं पर कोई शुल्क प्रभारित नहीं होना चाहिए बशर्ते कि प्रक्रिया में कोई नया कच्चा माल न जोड़ा जाए और पुनः मशीन से तैयार करने और पुनः निस्स्रावन का कार्य उत्पाद-शुल्क (स्टाफ) के पर्यवेक्षण में किया जाए और विनिर्माता द्वारा उपयुक्त लेखे रखे जाएं। बोर्ड के ये कार्यकारी अनुदेश केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 3 के अन्तर्गत लगाए जाने योग्य शुल्क की अदायगी से छूट देने के लिए प्रभावी थे, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली के नियम 8(1) के अन्तर्गत केवल अधिसूचना जारी करके ही किया जा सकता था। यह अनुदेश प्रारम्भ से ही कानूनी समर्थन से रहित थे और इसके अन्तर्गत प्राप्त रियायतें अनियमित थीं। जुलाई 1968 में इस ओर कलकटरी का ध्यान दिलाया गया। बोर्ड ने दिसम्बर 1972 में रियायत वापस ले ली। नवम्बर 1962 से दिसम्बर 1972 की अवधि के दौरान एक कलकटरी में दस विनिर्माताओं द्वारा प्राप्त इस रियायत का परिकलन 2,58,695 रु० किया गया।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने स्पष्ट किया है कि कुछ वर्ष पहले तक कार्यकारी अनुदेशों द्वारा इस प्रकार की रियायतें अनुज्ञात करने की प्रथा थी। उन्होंने यह भी बताया कि कलकटर ने 1,74,980 रु० की

राशि के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए आदेश दे दिए थे और 83,715 रु० की शेष राशि के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

प्लाईवुड (टैरिफ मद 16-ख)

65. शुल्क का कम लगाया जाना

प्लाईवुड टैरिफ मद 16-ख के अन्तर्गत यथा मूल्य आधार पर शुल्क के लिए निर्धारित की जाती है । टैरिफ मद प्लाईवुड को दो उप-मदों अर्थात् (i) चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुड जब पट्टियों और शुकों के आकार में काटा जाता है और सेटों में पैक किया जाता है और (ii) सभी अन्य प्रकार में वर्गीकृत करती है । इन दोनों मामलों में निर्धारण के लिए अपनाए जाने वाला मूल्य समय-समय पर सरकार द्वारा नियत किया गया चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुड के लिए टैरिफ मूल्य है, क्योंकि पट्टियों आदि में मानक साइज में काटी गयी चाय की पेटियों को टैरिफ मूल्य के क्षेत्र से विशेष रूप से बाहर नहीं निकाला गया था ।

एक केन्द्रीय उपाद-शुल्क कलकटरी में कुछ फैक्टरियों से किसी मानक साइज में न काटी गई परन्तु सेटों में निकासी की गई चाय की पेटियों की प्लाईवुड को उप-मद 16-ख (ii) के अन्तर्गत गैर-मानक साइज चाय की पेटियों की प्लाईवुड के लिए विहित टैरिफ मूल्य और टैरिफ दर लागू करने के बजाए उनको वाणिज्यिक प्लाईवुड मानते हुए वाणिज्यिक प्लाईवुड पर लागू होने वाला टैरिफ मूल्य और शुल्क की दर लागू करके शुल्क के लिए निर्धारित किया । गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप अप्रैल 1971 से मई 1974 की अवधि के दौरान 4,57,756 रु० की सीमा तक शुल्क कम लगाया गया । कम उदग्रहण की ओर कलकटरी का अप्रैल 1973, जनवरी 1974 और सितम्बर 1974 में ध्यान दिलाया गया । कलकटरी ने कम लगाए गए शुल्क की मांग करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया । कारण बताओ नोटिस की पुष्टि और राशियों की वसूली के सम्बन्ध में सूचना प्रतीक्षित है ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने सूचित किया है कि न्यायालय के आदेशों के परिणामस्वरूप कारण बताओ नोटिस के जारी करने से पूर्व निर्धारण की पद्धति को पुनः चालू किया गया और विभेदक शुल्क की वसूली का प्रश्न नहीं उठा। विभाग ने यह नहीं बताया है कि क्या रिट याचिका मामले के गुण-दोषों पर आधारित है या निर्धारण को पुनः चालू करने से सम्बद्ध तकनीकी महत्व के आधार पर है। तथापि विभाग ने अक्टूबर 1976 में अधिसूचना जारी की, जिससे विचाराधीन प्लाईवुड को वाणिज्यिक प्लाईवुड माना जाएगा।

कागज (टैरिफ मद 17)

66. शुल्क का न लगाया जाना

27 जुलाई 1957 की एक अधिसूचना के अन्तर्गत टैरिफ मद 17 के अन्तर्गत आने वाले और शुल्क प्रदत्त कागज से बने पोलिथिन आवृत्त कागज पर और लगाए जाने वाले शुल्क के भुगतान से छूट थी।

एक फैक्टरी शुल्क प्रदत्त कागज और पोलिथिन की कणिकाओं से पोलिथिन परतदार कागज का विनिर्माण करती थी। परत बन्दी प्रक्रिया में कागज की एक ओर या दोनों ओर पोलिथिन की तहों या परतों का लगाया जाना शामिल था। चूंकि पोलिथिन परतदार कागज पोलिथिन आवृत्त कागज से भिन्न था इसलिए 27 जुलाई, 1957 की छूट अधिसूचना पोलिथिन परतदार कागज के संबंध में 27, जुलाई 1957 की छूट अधिसूचना के अनुसार लागू नहीं थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाने पर कलकटरी ने अप्रैल 1970 से फरवरी 1974 तक की अवधि के लिए 18,37,580 रु० की मांग की। निर्धारित मार्च 1974 से लेकर पोलिथिन परतदार कागज पर शुल्क का भुगतान कर रहा था।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने मांग जारी किए जाने के तथ्यों की पुष्टि करते हुए सूचित किया है कि पार्टी ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी है। तथापि यह नहीं बताया गया है कि क्या रिट याचिका मामले के गुण-दोषों पर आधारित है या निर्धारण को पुनः चालू करने से सम्बद्ध तकनीकी महत्व के आधार पर है।

67. स्लैब छूट के गलत लगाए जाने के कारण अब-निर्धारण

दिनांक पहली मार्च, 1973 की अधिसूचना द्वारा समाचार पत्र के कागज से इतर सभी प्रकार के कागज और सभी प्रकार के गत्तों, जिनमें लुगदी के रूप में जो 40 प्रतिशत से कम न हो, खोई (वैगैसी) जूट के उटल या धान्य के तिनके होते हैं, के सम्बन्ध में नौ पैसे प्रति किलोग्राम तक शुल्क की राहत दी गई थी। उसी तारीख को जारी की गई एक अन्य अधिसूचना द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान किसी विनिर्माता द्वारा निकासी की गई कागज की कुछ विनिर्दिष्ट किस्मों से इतर सभी प्रकार के कागज के सम्बन्ध में कागज के पहले 4,000 मीटरी टन के लिए शुल्क की एक स्लैब छूट दी गई थी, बशर्ते कि यह छूट उस विनिर्माता के सम्बन्ध में अनुज्ञात नहीं होगी जिसने वित्तीय वर्ष के दौरान निकासी किए गए कागज के पहले 4,000 मीटरी टन के सम्बन्ध में पहली अधिसूचना के अन्तर्गत दी गई रियायत का स्वयं लाभ उठाया हो।

एक कलकटरी में एक कागज फैक्टरी ने अप्रैल 1973 से जून 1973 तक कागज की निकासी के लिए दूसरी अधिसूचना के अन्तर्गत अनुज्ञात रियायत का लाभ उठाया और जुलाई 1973 से कागज के 4,000 मीटरी टन की निकासी के लिए पहली अधिसूचना में दी गई रियायत का लाभ उठाया। पहली जुलाई, 1973 से पहली अधिसूचना में दी गई रियायत का लाभ उठाने के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इस आधार पर आपत्ति उठाई गई कि रियायत का लाभ अधिसूचना में विहित अन्य शर्तों को पूरा किए जाने के अर्धवर्षीय वित्तीय वर्ष के दौरान निकासी किए कागज के लिए उठाया जा सकता है। कलकटर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ने मामला बोर्ड को भेज दिया जिसने विधि मंत्रालय से परामर्श करके जनवरी 1976 में स्पष्ट किया कि उपरोक्त अधिसूचना में दी गई रियायत केवल वित्तीय वर्ष के दौरान निकासी किए कागज के पहले 4,000 मीटरी टन के लिए लागू हो सकती है (जैसा कि लेखापरीक्षा का विचार था) बशर्ते कि इस मात्रा के सम्बन्ध में अन्य छूट अधिसूचना के अन्तर्गत कोई अन्य रियायत का लाभ न उठाया जाय। कलकटरी ने सूचित किया है (जुलाई 1976) कि फैक्टरी से 4,70,333 रु० की मांग उठाई गई है।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है ।

सब प्रकार का धागा जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं किया गया (टैरिफ मद 18-ड)

68. अव-निर्धारण

17 मार्च 1972 से मिश्रित धागे को टैरिफ मद 18-ड "सब प्रकार का धागा, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया गया" के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उद्ग्रहण के अन्तर्गत लाया गया था ।

उपरोक्त किस्म के मिश्रित धागे का विनिर्माण करने वाली तीन यूनिटों ने उसकी सरेस लगी दशा में निकासी की, किन्तु शुल्क का भुगतान धागे के बिना सरेस लगे वजन के आधार पर किया गया । चूंकि टैरिफ मद 18-ड. के अन्तर्गत दिए गए स्वरूप में सभी प्रकार की अभिव्यक्ति के अन्तर्गत अन्य के साथ-साथ सरेस लगे और बिना सरेस लगे दोनों प्रकार के धागे आते थे इसलिए लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाया गया कि धागा, सरेस लगे धागे के वजन के आधार पर, जिस रूप में इस की निकासी की गई थी, शुल्क के लिए निर्धार्य था । फरवरी 1973 से जून 1975 की अवधि के दौरान इसमें अन्तर्गत अव-निर्धारण का परिकलन 12,78,041 रु० किया गया ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने स्थिति को स्वीकार करते हुए बताया कि कलकटरी को अनुदेश जारी कर दिए हैं और मांग कर दी गई है ।

सूती वस्त्र (टैरिफ मद 19)

69. शुल्क न लगाया जाना

प्रत्येक फैक्टरी के बंधक भंडार कक्ष में रखी गई वस्तुओं की कम से कम वर्ष में एक बार माल-पड़ताल की जानी और प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध स्टॉक का खाता शेष से मिलान किया जाना अपेक्षित है जिससे यह

सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी माल उचित प्रलेखन और शुल्क का भुगतान किए बिना बंधक भंडार कक्ष से निकाला नहीं गया है। प्रत्यक्ष जांच के दौरान देखी गई किन्हीं कमियों के सम्बन्ध में जिनका स्पष्टीकरण न दिया जाए, शुल्क लगाया जाना अपेक्षित है।

एक कलकटरी में एक कपड़ा मिल में पहली जनवरी 1975 को की गई प्रत्यक्ष माल-पड़ताल से पता चला कि उस दिन बढ़िया सूती कपड़े का स्टॉक "कुछ नहीं" था। स्टॉक जांच अधिकारी द्वारा खाता शेष की तुलना में कमी का परिकलन 51,668.47 रैखिक मीटर किया गया जो इस अवधि के दौरान बंधक भंडार कक्ष में भेजी गई कुल मात्रा का केवल 6.99 प्रतिशत था, जिसे बाद में कलकटरी द्वारा 2 जुलाई 1975 को सामान्य प्राकृतिक कारणों से माफ कर दिया गया था।

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान माल-पड़ताल रिपोर्ट की संवीक्षा करते हुए (अगस्त 1975) यह देखने में आया कि वास्तव में कमी 1,72,903 रैखिक मीटर की थी और माल-पड़ताल रिपोर्ट में दर्शाई गई कम संख्या गणितीय गलती (1 लाख रैखिक मीटर) और दैनिक स्टॉक लेखा (आरजी-1) के गलत प्रकार से मिलाने के कारण थी। इसके अतिरिक्त कपड़े की अन्य श्रेणियों के स्टॉक लेखा में अभिनिश्चित शेषों और वास्तविक शेषों में गलतियां थीं। लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर कमियों के सम्बन्ध में विभाग ने देय शुल्क के रूप में 1,54,755 रु० की राशि की वसूली की।

70. धोतियों की अधिक निकासी पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का न लगाया जाना

किसी मिल से किसी तिमाही के दौरान धोती (अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत नियत धोतियों के अनुमत्य कोटे से अधिक निकासी की गई धोतियां, अधिनियम में उल्लिखित दरों पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के लिए प्रभार्य हैं। केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों में प्रत्येक मिल द्वारा

अनुमत्य कोटे से अधिक धोतियों की निकासियों पर दंडस्वरूप शुल्क के भुगतान पर ध्यान रखने के लिए अभिलेखों के रखने की व्यवस्था है ।

एक कलकटरी में एक कपड़ा मिल ने, जो टेरी-सूती धोतियों (जो आंशिक रूप से सूती और आंशिक रूप से पोलियस्टर कपड़े से बनी हुई थीं) का विनिर्माण कर रही थी, इस आधार पर ऐसी धोतियों की निकासी को इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की थी कि धोतियां 'कृत्रिम रेशमी कपड़े' के रूप में शुल्क के लिए प्रभार्य थीं और "सूती कपड़े" के रूप में नहीं । यह गलत था, क्योंकि "धोती" शब्द, जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है, में आंशिक रूप में या पूर्णतया सूत से बनी हुई और आंशिक रूप से अन्य सामग्री से बनी हुई धोतियां शामिल थीं । कलकटरी का इस ओर नवम्बर 1972 में ध्यान दिलाया गया था । जनवरी—मार्च 1973, अप्रैल—जून 1973, जुलाई—सितम्बर 1974 और अक्तूबर—दिसम्बर 1974 में धोतियां अनुमत्य सीमा से अधिक भेजी गई थीं और इसके परिणामस्वरूप कुल 37,572 रुपये की मांगें अप्रैल, मई और नवम्बर 1975 में की गई ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया है कि कुल 75,503 रुपये की राशि के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए थे, जिसमें से 71,055 रु० का भुगतान कर दिया गया है जबकि 4,448 रु० की शेष राशि अपील में है ।।

71. कम-निर्धारण

पहली मार्च 1975 को जारी की गई एक अधिसूचना के अन्तर्गत 49 करघों तक के बिजली करघों (टैरिफ मद 19 के अन्तर्गत आने वाले) पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की (मिश्रित उद्ग्रहण) समान दर लागू की गई थी । तथापि 30 अप्रैल 1975 की एक अधिसूचना द्वारा बिजली करघों की संख्या के आधार पर बाद में इस शुल्क को कम कर दिया गया था । उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क के केन्द्रीय बोर्ड ने जनवरी

1972 में स्पष्ट किया कि शुल्क की मिश्रित दरों का बदले जाने की तारीख से यथानुपात आधार पर पुनर्परिकलन किया जाना है। इसका यह अर्थ है कि मिश्रित उद्ग्रहण का यथानुपात अवधारण एक दिन को समय यूनिट के रूप में अपना कर किया जाना है अर्थात् यथास्थिति एक तिमाही या एक वर्ष को दिनों में अभिव्यक्त अवधि के खंड को शुल्क की विभिन्न दरों वाले अवधि खण्डों में तोड़ा जाना चाहिए और सम्बन्ध अवधि को दोनों दरों से व्युत्पन्न दैनिक शुल्क से गुणा करना चाहिए और फिर तिमाही या वार्षिक शुल्क निकालने के लिए इनका जोड़ किया जाना चाहिए।

तथापि कलक्टर ने पहली मार्च 1975 से उपरोक्त अनुदेशों पर ध्यान दिए बिना 30 अप्रैल 1975 की अधिसूचना के अनुसार कम की गई दरों पर शुल्क की वसूली की। पहली मार्च 1975 से 30 नवम्बर 1975 तक की अवधि के लिए 1,24,968 रुपये के शुल्क के कम निर्धारण की ओर लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाया गया।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने तथ्यों के पर्याप्त रूप से सही होने की पुष्टि करते हुए सूचित किया है कि इसमें कुल 1,47,404 रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त है जिसमें से 84,691 रुपये की वसूली की जा चुकी है और शेष राशि की वसूली की जा रही है।

72. गलत वर्गीकरण के कारण अव-निर्धारण

विभाग के रसायन परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर एक लाइसेंसधारी द्वारा तैयार किए गए पोलिथीलिन परतदार सूती कपड़े (जिसे आमतौर पर चर्मदस्त्र के रूप में जाना जाता है) को टैरिफ मद संख्या 19-III के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था और यथामूल्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क लगाए जाने के अद्यधीन था। तथापि अपील में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के कलक्टर ने निर्णय दिया कि उत्पाद का सम्बन्ध टैरिफ मद संख्या 19(1)(2) से था और उसमें विहित कम दर पर शुल्क लगाए जा सकने योग्य था। इस अपीलीय आदेश के फलस्वरूप अगस्त 1969 से मई 1970 तक की गई कपड़े की निकासी के सम्बन्ध में लाइसेंसधारी को 37,885 रु० के शुल्क की वापसी की गई।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाया गया (फरवरी 1972) कि वापसी उचित नहीं थी, क्योंकि रसायन परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त बजट अनुदेश 1971 में दिए गए विशिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद टैरिफ मद 19-III के अन्तर्गत सही रूप से वर्गीकरण था। इसके पश्चात् उपरोक्त मद के वर्गीकरण को संशोधित कर दिया गया और जून 1971 और जून 1973 के बीच की गई निकासी पर देय 2,06,260 रु० के लिए विभेदक शुल्क की मांग लाइसेंसधारी को भेजी गई थी। मांग की पुष्टि अपीलीय कलक्टर द्वारा अप्रैल 1975 में की गयी है।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया है कि पार्टी ने अपीलीय आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन-पत्र दायर कर दिया है।

73. गलत वर्गीकरण के कारण अव-निर्धारण

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ मद 19 I (1) में उल्लिखित कुछ किस्म के सूती वस्त्र उस श्रेणी का, जिसके अन्तर्गत वे आते हैं, और प्रक्रिया के स्वरूप का ध्यान किए बिना यथामूल्य आधार पर शुल्क के लिए निर्धार्य हैं। 'डेनिम' जिसे रंगीन ताने वाले धागे और भूरे बाने वाले धागे से बुने गये "ताने के आकार वाले टुइल" कपड़े के रूप में वर्णित किया गया है इस प्रकार का एक कपड़ा है।

(क) एक कलक्टरी में एक कपड़ा मिल ने अक्टूबर 1973 तक बनाए गए कपड़ों की 'डेनिम' के रूप में यथामूल्य आधार पर 15 प्रतिशत की दर से मूल और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् निकासी की। इसके पश्चात् लाइसेंसधारी द्वारा बनाए गए इस प्रकार की बुनाई के व्योरो वाले कपड़ों को मद 19 I (2) के अन्तर्गत "पोशाक सामग्री" के रूप में वर्णित किया गया और विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् निकासी की गई जिसके परिणामस्वरूप कपड़ों के गलत वर्गीकरण के कारण अव-निर्धारण हुआ। जब लेखापरीक्षा

द्वारा इस ओर ध्यान दिलाया गया तो कलकटरी ने उत्तर दिया कि 1,50,985 रु० के शुल्क की वसूली के लिए दिसम्बर 1975 और जनवरी 1976 में तीन कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि मामला मुख्य रसायनज्ञ को भेजा गया है ।

(ख) इसी कलकटरी के अधीन एक अन्य मामले में इसी कपड़े के ऐसे ही गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप जनवरी 1974 से जुलाई 1975 की अवधि के लिए 3,50,447 रु० के शुल्क का अव-निर्धारण हुआ ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया है कि विभेदक शुल्क की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था और 2 सितम्बर 1976 को उसकी पुष्टि हो गई थी ।

(ग) एक अन्य कलकटरी के अधीन एक कपड़ा मिल ने केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ मद 19 I(1) के अन्तर्गत "दिवारदरी" (टेपेस्ट्री) के रूप में वर्गीकृत किये गये कपड़ों का विनिर्माण किया और यथामूल्य आधार दर पर शुल्क देयता चुकाने के पश्चात् उनकी निकासी की । इसके बाद इसी प्रकार के निर्माण ब्यौरों वाले सूती कपड़ों का "पोशाक सामग्री" के रूप में बताते हुए टैरिफ मद 19 I(2) के अन्तर्गत वर्गीकरण किया गया और विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् निकासी की गयी । जब गलत वर्गीकरण और परिणामतः शुल्क के अव-निर्धारण की ओर ध्यान दिलाया गया तो कलकटरी ने बताया (जून 1976) कि सूती कपड़े टैरिफ मद 19 I(1) के अन्तर्गत "सूटिंग" के रूप में वर्गीकरणीय थे और पहली अप्रैल 1974 से 31 जुलाई 1975 तक की अवधि के लिए 2,40,294 रु० के शुल्क की वसूली के लिए 27 नवम्बर 1975 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने उत्तर में बताया है कि सम्बद्ध सहायक कलकटर द्वारा अभी तक वर्गीकरण के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

74. अब-निर्धारण

टैरिफ मद 19-I(2) की विभिन्न उपधाराओं के अन्तर्गत सूती वस्त्रों का वर्गीकरण उनमें होने वाले धागे की औसत संख्या के आधार पर किया जाता है, बशर्ते कि टैरिफ मद 19 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण III में विहित नियमों के अनुसार कपड़ों में धागे की औसत संख्या अभिनिश्चय हो। तथापि जहां कपड़े में धागे की औसत संख्या का अबधारण नहीं किया जा सकता, वहां कपड़ा टैरिफ मद 19-I(2)(च) के अन्तर्गत “सूती वस्त्र अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं”, के रूप में वर्गीकरणीय है।

एक कपड़ा मिल ने बाने में दो हरे धागे बहुल परत अर्थात् सूती धागे और गैर-सेल्लोसिक मूल के चमकदार धागे से अपने द्वारा बनाए गए सूती वस्त्रों का टैरिफ मद 19 I(2)(क) के अन्तर्गत ‘अति उत्कृष्ट’ (सुपर फाइन) रूप में वर्गीकरण किया। क्योंकि विहित सूत्रों द्वारा कपड़े में धागे की औसत संख्या अभिनिश्चित की जानी संभव नहीं थी इसलिए वस्त्र का “सूती वस्त्र अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं” के रूप में वर्गीकरण किया जाना चाहिए था और उच्चतर दरों पर शुल्क लगाया जाना था। निचली श्रेणी में वर्गीकरण किए जाने के परिणामस्वरूप नवम्बर 1973 से फरवरी 1975 तक की अवधि के लिए 33,289 रु० के शुल्क का अब-निर्धारण हुआ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया है कि कम उद्ग्रहण की राशि का परिकलन किया जा रहा है (फरवरी 1977)।

75. शुल्क का कम उद्ग्रहण

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 96-ब के अनुसार एक सूती धागे (टैरिफ मद 18-क) का विनिर्माता जो अपनी फैक्टरी में सूती वस्त्रों (टैरिफ मद 19) के उत्पादन में धागे का पूर्णतया या आंशिक रूप से उपयोग करता है, कपड़े पर शुल्क के साथ इस प्रकार से उपयोग में लाए गए धागे पर शुल्क का भुगतान कर सकता है। इस प्रकार के धागे पर लगाई जाने वाली शुल्क की दर उत्पादित सूती वस्त्रों के S/3C&AG/77-7

वर्ग मीटरों के आधार पर सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जानी होती है। इस मद के अन्तर्गत आने वाली सूती कपड़े की कुछ किस्मों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा पहली मार्च 1974 से प्रभावी 5 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर नियत की गयी।

यह देखने में आया कि दो कलक्टरियों में इस क्रियाविधि का लाभ उठाने वाले तीन विनिर्माताओं ने सूती वस्त्रों पर जो यथामूल्य शुल्क के लिए निर्धार्य थे, देय शुल्कों को चुकाते समय 5 पैसे प्रति वर्ग मीटर के धागा अवस्था शुल्क का भुगतान किया। तथापि 5 पैसे प्रति वर्ग मीटर का धागा अवस्था शुल्क जो इस प्रकार के सभी वस्त्रों पर संगृहीत किया गया था, वस्त्रों के निर्धार्य मूल्य में शामिल नहीं किया गया था, किन्तु इसे दो अलग-अलग बीजकों में दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा ने इस ओर अक्टूबर 1974 और अक्टूबर 1975 में ध्यान दिलाया कि निम्नलिखित कारणों से सूती वस्त्रों के निर्धार्य मूल्य में धागा शुल्क सही रूप से शामिल किए जाने योग्य था।

(i) नियमों में केवल एक विशेष क्रियाविधि के सम्बन्ध में अनुमति दी गई थी जिसके द्वारा धागा शुल्क के भुगतान को स्थगित किया गया था और माल (इस उदाहरण में सूती वस्त्र) का मूल्यांकन सामान्य रीति से किया जाना है।

(ii) दोनों माल, सूती धागा और सूती कपड़े दो विभिन्न टैरिफ मदों के अन्तर्गत आते हैं और धागा शुल्क जो वस्त्रों की लागत का एक अभिन्न अंग है, वस्त्रों के निर्धार्य मूल्य में शामिल किए जाने योग्य हैं।

सूती वस्त्रों के निर्धार्य मूल्य में धागा अवस्था शुल्क के शामिल किए जाने में चूक होने के परिणामस्वरूप तीन मामलों में मार्च 1974 से सितम्बर 1975 की अवधि के दौरान की गई निकासियों के सम्बन्ध में 1,36,412 रु० के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

पैरा राजस्व और बैंकिंग विभाग को सितम्बर 1976 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1977)।

सीमेंट (टैरिफ मद 23)

76. पैकिंग प्रभारों के शामिल न किए जाने के कारण अव-निर्धारण

(क) सीमेंट यथामूल्य आधार पर शुल्क के लिए निर्धार्य है । भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या 183/11/69-सी-एक्स-1 तारीख 8 जनवरी 1970 के अनुसार यदि कोई सीमेंट की किस्म किसी ऐसे प्रकार की है कि जिसे खराब होने की संभावना या ऐसे ही कारणों से पैक की हुई अवस्था के बिना नहीं बेचा जा सकता, तो इस प्रकार की किस्म के सीमेंट का निर्धारण पैकिंग प्रभारों सहित उसके मूल्य पर किया जाएगा । एक फैक्टरी द्वारा प्रस्तुत की गई मूल्य सूची में यह घोषित किया गया था कि सीमेंट थोक और खुले रूप में प्रेषित किया जाएगा । किन्तु यह देखने में आया कि फैक्टरी द्वारा तैयार किये गये हाइड्रोफोबिक सीमेंट की हमेशा पैक की हुई अवस्था में निकासी की गई और शुल्क का निर्धारण और वसूली पैकिंग प्रभारों को निकालकर मूल्य पर की गई ।

इस प्रकार निर्धार्य मूल्य में पैकिंग प्रभारों के शामिल न किए जाने के परिणामस्वरूप नवम्बर 1974 से मार्च 1975 की अवधि के दौरान 54,512 रु० का अव-निर्धारण हुआ ।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर कलकटरी ने नवम्बर 1974 से जुलाई 1975 तक की अवधि के लिए 1,15,420 रु० की मांग की ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया है कि पार्टी को राशि के लिए मांग भेज दी गई है, जिसने अभी तक राशि का भुगतान नहीं किया है ।

(ख) एक अन्य कलकटरी में जुलाई 1975 से जनवरी 1976 की अवधि के दौरान दो मामलों में पैकिंग प्रभारों को शामिल करने में इसी प्रकार की चूक के परिणामस्वरूप 3.90 लाख रु० की सीमा तक कम उद्ग्रहण हुआ ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने एक मामले में तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया है कि कम निर्धारित की गई राशि (1.04 लाख रु०) निर्धारित द्वारा अदा कर दी गई है । दूसरे मामले में तथ्यों की पुष्टि प्रतीक्षित है (फरवरी 1977) ।

ताँबा और ताँबा मिश्र धातु (टैरिफ मद 26-क)

77. अब-निर्धारण

एक फैक्टरी में बाकायदा गुथी हुई और साथ ही दोनों किनारों पर पुर्जे लगाने के पश्चात् ताँबे की लचकदार ट्यूबों/पाइपों का विनिर्माण किया गया और उन्हें बेचा गया। इन लचकदार ट्यूबों को इन पुर्जों की सहायता से ही उपयोग में लाया जा सकता था और इस प्रकार से ये पाइपों और ट्यूबों का भाग थे। इस प्रकार से गुथी हुई (ब्रेडिंग) बनाना लचकदार ट्यूबों का अभिन्न अंग था और उसकी लागत ट्यूबों/पाइपों की लागत का अभिन्न अंग थी। उत्पाद-शुल्क विशेष पैकिंग, प्रेषण और लपेटन प्रभारों पर भी प्रभावी था। यह देखने में आया कि पुर्जे लगाने, गुथने (ब्रेडिंग), लपेटने और पैकिंग प्रभार बीजकों में अलग-अलग दिखाए गए थे और उन पर किसी भी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था। चूंकि ट्यूबों/पाइपों को केवल गुथने और पुर्जे लगाने आदि के पश्चात् उपयोग में लाया जा सकता था इसलिए जुलाई 1969 से मार्च 1974 की अवधि के लिए 54,730 रु० के उनके प्रभार शुल्क के निर्धारण के लिए ट्यूब/पाइपों की लागत में शामिल किए जाने चाहिए थे।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने तथ्यों को मीटे तौर पर स्वीकार करते हुए बताया है कि मामला न्याय निर्णय प्रक्रियाधीन है।

ऐलूमिनियम (टैरिफ मद 27)

78. ऐलूमिनियम की पट्टियों का गलत वर्गीकरण

एक कलक्टर में एक यूनिट टैरिफ मद 27 के अन्तर्गत आने वाली ऐलूमिनियम पट्टियों और टैरिफ मद 33-ख के अन्तर्गत आने वाले बिजली के तार और केबलों का विनिर्माण करती है। जबकि कलक्टर को विद्युत श्रेणी के दोहरे कागज से आवृत्त (विद्युत-रोधी) आयताकार ऐलूमिनियम की पट्टियों के तैयार उत्पाद का वर्गीकरण बोर्ड के पत्र तारीख 30 अगस्त 1962 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के पत्र दिनांक 30 जून 1966 में दिए गए स्पष्टीकरण

के अनुसार करना चाहिए था, उसने इन पट्टियों का वर्गीकरण गैर-उत्पाद-शुल्क योग्य उत्पाद के रूप में अनुमोदित किया था वशर्ते कि मध्यवर्ती उत्पाद "अनावृत ऐलूमिनियम की पट्टियों" पर शुल्क का भुगतान किया गया हो। "दोहरे कागज में आवृत (विद्युत-रोधी) आयताकार ऐलूमिनियम की पट्टियों की, अनावृत ऐलूमिनियम की पट्टियों के लिए अभिप्रेत गेट पासों पर, निकासी की गई थी।

इसके अतिरिक्त गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप कलकटरी द्वारा समय-समय पर दोहरे कागज से आवृत (विद्युत-रोधी) आयताकार ऐलूमिनियम पट्टियों के बजाय "अनावृत ऐलूमिनियम पट्टियों" के लिए 8.80 रु० से लेकर 15.85 रु० प्रति किलोग्राम के बीच की दरों पर मूल्य सूचियां अनुमोदित की गयीं यद्यपि यूनिट ग्राहकों से दोहरे कागज से आवृत (विद्युत-रोधी) ऐलूमिनियम पट्टियों के लिए 21 रु० से 68.25 रु० प्रति किलोग्राम के बीच मूल्य प्रभारित कर रही थी।

यूनिट द्वारा ग्राहकों से दोहरे कागज से आवृत (विद्युत-रोधी) ऐलूमिनियम की पट्टियों के लिए प्रभारित मूल्यों और "अनावृत ऐलूमिनियम पट्टियों" के मूल्यों के बीच 1973-74, 1974-75 और 1975-76 के वर्षों के दौरान 4.5 लाख रु० की सीमा तक के विभेदक मूल्य के निर्धारण और शुल्क की वसूली में चूक इसका परिणाम था।

पैरा राजस्व और बैंकिंग विभाग को अगस्त 1976 में भेजा गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1977)।

79. रियायती निर्धारण

20 अप्रैल 1960 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार पुराने ऐलूमिनियम की रद्दी या शुल्क प्रदत्त प्राकृत धातु से प्राप्त हुई रद्दी से बनी हुई प्लेटें, चादरें, घेरे और पट्टियां निम्न रियायती दर पर शुल्क के लिए निर्धार्य थीं। पुराने ऐलूमिनियम की रद्दी और शुल्क प्रदत्त प्राकृत धातु की रद्दी के सम्मिश्रण से इसी प्रकार की विनिर्मित वस्तुएं 14 जून 1967 तक निम्न रियायती दर के लिए हकदार नहीं थी, जब एक संशोधित अधिसूचना द्वारा परवर्ती श्रेणी की ऐलूमिनियम की वस्तुओं को भी रियायत लागू कर दी गई।

एक विशेष कलक्टररी में यह देखने में आया कि पुराने ऐलूमिनियम की रद्दी और शुल्क प्रदत्त प्राकृत धातु की रद्दी के सम्मिश्रण से बनी ऐलूमिनियम की वस्तुओं का भी 14 जून 1967 से पूर्व की अवधि के लिए शुल्क के लिए निम्न दर पर निर्धारण किया गया। अनजाने में दी गई रियायत के परिणामस्वरूप अप्रैल 1960 से मई 1967 तक नौ यूनिटों में 11,05,574 रुपये का कम निर्धारण हुआ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि 1967 में जारी की गई परवर्ती अधिसूचना 20 अप्रैल 1960 की पूर्व अधिसूचना में किसी कमी को दूर करने के लिए नहीं थी, किन्तु बजट प्रस्ताव के परिणामस्वरूप इस उद्योग को राहत देने के लिए थी। तथापि यह तथ्य बना रहता है कि इस मामले में पूर्वव्यापी प्रभाव से रियायती निर्धारण किया गया था जो कि लागू अधिसूचना के अन्तर्गत नहीं आता था।

अन्तर्दहन इंजन (टैरिफ मद 29)

80. अनियमित छूट

पहली मार्च 1960 की अधिसूचना के अन्तर्गत शुल्क प्रदत्त अन्तर्दहन इंजन लगे मोटर यानों पर उन पर लगाए जाने योग्य उतने शुल्क से छूट थी जोकि इस प्रकार के इंजनों पर अदा किए गए शुल्क के बराबर थी। बोर्ड ने 22 मार्च 1960 के पत्र में स्पष्ट किया कि उन पर प्रदत्त प्रतिलाभ शुल्क को आयातित इंजन लगे मोटर यानों पर शुल्क का भुगतान करते हुए प्रतिसंतुलित भी किया जा सकता था। इसके पश्चात् नियम 56-क के लागू किए जाने से इस प्रकार की फैक्टरियों को प्रोफार्मा क्रेडिट क्रियाविधि के माध्यम से देशज और आयातित यानों पर शुल्क छूट अनुज्ञात की गई थी।

तथापि यह पता चला कि संयुक्त यूनिटों में क्रियाविधि का पालन नहीं किया गया था, बल्कि शुल्क का भुगतान किए बिना मोटर यानों में इंजन लगाने की अनुमति दी गई थी। इस स्थिति को नियमित करने के लिए अन्तर्दहन इंजनों पर यदि वे मोटर यानों के विनिर्माण में संघटक पुर्जों के रूप में उपयोग में लाए जाएं, पूर्णतया शुल्क से छूट देते हुए,

24 जुलाई 1965 को एक संशोधित अधिसूचना जारी की गयी। उपरोक्त अधिसूचना के 12 अप्रैल 1969 को संशोधित किए जाने तक उसके अन्तर्गत आयातित इंजनों पर प्रदत्त प्रतिलाभ शुल्क का कोई प्रतिसंतुलन या 56-क के अन्तर्गत प्रोफार्मा क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं था।

एक कलकटरी मोटर यानों के एक विनिर्माता ने मोटर यानों के विनिर्माण में उपयोग में लाए गए आयातित इंजनों पर प्रदत्त प्रतिलाभ शुल्क के प्रतिसंतुलन की स्वीकृति के लिए आवेदन नहीं किया था, फिर भी उसे 24 जुलाई 1965 की अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात् भी प्रतिसंतुलन की स्वीकृति दे दी गई। इसके बाद विनिर्माता ने नियम 56-क की क्रियाविधि के लिए 10 अगस्त 1966 को औपचारिक रूप से आवेदन किया और इस नियम के अन्तर्गत प्रतिलाभ शुल्क की छूट अनुज्ञात की गई, यद्यपि यह अनियमित थी। इसे 12 अप्रैल 1969 को एक विशेष आदेश द्वारा नियमित किया गया जिसके अनुसार 24 जुलाई 1965 से 11 अप्रैल 1969 की अवधि के दौरान विनिर्माता द्वारा उपयोग में लाए गए इंजनों पर लगाए जाने वाले पूर्ण उत्पाद-शुल्क या अतिरिक्त शुल्क से छूट दी गयी।

इस मामले में उत्पाद-शुल्क अधिकारियों द्वारा अपनाई गई अनियमित पद्धति को छुपाने के लिए विशेष छूट के दिए जाने में 13,16,615 रु० का शुल्क अन्तर्ग्रस्त था।

राजस्व और बैंकिंग विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया है।

विजली की मोटरें (टैरिफ मद 30)

81. राजस्व की हानि

पहली मार्च 1969 की अधिसूचना के अन्तर्गत टैरिफ मद 30 के अन्तर्गत आने वाली विजली की मोटरों पर शुल्क से पूर्णतया छूट थी, बशर्ते कि इस प्रकार की मोटरें टैरिफ मद 33 के अन्तर्गत आने वाले ऐसे विजली के पंखों के विनिर्माण में संघटक पुर्जों के रूप में उत्पादन फैक्टरी में उपयोग में लाए गए हों, जिन पर उत्पाद-शुल्क पूर्णतया लगाये

जाने योग्य था । 15 सितम्बर 1973 को एक अन्य अधिसूचना के जारी किए जाने से पंखों के विनिर्माण में उपयोग में लाई गई मोटरों पर, जिन पर पूर्णतया या आंशिक रूप से शुल्क उद्ग्राह्य था, छूट लागू कर दी गई ।

एक कलक्टरी में दो यूनिटों ने जो रियायती दरों पर बिजली के पंखों की निकासी कर रही थी, 15 सितम्बर 1973 से पूर्व भी पंखों के विनिर्माण में उपयोग में लाई गई मोटरों पर किसी शुल्क का भुगतान नहीं किया था । जनवरी 1975 में लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर कलक्टरी ने 15 सितम्बर 1973 से पूर्व एक यूनिट से इस प्रकार की गई मोटरों की निकासी के संबंध में दिसम्बर 1975 में 7,843 रु० की राशि की वसूली की । इस यूनिट से 6,052 रुपये की राशि की वसूली अभी की जाती है और दूसरे यूनिट से 4,46,356 रुपये की राशि वसूली योग्य है । कलक्टर ने मार्च 1976 में बताया कि मामला उच्च अधिकारियों को भेजा गया है ।

पैरा राजस्व और बैंकिंग विभाग को जुलाई 1976 में भेजा गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1977) ।

बिजली की बैटरियां (टैरिफ मद 31)

82. अव-निर्धारण

एक फैक्टरी ने एक प्रकार की बिजली संचायक बैटरी, जिसे गाड़ी बिजली सेल कहा जाता है और जो टैरिफ मद 31 की उपमद (2) के अन्तर्गत यथामूल्य शुल्क के लिए प्रभार्य थी, का विनिर्माण किया और उत्पाद को तीन व्यापारियों क, ख और ग के माध्यम से एक मात्र रेलवे को आपूर्ति की । इन व्यापारियों ने अलग-अलग से महानिदेशक, पूर्ति और निपटान के साथ दर संविदा का समझौता किया और उन मूल्यों पर रेलवे को सेल बेचे जो उन मूल्यों से अधिक थे जो विनिर्माता उनसे प्रभारित करता था । सेलों पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का भुगतान कम मूल्यों पर किया गया जो विनिर्माता व्यापारियों से प्रभारित करता था । केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग ने ऐसे मूल्यों का समय-समय पर अनमोदन किया ।

लेखापरीक्षा ने इस ओर ध्यान दिलाया कि क्योंकि क और ख व्यापारी कलकटरी के अपने ही जांच परिणामों के अनुसार विद्यमान नहीं थे और क्योंकि 'ग' को की गई विक्री नगण्य होने के कारण उसका झुकाव छाया बाजार के सृजन करने में था इसलिए उत्पाद के एकमात्र ग्राहक रेलवे से प्रभारित मूल्य और न कि विनिर्माता द्वारा व्यापारियों से प्रभारित मूल्य महानिदेशक पूर्ति और निपटान की दर संविदा के अनुसार निर्धार्य मूल्य के रूप में लिये जाने चाहिए ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया है कि व्यापारियों के साथ लेन देन नहीं होने थे और इसलिए ऐसे मूल्य थोक मूल्य के रूप में सही लिए गए थे ।

तथापि यह तथ्य बना रहता है कि महानिदेशक पूर्ति और निपटान की दर संविदा के अनुसार संपूर्ण पूर्तियां रेलवे को दी गई थीं और तथाकथित व्यापारियों के अवास्तविक माध्यम से जनवरी 1971 से जून 1975 तक की अवधि के दौरान 17,38,867 रु० की सीमा तक का अवनिर्धारण हुआ ।

विजली के तार और केबल (टैरिफ मद 33 ख)

8.3. गलत निर्धार्य मूल्य के अपनाए जाने के कारण अव-निर्धारण

टैरिफ मद 33 ख के अन्तर्गत आने वाले विजली के तार और केबल यथा मूल्य शुल्क से निर्धार्य हैं । 12 सितम्बर, 1970 की एक अधिसूचना के अन्तर्गत सरकार ने अन्य वस्तुओं के साथ साथ क्रोड वाले तापानुशीतिल तांबे के कण्डक्टर से बनी दूर संचार कागज विद्युत रोधी समाक्ष केबलों के लिए टैरिफ मूल्य नियत किए ।

एक फ़ैक्टरी ने उपरोक्त प्रकार की दूर संचार समाक्ष केबलों का इस फ़र्क के साथ विनिर्माण किया कि समाक्ष केबलों कागज रोधी नहीं थीं । ये समाक्ष केबल कागज विद्युतरोधी न होने के कारण ऐसे माल के विवरण के अनुरूप नहीं थीं, जिन पर टैरिफ मूल्य लागू था और इसलिए टैरिफ मूल्य के आधार के बजाय थोक मूल्य के आधार पर शुल्क से निर्धार्य थीं ।

उचित कानूनी पृष्ठाधीन के अधीन टैरिफ मूल्यों के आधार पर बिना कागज विद्युत रोधन के समाक्ष केबलों के निर्धारण के विचार से 12 सितम्बर, 1970 की अधिसूचना में आई हुई 'कागज विद्युतरोधी' अभिव्यक्ति को निकालने की आवश्यकता नवम्बर 1971 से निर्धारिती और विभाग के मध्य पत्राचार का विषय बनी हुई थी। विभाग ने फरवरी 1973 में निर्धारिती को सूचित किया कि 'कागज विद्युतरोधी' अभिव्यक्ति को निकालने का प्रस्ताव दूरसंचार तार और केबलों के टैरिफ मूल्य का संशोधन करते हुए, ध्यान में रखा जाएगा। तथापि विभाग ने 12 सितम्बर, 1970 से 11 जनवरी, 1974 तक की अवधि के दौरान माल का टैरिफ मूल्यों के आधार पर निर्धारण किया। निर्धारण सदैव निर्णायक आधार पर किया गया था और जैसी कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 9 ख में व्यवस्था थी, माल के अनन्तिम निर्धारण के लिए कोई उपाय नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने निरन्तर अवनिर्धारण की ओर दिसम्बर 1973 में ध्यान दिलाया। सरकार ने दिनांक 12 सितम्बर, 1970 की पूर्ववर्ती अधिसूचना में आई 'कागज विद्युतरोधी' अभिव्यक्ति को निकालते हुए 12 जनवरी, 1974 को एक संशोधित अधिसूचना जारी की। इसके बाद कलकटरी ने लेखापरीक्षा को बताया (सितम्बर 1974) कि 12 सितम्बर, 1970 से 11 जनवरी, 1974 तक की अवधि के लिए 4,92,657 रु० की राशि की मांग करते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है (अगस्त 1974)।

राजस्व और बैंकिंग विभाग द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि कर दी गई है।

घरेलू बिजली उपकरण (टैरिफ मद 33 ग)

84. अनियमित वापसियां

एक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलकटरी ने टैरिफ मद 33 ग के अन्तर्गत आने वाली 'हॉट प्लेटों' की निकासी पर जनवरी से मई 1971 तक और मार्च 1972 के दौरान वसूल किए गए 21,632 रु० के उत्पाद शुल्क की वापसियों को इस तर्क के आधार पर प्राधिकृत किया कि 'हॉट प्लेटें' जब तक उनके साथ नियामक न लगाए जाएं, शुल्क योग्य नहीं थीं।

बोर्ड के 15 जनवरी, 1970 के परिपत्र के अन्तर्गत उन विजली उपकरणों को, जिनमें ऐसे निर्मित विद्युत उपाय हैं जिनको मेन के साथ या पावर के साथ जोड़े जाने पर परिचालित किया जा सकता है, उत्पाद-शुल्क की परिधि के अन्तर्गत लाया गया है। चूंकि इस मामले में 'हांट प्लेट' ने बिना नियामक के भी मेन के साथ जुड़ते ही तात्क्षणिक रूप से कार्य किया इसलिए इसका घरेलू उपकरण के रूप में वर्गीकरण न करना सही नहीं था और इसलिए निर्धारिती को विवादास्पद वापसियां अनुज्ञात करना अनियमित था।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया है।

कार्यालय मशीनें (टैरिफ मद 33 घ)

85. शुल्क का न लगाया जाना

पहली मार्च, 1970 से टैरिफ मद 33 घ के अन्तर्गत कार्यालय मशीनों और उपकरणों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लागू किया गया था। सरकार ने मार्च 1970 में समय अभिलेखन मशीनों सहित कार्यालय मशीनों और उपकरणों के नाम, जो शुल्क से निर्धार्य थे, विनिर्दिष्ट करते हुए अधिसूचना जारी की क्योंकि शेष (मशीनों) पर छूट थी।

एक फैक्टरी 'पहरेदार की सूचक घड़ी' नामक एक किस्म के उपकरण का विनिर्माण करती थी और उसे गैर उत्पाद शुल्क योग्य मानकर बिना शुल्क का भुगतान किए निकासी करती थी। इस प्रकार की सूचक घड़ी का कार्य, यथावांछित अन्तरालों और स्थलों पर गार्डों द्वारा की गई ड्यूटी के अभिलेख रखना है। ऐसी "सूचक घड़ियों" का ब्रुसेल्स टैरिफ नामतंत्र में समय अभिलेखन मशीनों के रूप में वर्गीकरण किया गया है। इसलिए सूचक घड़ी टैरिफ मद 33 घ के अन्तर्गत शुल्क लगाए जाने योग्य थी। "सूचक घड़ियों" की गैर-उत्पाद शुल्क योग्य मद के रूप में निकासी किए जाने के कारण अप्रैल 1972 से सितम्बर 1974 की अवधि के दौरान न लगाए गए शुल्क के सम्बन्ध में 1,01,846 रुपये की राशि का परिकलन हुआ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया है कि मामला न्याय-निर्णय के अधीन है ।

86. स्टील अलमारी का गलत निर्धारण

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की टैरिफ मद 33 घ में कार्यालय मशीनों पर चाहे वे संयोजित या असंयोजित अवस्था में हैं, 10 प्रतिशत यथामूल्य की दर से शुल्क के उद्ग्रहण की व्यवस्था है । एक फैक्टरी ने अनुलिपित (डुप्लीकेटिंग मशीन) के रूप में जानी जाने वाली कार्यालय मशीनों का दो नमूनों में विनिर्माण किया और इन नमूनों के लिए विशेष रूप से बनाई गई स्टील अलमारियों को बाहर से खरीदा गया । शुल्क का भुगतान निकासी की गई मशीनों के मूल्य पर किया गया जिसमें से उन स्टील अलमारियों का मूल्य शामिल नहीं होता था जो पृथक रूप से तैयार किए गए बीजकों के अन्तर्गत प्रत्येक मशीन के साथ हमेशा होती थी । अनुलिपित और स्टील अलमारी की यद्यपि असंयोजित अवस्था में अलग-अलग निकासी की गई थी परन्तु उनका गन्तव्य स्थान पर संयोजित किया गया था । लेखापरीक्षा ने ध्यान दिलाया (नवम्बर 1973) कि क्योंकि शुल्क लगाने का क्षेत्र केवल संयोजित अवस्था में कार्यालय मशीनों की निकासियों तक सीमित नहीं था और क्योंकि स्टील अलमारियां अनुलिपितों (डुप्लीकेटिंग मशीनों) का भाग बनती थीं इसलिए शुल्क स्टील अलमारियों के मूल्य सहित डुप्लीकेटिंग मशीनों के मूल्य पर प्रभाय था । जनवरी 1971 से सितम्बर 1973 की अवधि के दौरान स्टील अलमारियों के मूल्य शामिल न किए जाने के कारण नमूना 'क' के सम्बन्ध में 2,08,890 रु० और नमूना 'ख' के सम्बन्ध में 91,710 रुपये का अव-निर्धारण परिकलित किया गया ।

कलकटरी ने बताया (दिसम्बर 1975) कि डुप्लीकेटिंग मशीनों के साथ लगी स्टील अलमारियों के मूल्य के शामिल न किए जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा बहुत पहले विचार किया गया था और अप्रैल 1970 से दिसम्बर 1970 की अवधि के लिए पहले ही मांगें कर दी गई थी । ये मांगें नवम्बर 1971 से अपील में अनिर्णीत पड़ी हुई थीं । तथापि सत्यापन करने पर यह पता चला कि कलकटरी द्वारा की गई मांग केवल नमूना 'क' से सम्बन्धित थी और कलकटरी द्वारा अन्य नमूने

अर्थात् 'ख' के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा आपत्ति में ली गई अवधि में वह अवधि शामिल नहीं थी जिसके सम्बन्ध में कलकटरी द्वारा मांग भेज दी गई थी।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि निर्धारण अनन्तिम थे और इसी प्रश्न वाले अन्य दो मामलों के सम्बन्ध में न्याय निर्णयन कार्य-वाहियां की जा रही हैं (फरवरी 1977)।

(ख) उपरोक्त फैक्टरी द्वारा उपयोग में लाई गई स्टील अलमारियां भी टैरिफ मद 40 के अन्तर्गत स्टील फर्नीचर के रूप में 20 प्रतिशत यथा-मूल्य की दर से शुल्क लगाए जाने योग्य थी। फैक्टरी ने नमूना 'क' और 'ख' के लिए तथा अन्य नमूनों के लिए स्वयं द्वारा तैयार किए डिजाइनों के अनुसार अपनी ओर से भ, म और य, तीन फर्मों द्वारा स्टील अलमारियां विनिर्मित करवाईं। फर्म 'भ' ने फैक्टरी से कच्चा माल प्राप्त किया और केवल निर्माण कार्य किया। फर्म 'म' ने कच्चा माल प्राप्त नहीं किया किन्तु अलमारियों की फैक्टरी को पूर्ति अपूर्ण अवस्था में रोगन किए बिना की। इन फर्मों ने फैक्टरी को पूर्ति की गई स्टील अलमारियों पर किसी उत्पाद-शुल्क का भुगतान नहीं किया और न ही उनमें से किसी के पास माल के सम्बन्ध में कोई केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क लाइसेंस था। चूंकि फैक्टरी ने तीन फर्मों को अपनी ओर से अलमारियों का विनिर्माण करने के लिए नियोजित किया था, इसलिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की धारा 2(च) के अनुसार तीनों फर्मों द्वारा बनाई गई सभी स्टील अलमारियों पर शुल्क का भुगतान उसी प्रकार करना अपेक्षित था जैसे कि यह माल फैक्टरी द्वारा स्वयं बनाया गया हो। 'भ' और 'म' दोनों फर्मों द्वारा निकासी की गई स्टील अलमारियों का मिश्रित वार्षिक मूल्य 2 लाख रुपये से अधिक था। फर्म 'य' द्वारा फैक्टरी को पूर्ति किए गए माल के व्यौरे सुनिश्चित नहीं किए जा सके। किन्तु 'भ' और 'म' फर्मों के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर फैक्टरी की ओर से दो फर्मों द्वारा इस प्रकार से विनिर्मित स्टील अलमारियों पर 1973-74 और 1974-75 के दो वर्षों के लिए फैक्टरी की कर देयता का परिकलन 1.72 लाख रु० किया गया।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि कलक्टर तथ्यों को सनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है ।

मोटर यान (टैरिफ मद 34)

87. निर्धार्य मूल्य में फालतू पुर्जों के मूल्य को शामिल न किए जाने के कारण अव-निर्धारण

टैरिफ मद 34 के अन्तर्गत आने वाले मोटर यान शुल्क के लिए यथा-मूल्य आधार पर निर्धार्य है, विनिर्माता द्वारा पूरे यान के लिए प्रभारित थोक नकद मूल्य मूल्यांकन का आधार है जिसमें सुपुर्दगी से पहले उनमें लगे फालतू पुर्जों और सहायक पुर्जों का मूल्य शामिल होता है ।

एक भारी मोटर यानों का निर्माण करने वाली फैक्टरी में लाइसेंस धारी ने जून 1968 से जनवरी 1971 की अवधि के दौरान मोटर यानों के मूल्य के आधार पर शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् मोटर यानों की निकासी की । इस मूल्य में कुछ पुर्जों और विशेष उपकरणों का मूल्य शामिल नहीं था जो उस के अभिन्न भाग थे । जब पुर्जों और विशेष उपकरणों के मूल्य को शामिल न किए जाने की चूक की ओर लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाया गया (फरवरी 1971) तो कलक्टर ने 1968-69 से निर्धारणों का पुनरीक्षण किया और लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाई गई आपत्ति सहित यानों में लगे पुर्जों और सहायक पुर्जों पर लगाए जाने योग्य शुल्क के द्योतक 74,315 रु० की राशि का लाइसेंसधारी को भुगतान करने को कहते हुए एक कारण बताओ नोटिस अगस्त 1973 में जारी किया ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है और बताया है कि राशि वसूल कर ली गई है ।

88. राजस्व की हानि

मार्च 1966 की अधिसूचना के अन्तर्गत, मोटर वाहन जो कि साधारणतः ट्रेलर के रूप में जाने जाते हैं, उत्पाद शुल्क से मुक्त थे, बशर्ते कि उत्पादन करने वाली फैक्टरी में 5 कर्मचारियों से अधिक न नियुक्त

हों। उसी अधिसूचना के दूसरे परन्तुक के अनुसार, यह छूट एक विनिर्माता, जिसका किसी अन्य ट्रेलर बनाने वाली संस्था में स्वाम्य अधिकार हो, को उपलब्ध नहीं है।

ट्रेलर पर आरूढ़ गतिशील लोव सेवा इकाइयों (मोबाइल लोव सर्विसेज यूनिट्स माउन्टेड ऑन ट्रेलर्स) के विनिर्माण में लगी हुई एक फैक्टरी की स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि इस यूनिट ने, एक अन्य यूनिट द्वारा जहां कि 5 से कम कर्मचारी थे ट्रेलरों का संयोजन करवाया और निर्दिष्ट अधिसूचना के पहले परन्तुक के अन्तर्गत ट्रेलरों को शुल्क लगाये बिना निकाला गया था। प्राप्त की गई छूट निम्न कारणों से नियमानुसार नहीं थी :—

(i) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 2(च) में दिए गए 'विनिर्माता' शब्द की परिभाषा के अनुसार एक व्यक्ति को जो उत्पाद-शुल्क के योग्य वस्तुओं के उत्पादन या विनिर्माण में किराए के श्रमिकों को नियुक्त करता है, शामिल किया जाता है। विधि मंत्रालय ने मई 1968 में 'विनिर्माता' शब्द की परिधि को स्पष्ट किया कि इसमें वह व्यक्ति शामिल है जो कच्चे माल की आपूर्ति करता है और अपने लिए वस्तुओं का विनिर्माण करवाने के लिए मजदूरी देता है। तदनुसार, वर्तमान मामले में, पहले वाली यूनिट को विनिर्माता समझा जाना है। चूंकि इस फैक्टरी में 57 कर्मचारी नियोजित हैं, निर्दिष्ट अधिसूचना के पहले परन्तुक में दी गई छूट की शर्तों को पूरा नहीं किया गया है।

(ii) ऐसा देखा गया है कि अधिसूचना के दूसरे परन्तुक की शर्तें पूरी नहीं हुई हैं क्योंकि बाद वाली यूनिट के भागीदारों में से एक पहली यूनिट के निदेशक बोर्ड में है।

अप्रैल 1969 से मार्च 1976 के दौरान इस प्रकार गलती से प्राप्त की गई छूट के फलस्वरूप इस अवधि के दौरान निकाले गए 429 ट्रेलरों पर 1,15,573 रु० तक का शुल्क कम लगाया गया।

इस तथ्य की पुष्टि करते समय, राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया कि इस अवस्था में उनके पास कोई टिप्पणी नहीं है।

जूता (टैरिफ मद 36)

89. शुल्क का न लगाया जाना

लेखापरीक्षा रिपोर्ट 1971-72 के पैरा 48 में, एक जूता बनाने वाली कम्पनी, जो लघु फर्मों के माध्यम से जूतों का संसाधन करवाती थी, पर टिप्पणी की गई थी। लोक लेखा समिति ने अपनी 177वीं रिपोर्ट (पांचवीं लोक सभा) की सिफारिशों में यह कहा :—

“मई 1967 में जारी की गई बोर्ड की अधिसूचना के दुस्रपयोग का यह एक स्पष्ट मामला है। इसमें यह व्यवस्था है कि ऐसी फैक्टरियों को, जो 49 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त नहीं करती या जो 2 अश्वशक्ति (हार्स पावर) से अधिक विद्युत का उपभोग नहीं करती, उत्पाद-शुल्क की छूट है। मैसर्स बाटा शू कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड ने जो मुख्य जूता बनाने वाली कम्पनी है, दो लघु स्थानीय फर्मों द्वारा जूतों का संसाधन करवाया और उन्हें अपने छपे नाम से बेचा। इस प्रकार चालाकी से उत्पाद-शुल्क से बचते हुए राजकोष को धोखा दिया।

*

*

*

*

यह खेदजनक है कि यद्यपि बोर्ड को जुलाई 1967 में बड़े स्तर के विनिर्माताओं द्वारा लिए जाने वाले अनुचित लाभ से अवगत करा दिया गया था, अधिसूचना में सुधार के लिए कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की गई।”

उत्तर में, वित्त मंत्रालय ने बताया कि अधिसूचना के क्षेत्र को सीमित करते हुए उसमें संशोधन की बात औद्योगिक विकास मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के परामर्श से अभी भी विचाराधीन है।

उसी जूता बनाने वाली कम्पनी के मामले में यह देखा गया कि कम्पनी के व्यापार चिन्ह से छपे कुछ प्रकार के जूतों के संबंध में, जिसे कम्पनी ने अपनी फैक्टरी में नहीं बनाया, शुल्क का न लगाया जाना अभी भी जारी रहा। कई छोटी फर्मों ने, जो मात्र कम्पनी के लिए जूते बनाती थी, जूतों को बिना शुल्क की अदायगी किए सीधे फुटकर बेचने वाली दुकानों को सप्लाई किया। कम्पनी ने इन छोटी फर्मों में से

प्रत्येक के साथ एक अनुबंध निष्पादित किया था कि इन फर्मों को कम्पनी के डिजाइन/विशिष्टता के अनुसार और उसके व्यापार चिन्ह/व्यापार नाम के अंतर्गत जूतों का विनिर्माण करना होगा। अनुबंध में यह भी शर्त थी कि कम्पनी द्वारा दिए गए ठप्पे कम्पनी मात्र की सम्पत्ति होंगे और फर्मों द्वारा इनका उपयोग कम्पनी को आपूर्त किए जाने वाले जूतों को छोड़कर किसी अन्य प्रकार के जूतों पर नहीं किया जाएगा।

छोटी फर्मों के साथ हुए अनुबंध की शर्तों के अनुसार कम्पनी, इन फर्मों द्वारा विनिर्मित जूतों के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अंतर्गत वास्तविक रूप से विनिर्माता हो गई। इसलिए इस प्रकार बने जूतों पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कम्पनी से संग्रहीत किए जाने थे। इन उत्पादों पर शुल्क न लगाए जाने के परिणामस्वरूप जनवरी 1971 से दिसम्बर 1974 तक की अवधि के दौरान 60.87 लाख रु० (अनुमानित) की राशि की राजस्व हानि हुई।

उत्तर में, राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है (फरवरी 1977) कि कम्पनी के इस व्यवहार को अधिक से अधिक, कम्पनी द्वारा शुल्क का अपवंचन नहीं बल्कि शुल्क से कानूनी परिहार कहा जा सकता है। उन्होंने आगे बताया है (फरवरी 1977) कि बड़ी यूनिटों के इस तथ्य का वाणिज्य मंत्रालय और औद्योगिक विकास विभाग के साथ परामर्श करके पुनरीक्षण किया जा रहा है कि वे अपने उत्पादों को छूट के क्षेत्र में विनिर्मित करवाकर उन्हें अपने स्वयं के उत्पाद छाप से बेचते हैं और यदि कोई दुरुपयोग किया जाता है तो उसे कम करने के लिए छूट संबंधी अधिसूचना के उचित संशोधन पर विचार किया जाएगा।

90. जांब के लिए निकाले गए जूतों पर शुल्क का न लगाया जाना

यथामूल्य पर 10 प्रतिशत की दर से टैरिफ मद 36 के अंतर्गत जूतों पर शुल्क प्रभावी है। नमूनों के लिए निकाले गए जोड़े शुल्क की अदायगी पर ही निकाले जाने होते हैं। तथापि, जब बाएं पैर के जूते के नमूने को परीक्षण के लिए बाहर भेजा जाता है और दाहिने पैर का जूता नमूना कक्ष में ही रह जाता है, तो विभागीय निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जोड़ी के S/3C&AG/77-8

वांये पैर के जूते के तल्ले में छेद करना चाहिए । बांए जूते के वापस आने पर, जोड़ी को यदि स्वीकृति मिलती है तो प्रतिदिन के उत्पादन का एक भाग दिखाया जाता है और यदि स्वीकृति नहीं मिलती है तो उसे नष्ट कर दिया जाता है ।

एक प्रमुख जूता बनाने वाली फैक्टरी ने विभिन्न छाप के एक से दो जोड़ी जूतों का विनिर्माण जांच और नमूने के उद्देश्य से किया । ऐसी जोड़ियां विषम जोड़ियां समझी जाती हैं । निर्धारिती ने प्रायः प्रत्येक विषम जोड़े के बांए पैर को नमूने की जांच के लिए फैक्टरी के बाहर भेजा । नमूना जूतों के तल्ले में छेद नहीं किया गया क्योंकि विभागीय नियम पुस्तक (मैनुअल) में यह व्यवस्था है कि इस निर्धारिती के संबंध में विशेष रूप से, छेद करने की शर्त पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए । फिर भी, नमूनों को या तो प्रतिदिन के उत्पादन में हिसाब के लिए या उन्हें नष्ट करने के लिए फैक्टरी को वापस भेजा जाना चाहिए था । तथापि फैक्टरी में नमूने कभी भी वापस नहीं आए । प्रत्येक विषम जोड़ी के दाहिने पैर के जूते को फैक्टरी में नमूने के तौर पर रखा गया था । ऐसे नमूने के जूते पर निर्धारिती ने कोई शुल्क नहीं दिया । इस बात को लेखापरीक्षा द्वारा कलकटरी के नोटिस में जांच और सुधार संबंधी उपायों के लिए दिसम्बर 1974 में लाया गया था ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने इन तथ्यों की पुष्टि कर दी है और बताया है कि 1,01,548 रु० की राशि के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है ।

घातु के डिब्बे (टैरिफ मद 46)

91. शुल्क का न लगाया जाना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4 के अन्तर्गत यथामूल्य निर्धारण योग्य वस्तुओं पर शुल्क वस्तुओं के विनिर्माण करने के स्थान पर, और वस्तुओं को निकाले जाने के समय प्रचलित थोक कीमत के संदर्भ में, निर्धारित किया जाता है । नवम्बर 1968 के निर्देशों के अनुसार जहां विनिर्मित वस्तुओं का उपयोग आंतरिक रूप से स्वयं

विनिर्माता द्वारा किया जाता है, जबकि वहां कोई थोक कीमत नहीं है, वहां इस प्रयोजन के लिए लाभ की मात्रा को ध्यान में रखकर लागत मूल्य को उचित परिवर्धन के साथ अपनाया जाना चाहिए ।

(क) एक कलकटरी में तीन कम्पनियों ने धातु के डिब्बों को कच्चे माल की आपूर्ति करके और निर्माण मूल्य की अदायगी करके अन्य फैक्टरियों से विनिर्मित करवाया । केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 2(च) के अन्तर्गत विनिर्माता के रूप में इन तीन कंपनियों को लाइसेंस दिए जाने और उन पर उनके उत्पादों पर शुल्क लगाए जाने की बजाय, फैक्टरियों पर शुल्क लगाकर उनसे संगृहीत किया गया । इसके परिणामस्वरूप निर्धारण योग्य मूल्य में लाभ की उचित मात्रा को शामिल नहीं किया गया जिससे शुल्क का अव-निर्धारण हुआ । लाभ की उचित मात्रा को 10 प्रतिशत मानकर इस प्रकार के अव-निर्धारण को 7,48,030 रु० परिकलित किया गया । कलकटरी ने अव-निर्धारण स्वीकार कर लिया और 7,48,030 रु० की मांग की जिसमें से 8,685 रु० की मांग कालातीत हो गई है ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने इन तथ्यों को स्वीकार कर लिया है ।

(ख) एक फैक्टरी ने, जो कि इसके द्वारा उत्पादित वनस्पति उत्पादों का संवेष्टन करने के लिए अपने धातु के डिब्बों का विनिर्माण स्वयं करती थी, शुल्क लगाने के लिए डिब्बों का निर्धार्य मूल्य कलकटरी द्वारा स्वीकृत करवा लिया, किन्तु धातु के डिब्बों से संबंधित लाभ की मात्रा को उसमें शामिल नहीं किया । गलत कीमत की स्वीकृति के फलस्वरूप 1 मार्च 1970 से 30 अप्रैल 1972 तक की अवधि के लिए 43,963 रु० का अव-निर्धारण हुआ जिसे अक्टूबर 1973 में कलकटरी को बताया गया ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने पैरा में प्रकाशित तथ्यों को स्वीकार कर लिया है । ऐसा बताया जाता है कि कारण बताओ नोटिस जिसमें शुल्क की मांग की गई थी, पार्टी से उत्तर प्राप्त न होने के कारण अनिर्णीत पड़ा है ।

(ग) बिस्कुट बनाने के एक प्रमुख निर्माता ने बाहर से टिन की चदरे खरीदकर बिस्कुटों की पैकिंग के लिए डिब्बे बनाये। धातु के डिब्बों पर मार्च 1970 और मई 1971 में निर्धारिती द्वारा घोषित उनको कीमतों के आधार पर शुल्क लगाए गए। जून 1970 और मई 1971 में लागत प्रमाण पत्र दिये गए और कलकटरी ने 10 प्रतिशत लाभ के तत्व को जोड़ने के बाद लागत प्रमाण पत्र के आधार पर अगस्त 1972 में कीमतों को अंतिम रूप से स्वीकार किया। इस प्रकार स्वीकृत कीमत मूलतः निर्धारिती द्वारा घोषित कीमत से भिन्न थी। 1 मार्च 1970 से जून 1972 तक की अवधि के लिए अगस्त 1972 में कलकटरी ने आवश्यक मांग की। लागत के उद्देश्य से अपनाई गई टिन की चदरों की लागत को, निर्माण के लिए बाहरी लोगों को निर्धारिती द्वारा आपूर्त उसी प्रकार की चदरों की लागत की अपेक्षा कम पाया गया। अतः लेखापरीक्षा ने बताया कि लागत में अवमूल्यांकन के फलस्वरूप कम शुल्क लगाए गए और सुझाव दिया कि समय-समय पर टिन की चदरों की बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखकर प्रत्येक प्रकार के धातु के डिब्बों के निर्धारणीय मूल्य का सही निर्धारण किया जाय।

उत्तर में कलकटरी ने बताया कि वर्ष 1970-71 के दौरान कोई अव-निर्धारण नहीं था और कहा कि टिन की लागत में वृद्धि को निर्धार्य मूल्य की संगणना करते समय ध्यान में रखा गया था।

तथापि, यह जान लिया गया था कि 2,24,870 रु० की रकम को, अगस्त 1972 में कलकटरी द्वारा दी गई स्वीकृति से भिन्न संशोधित लागत प्रमाण पत्र के अनुसार किए गए परिकलन के आधार पर 1971-72 से 1974-75 की अवधि के दौरान नियंत्रित उपयोग के लिए निकाले गए धातु के डिब्बों पर विभेदक शुल्क (डिफरेंशियल ड्यूटी) के कारण जुलाई-अगस्त 1975 में निर्धारिती द्वारा अदा किया गया था। उक्त राशि की वसूली के लिए कलकटरी द्वारा कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था।

सितम्बर 1976 में राजस्व और बैंकिंग विभाग को पैराग्राफ भेजा गया था, उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 1977)।

खबर संसाधन रसायन (टैरिफ मद 65)

92. शुल्क का न लगाया जाना

1 मार्च 1973 से यथामूल्य 10 प्रतिशत की दर से टैरिफ मद 65 के अन्तर्गत त्वरित्रों (एक्सेलेरेटर्स) के रूप में जाने जानेवाले खबर संसाधन रसायनों पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क लगाया गया था ।

एक फैक्टरी ने हैक्सामीन का विनिर्माण किया और इसकी निकासी गैर उत्पाद-शुल्क योग्य मानकर 28 फरवरी 1975 तक शुल्क की अदायगी किए बिना कर दी । तथापि, 1 मार्च 1975 से यथामूल्य 1 प्रतिशत की दर से 'अन्यत्र विनिर्दिष्ट न की गई अन्य सभी वस्तुएं' के रूप में टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत इस उत्पाद पर शुल्क लगाया जा रहा था । नुसेल्स टैरिफ नोमेनक्लेचर और स्टैंडर्ड कैमिकल एन्साइक्लोपीडिया हैक्सामीन का वर्गान खबर कल्नीकरण में उपयोग किए जाने वाले त्वरित्र के रूप में करता है । सीमा शुल्क में प्रचलित निर्धारण के तरीकों से यह देखा गया कि आयातित रसायन पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ की टैरिफ मद 65 के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता था । इसलिए 1 मार्च 1973 से आगे यथामूल्य 10 प्रतिशत की दर से टैरिफ मद 65 के अन्तर्गत हैक्सामीन पर शुल्क लगाया जाना था । गैर उत्पाद शुल्क योग्य मद की भांति 'हैक्सामीन' की निकासी के परिणाम-स्वरूप 1 मार्च 1973 से 28 फरवरी 1975 तक की अवधि के दौरान परिकलित 6.61 लाख रु० (लगभग) के शुल्क नहीं लगाए गए । इसके अतिरिक्त, 1 मार्च 1975 से आगे टैरिफ मद 65 की वजाय टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत किए गए उत्पाद पर शुल्क का संग्रहण करने के फलस्वरूप आवर्ती अव-निर्धारण हुआ ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि टैरिफ मद 65 के अन्तर्गत उत्पाद का वर्गीकरण करने और विभेदक शुल्क के संग्रहण के लिए कार्यवाही की गई है ।

93. अन्यत्र विनिर्दिष्ट न की गई अन्य सभी वस्तुएं (टैरिफ मद 68)

1975-76 के बजट में कर योग्य वस्तुओं के क्षेत्र के विस्तार के उद्देश्य से और भविष्य में राजस्व को बढ़ाने के उपायों के लिए अधिक

विश्वसनीय सूचना के आधार की व्यवस्था करने के लिए प्रयोग के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कराधान में एक नया विचार प्रस्तुत किया गया। तदनुसार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ सूची (68) में, विक्री अथवा अन्य वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उत्पादित सभी वस्तुओं पर जिनका सूची में अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं किया गया था, शुल्क लगाने के लिए एक नए मद को प्रस्तुत किया गया। इस मद के अन्तर्गत आने वाली वस्तुएं यथामूल्य 1 प्रतिशत के नाम मात्र के शुल्क के लिए दायी थे।

दिनांक 1 मार्च 1975 की अधिसूचना के कारण, इस मद के अन्तर्गत आने वाली वस्तुएं, जो उत्पादन के लिए फैक्टरी में मध्यवर्ती वस्तुओं अथवा उसी मद संख्या 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के अंगभूत के रूप में उपयोग में लाई जाती है, शुल्क से मुक्त थी। दिनांक 30 अप्रैल 1975 के बाद की एक अधिसूचना द्वारा इस छूट की परिधि का विस्तार कर दिया गया जिसमें एक फैक्टरी में विनिर्मित वस्तुएं और उस फैक्टरी में उपयोग के लिए अभिप्रेत वस्तुएं, जिसमें उनका विनिर्माण किया जाता है, अथवा उसी विनिर्माता की किसी अन्य फैक्टरी में निर्मित वस्तुएं शामिल की जा सकें।

ऊपर निर्दिष्ट दो अधिसूचनाओं से उत्पन्न स्थिति यह थी कि अंतर्वर्ती वस्तुएं अथवा मद 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुएं, जो उत्पादन करने वाली फैक्टरी में प्रयोग में लाई जाती हैं, शुल्क से मुक्त थी; अन्य शब्दों में ऐसी वस्तुएं, जो "मध्यवर्ती वस्तुएं अथवा वस्तुओं के संघटक" के अन्तर्गत नहीं आती थी चाहे उनका प्रयोग उत्पादन करने वाली फैक्टरी में किया जाता हो, 1 मार्च 1975 से 29 अप्रैल 1975 तक की अवधि के दौरान छूट के लिए उपयुक्त नहीं थीं।

लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए कुछ मामले, जिनमें 1 मार्च, 1975 और 29 अप्रैल 1975 के बीच छूट का लाभ उठाया गया/दिया गया, नीचे दिए जाते हैं :—

(i) यह देखा गया कि 'बगांसे' पर जो कि टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आता है और जिसे 1 मार्च 1975 से 29 अप्रैल 1975 की अवधि के दौरान चार कलक्टरियों में चीनी की फैक्टरियों द्वारा निर्माण करके

ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया गया, शुल्क का निर्धारण नहीं किया गया जिसकी राशि 40 फैक्ट्रियों के संबंध में 3,34,151 रु० थी ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि चार मामलों में वसूलियां की जा चुकी हैं और बाकी मामलों में कार्यवाही की जा रही है ।

(ii) इसी प्रकार, कुछ फैक्ट्रियों में उत्पन्न किया गया वाष्प शुल्क की अदायगी किए बिना उन्हीं फैक्ट्रियों में प्रयोग में लाया गया, यद्यपि वाष्प की मध्यवर्ती वस्तु अथवा किसी अन्य वस्तु का संघटक नहीं समझा जा सकता है । 1 मार्च 1975 से 29 अप्रैल 1975 की अवधि के दौरान इस प्रकार प्रयोग में लाए गए वाष्प पर कोई शुल्क नहीं लगाया । एक कलकटरी में 213 मामलों में 3,73,382 रु० का शुल्क नहीं लगाया गया ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने इन तथ्यों की पुष्टि करते हुए यह बताया है कि 2,33,248 रु० की राशि वसूल की जा चुकी है और बाकी राशि वसूल किए जाने के लिए कार्यवाही की गई है ।

(iii) एक कलकटरी में एक फैक्टरी, जो कि कॉफी पाउडर और चिकोरी मिश्रित टिकियों का विनिर्माण करती थी, 1 मार्च 1975 से यथामूल्य 1 प्रतिशत की दर से शुल्क की अदायगी कर रही थी । फैक्टरी ने कलकटरी की सलाह पर कि कॉफी पाउडर टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत नहीं आता था, 1 जून 1975 से शुल्क की अदायगी करना रोक दिया ।

लेखापरीक्षा के अनुरोध पर कलकटरी ने इस बात पर पुनः विचार किया और अगस्त 1975 में यह माना कि टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत कॉफी पाउडर पर शुल्क निर्धार्य था । तदनुसार, 1 जून 1975 से 10 अगस्त 1975 तक की अवधि के लिए 69,511 रु० की रकम वसूल की गई ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने इस बात की पुष्टि कर दी है ।

(iv) एक अन्य कलकटरी में एक फैक्टरी ने शुल्क की अदायगी किए बिना 1 मार्च 1975 से 20 जून 1975 की अवधि के दौरान 26,22,042 रु० की धुली हुई एसीटिलीन और नाइट्रोजन की निकासी

की। उपर्युक्त निकासी से 26,220 रु० की शुल्क देयता बनती थी। कलकटरी ने आपत्ति स्वीकार कर ली और फैक्टरी को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली, 1944 के विनियम 9(1) के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया।

इस पैराग्राफ को अगस्त 1976 में राजस्व और बैंकिंग विभाग को भेजा गया था; अभी उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1977)।

अन्य रुचिकर विषय

94. राजस्व की हानि

सौंदर्य प्रसाधनों के एक विनिर्माता ने 30 ग्राम क्षमता वाले 'छोटे' टैल्कम पाउडर के डिब्बे बनाकर शुरू में उन सभी की 4.62 रु० प्रति दर्जन डिब्बों के हिसाब से नाम मात्र निर्धार्य मूल्य अपनाकर एक अकेली पार्टी के लिए निकासी की। बिक्री बढ़ाने के उपाय के रूप में पार्टी ने पाउडर डिब्बों को निशुल्क अपने उत्पाद के उपभोक्ताओं को दिया।

निर्धारण के लिए अपनाए गए इन छोटे डिब्बों के मूल्य के पुनरीक्षण से यह पता लगा कि निम्नलिखित कारणों से अपनाया गया निर्धार्य मूल्य कम बताया गया था :—

(i) उस डिब्बे की ही लागत, जिसमें 30 ग्राम पाउडर पैक किया गया था, 43 पैसे प्रति डिब्बे से अधिक थी जबकि पाउडर के साथ डिब्बों के लिए अपनाया गया निर्धार्य मूल्य केवल 39 पैसे प्रति डिब्बा था।

(ii) लाइसेंसधारी ने 'छोटे' डिब्बों को विदेशों को निर्यात करने के लिए प्रस्ताव किया और 1973 में उनकी कीमत की एक अलग सूची प्रस्तुत की थी जिसमें फैक्टरी से बाहर का मूल्य 15.93 रु० प्रति दर्जन बताया गया था, जो निर्धारण के लिए अपनाए गए दर से लगभग तीन गुना था।

उत्पाद के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप अगस्त 1973 से मार्च 1974 की अवधि के दौरान निकासी किए गए 29,179 दर्जन डिब्बों पर 1,02,532 रु० के अनुमानित राजस्व की हानि हुई।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि विक्री मूल्य की राशि में छोटे डिब्बों (पैक) के विनिर्माण की लागत भी पूरी नहीं हुई। उन्होंने आगे बताया कि पूर्तिकर्ता को, जिसे छोटे डिब्बों की विक्री से हानि उठानी पड़ी, परवर्ती कम्पनी द्वारा अर्जित लाभों में से 84,201 रु० के राशि की अनुग्रहपूर्वक अदायगी की गई। 26,131 रु० की राशि, जो इस अतिरिक्त राशि सहित शुल्क मूल्य में अंतर्ग्रस्त शुल्क की द्योतक है, सहायक कलक्टर द्वारा वसूल कर ली गई है।

95. शुल्क की अदायगी किए बिना आंतरिक दहन (इन्टरनल कम्बशन) इंजनों की निकासी

अगस्त 1964 में सरकार द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के अन्तर्गत 'डू बार हास' पावर 50 और उससे कम पावर के ट्रैक्टरों में लगाने के लिए निकासी किए गए आंतरिक दहन इंजन शुल्क की अदायगी से मुक्त हैं। केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने जनवरी 1969 में यह आदेश दिया कि ट्रैक्टरों के विनिर्माताओं को छः माह के अंतराल पर ऐसे ट्रैक्टरों के विनिर्माण में आंतरिक दहन इंजनों के वास्तविक उपयोग से संबंधित सर्वसंग्रह प्रमाण पत्र (ओमनीवस सर्टिफिकेट) देने चाहिए।

यह देखा गया कि एक कलक्टरी में एक यूनिट ने, जो कि उपर्युक्त छूट का लाभ उठा रहा था, अप्रैल 1970 से मार्च 1974 तक की अवधि के लिए 693 मामलों में उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया था। कलक्टरी से भी अप्रैल 1970 से पहले की अवधि के लिए स्थिति की जांच के लिए प्रार्थना की गई थी। विभाग ने 604 मामलों में प्रमाण पत्र प्राप्त किया और 1970-71 से 1973-74 तक के वर्षों से संबंधित शेष 89 आंतरिक दहन इंजनों के लिए यूनिट द्वारा शुल्क से प्राप्त करी छूट के 75,030 रु० को जुलाई/नवम्बर 1974 में वसूल किया। लेखापरीक्षा द्वारा जांच के लिए दिए गए सुझाव के परिणामस्वरूप कलक्टरी ने अप्रैल 1970 से पहले की अवधि से संबंधित चार मामलों का भी पता लगाया और नवम्बर 1974 में 2,295 रु० के शुल्क की वसूली की।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने इन तथ्यों की पुष्टि कर दी है।

96. विनिर्माताओं को आकस्मिक लाभ

कई विनिर्माताओं ने ग्राहकों से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क संगृहीत करके या तो सरकार को शुल्क अदा नहीं किया (क्योंकि ये शुल्क योग्य नहीं थे) अथवा शुरू में शुल्क की अदायगी करके बाद में या तो स्लैब छूट अथवा अन्य कारणों के परिणामस्वरूप वापसी ले ली परन्तु वापसी का लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया गया ।

वर्ष 1968 (पैरा 27(ii), 1970 (पैरा 23), 1973-74 (पैरा 61) और 1974-75 (पैरा 77) के लिए राजस्व प्राप्तियों (अप्रत्यक्ष कर) पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों में इस विषय पर टिप्पणी की गई थी और 95वीं रिपोर्ट (चौथी लोक सभा) और 44 वीं रिपोर्ट (पांचवीं लोकसभा) जैसे कई अवसरों पर लोक लेखा समिति का ध्यान भी इस ओर गया था। लोक लेखा समिति ने विनिर्माताओं को मिलने वाली ऐसी आकस्मिक/अनभिप्रेत लाभों के लिए चिन्ता व्यक्त की और ऐसे औचित्य के परीक्षण के लिए मुद्दाव दिया जिससे ऐसे अधिक संग्रहणों को सुरक्षित रखा जाये ताकि सरकार लाभ के साथ विचार कर सके और इस निधि को उद्योग और जनता के लाभ के लिए काम कर रहे सरकारी अनुसंधान संघों को उपलब्ध कराया जा सके।

ऐसे अनभिप्रेत/आकस्मिक लाभों के मामलों का होना जारी रहा और लेखापरीक्षा में पाए गए कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं :-

(1) तीन कलक्टरियों में खेलने के ताश, बोल्ट, नट और पेचकसों, मौजेक टाइल आदि के विनिर्माताओं ने शुरू में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क थोक विक्रेताओं/उपभोक्ताओं से, इस कारण से संग्रहीत किया कि उनकी निकासी का मूल्य निर्धारित सीमा से अधिक हो जायेगा। तथापि, चूंकि निकासी छूट की सीमा से अधिक नहीं हुई, विनिर्माताओं को वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान 2,29,905 रु० की वापसी मिल गई। इन वापसियों को उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया।

2. संशोधित किए गए 6 अक्टूबर 1965 की एक अधिसूचना के अन्तर्गत सभी तांबे की बनी घुमावदार तारों और सभी बिजली की तारों

और तांबे की बनी केबलों, जो टैरिफ मद 33ख के अन्तर्गत आती हैं, पर लगाए जाने योग्य उत्पाद शुल्क उतने उत्पाद शुल्क से मुक्त है जितना कि ऐसी घुमावदार तारों, बिजली की तारों, और केबलों के तांबे के अंश के 50 पैसे प्रति किलोग्राम पर परिकलित शुल्क के बराबर है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि एक कम्पनी ने कथित अधिसूचना के अन्तर्गत दी गई रियायतों को प्राप्त करने के बाद ऐसी घुमावदार तारों, और बिजली की तारों और केबलों की निकासी की, परन्तु ग्राहकों को शुल्क की रियायती दर का लाभ नहीं दिया गया। 1 जनवरी, 1966 से 30 अप्रैल, 1970 की अवधि के दौरान कम्पनी को इस प्रकार प्राप्त 40,70,544 रु० का आकस्मिक लाभ हुआ।

3(क) दो कलक्टरियों में धातु के डिब्बों (टैरिफ मद 46) के दो विनिर्माताओं ने शुल्क की अदायगी करने पर उनकी निकासी इस घोषणा के आधार पर की कि कुल निकासी मूल्य वर्ष 1971-72 में 2 लाख रु० की निर्धारित सीमा से अधिक हो सकती थी। तथापि प्रति-वेदित निकासी 2 लाख रु० की सीमा से अधिक नहीं हुई और विनिर्माताओं को 20,000 रु० की वापसी हुई।

(ख) दिनांक 30 अप्रैल, 1968 की एक अधिसूचना के अनुसार, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान निकासी किए गए 50,000 रु० से कम मूल्य वाले स्टील के फर्नीचर शुल्क की अदायगी से मुक्त थे बशर्ते कि ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान कुल निकासी मूल्य 2 लाख रु० से अधिक न हुआ हो। एक विनिर्माता ने शुरू में वित्तीय वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के दौरान समस्त निकासियों पर शुल्क की पूरी अदायगी की, किन्तु बाद में तीनों वर्षों के लिए 30,000 रु० की वापसी ले ली।

(4) मार्च 1972 में संशोधित की गई मई 1970 की एक अधिसूचना के अनुसार किसी भी विस्कुट के विनिर्माता को 1 लाख रु० मूल्य तक के शुल्क से छूट थी बशर्ते कि वर्ष के दौरान कुल निकासियां 2 लाख रु० से अधिक की न हुई हो। एक विस्कुट विनिर्माता ने, जिसने शुरू में 1 लाख रु० तक की निकासियों पर शुल्क की अदायगी की वर्ष की समाप्ति

पर 10,000 रु० की वापसी ले ली क्योंकि उस वर्ष में कुल निकासियां 2 लाख रु० से अधिक नहीं हुई ।

5. केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 3 केवल उत्पादित या विनिर्मित वस्तुओं पर शुल्क लगाने के लिए प्राधिकृत करती है । यह उत्पादन या विनिर्माण पर शुल्क है । इसलिए, जब कभी शुल्क योग्य वस्तुओं की सूची में नई मदें शामिल की जाती हैं तो ऐसी वस्तुएं, जो टैरिफ में मद के शामिल किए जाने की तारीख को पूर्ण रूपेण विनिर्मित दशा में होती हैं, "उत्पाद शुल्क पूर्व स्टॉक" के रूप में निःशुल्क निकासी के लिए अनुमत की जाती हैं ।

'वैलडिंग एलेक्ट्रोड' को वित्त अधिनियम, 1971 के माध्यम से पहली बार उत्पाद शुल्क नियंत्रण के अधीन लाया गया । 1 मई, 1971 में जारी की गई एक अधिसूचना के अन्तर्गत उत्पाद पर लगाया जाने वाला शुल्क यथामूल्य आधार पर था । वैलडिंग इलेक्ट्रोड के विनिर्माण में लगे एक लाइसेंस धारी के पास 28/29 मई, 1971 की अर्धरात्रि को उत्पाद शुल्क-पूर्व स्टॉक के रूप में 35.45 लाख रु० के इलेक्ट्रोड का भारी शेष था जिनकी निकासी उसने गेट पास, जिन पर शुल्क की दर 'फुछ नहीं' लिखा था, से तीन लगातार वर्षों के दौरान किया । संबद्ध विक्री िजकों (इनवायसेज) की जांच-पड़ताल करते समय यह पाया गया कि थोक व्यापारियों/उपभोक्ताओं से सदैव ही उचित दर पर शुल्क संगृहीत किया गया था । इस प्रकार से निर्धारिती ने 1971 से 1974 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 3.54 लाख रु० की एक रकम का संग्रहण किया जिसे उसने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में जमा नहीं करवाया ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि ऊपर उल्लिखित मामले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के अन्तर्गत अपराध नहीं हैं । लेखापरीक्षा ने यह नहीं कहा कि इस प्रकार के संग्रहण अपराध हैं किन्तु जैसा कि लोक लेखा समिति ने बताया है, इनसे आकस्मिक लाभ होते हैं और इसके लिए सुधारात्मक कार्यवाही आवश्यक है ।

97. कम दरों पर मिश्रित उद्ग्रहण के नियतन के कारण राजस्व की कम बसुली

लेखापरीक्षा रिपोर्ट 1963 के पैरा 17 में मिश्रित उद्ग्रहण प्रणाली के संबंध में कानूनी प्रश्न उठाए गए। लोक लेखा समिति ने अपनी सिफारिशों में यह व्यक्त किया कि शंका से परे कानूनी स्थिति को स्पष्ट कराने के लिए इस बात को भारत के महान्यायवादी के पास भेजा जाना चाहिए।

महान्यायवादी ने शुल्क की उगाही प्रणाली और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम एवं नियमावली 1944 के उपबन्धों की जांच की। उनकी राय का एक उद्धरण जैसा कि 1963-64 की लोक लेखा समिति की 21वीं रिपोर्ट के पैराग्राफ 32 में प्रकाशित हुआ था नीचे दिया जाता है :—

“मेरा सुझाव है कि अधिनियम को इस बात की शंका से परे रखने के लिये संशोधित किया जाना चाहिए। मैंने जो दृष्टिकोण अपनाया है उसके संबंध में यह आपत्ति सम्भव हो सकती है कि नियम 37 (XV) में अपराधों और देयताओं दोनों का संयोजन समाविष्ट है और इसलिए नियम में उल्लिखित देयताओं को केवल उन देयताओं तक सीमित रखा जाना चाहिए जो अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन अथवा कुछ अपराधों से संबंधित है। उदाहरण के लिए जब्तियों और अर्थदण्डों के समायोजन की शक्तियां निहित हैं जिनसे अधिनियम के उल्लंघन के अपराधों से संबंधित देयताएं उद्भूत होती हैं। मैं नहीं सोचता कि धारा 37(XV) का क्षेत्र संकुचित किया जा सकता है। तथापि यह अधिक अच्छा होगा कि अधिनियम में ही संशोधन कर दिया जाय जिससे कि इस मामले के संबंध में किसी प्रकार की आशंका न रहे।”

समिति के उत्तर में, वित्त मंत्रालय ने बताया :—

“एक स्पष्ट सांविधिक उपबन्ध की आवश्यकता को, जिससे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 में किसी विनिर्माता अथवा

विनिर्माताओं के वर्ग की शुल्क देयताओं का मिश्रण किया जा सके नजदीकी भविष्य में अपेक्षित अन्य कई संशोधनों के साथ कार्यवाही के लिए दर्ज कर लिया गया है ।

जैसी कि अपेक्षा की गई थी सरकार ने अधिनियम में अभी तक संशोधन नहीं किया है ।

संयुक्त उगाही प्रणाली के अन्तर्गत एक विनिर्माता शुल्क को साप्ताहिक/मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक आधार पर अग्रिम रूप से देय एक निश्चित रकम के साथ मिलाकर देना पसन्द करता है । यहां विनिर्माता द्वारा वस्तुओं के निर्माण करने में उपयोग किए गए उपस्कर के आधार पर और न कि वास्तविक उत्पादन पर शुल्क देय है ।

इस समय यह प्रणाली सल्फेटीकरण संयंत्र की सहायता के बिना विनिर्मित खाण्डसारी चीनी, सूती वस्त्र बनाने में लगाए गए विद्युत करघों, किसी ऐसी फैक्टरी में जिसमें पांच से कम कर्मचारी काम करते हैं, उत्पादित बिजली भण्डारण बैटरियों हस्ती दाबों की सहायता से विनिर्मित मोटे अनाजों (कोर्स ग्रेन) के प्लाइवुड हस्तचालित और स्टेंटर मशीन की सहायता से बने कढ़े हुए सूती कपड़ों और सूती वस्त्रों अदि पर लागू होती है ।

इस प्रणाली के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क देने वाले निर्धारितियों से हुए शुल्क संग्रहण के पुनरीक्षण से यह पता चला कि इनका हेर-फेर संयुक्त शुल्क की प्रमात्रा को नियत करते समय विभाग द्वारा किए गए अनुमान से बहुत अधिक था ।

इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत सरकार प्रचुर राजस्व का त्याग कर रही थी । केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के अन्तर्गत लगाए जाने वाले राजस्व से बचाव की व्यवस्था नहीं है ।

वर्ष 1973—76 के दौरान टरिफ दरों/प्रभावी दरों की बजाय मिश्रित दरों पर शुल्क देयताओं को छोड़ने के कारण कुछ कलक्टरियों में विनिर्माताओं द्वारा उठाए गए लाभ की राशि 3.18 करोड़ रुपए हुई ।

वस्तुवार व्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

1. खाण्डसारी चीनी	1. 29
2. सूती वस्त्र	1. 47
3. बिजली-बैटरी की प्लेटें 29
4. मोटे अनाज का प्लाईवुड 03
5. टुकड़ों और मूल (मोटिफ्स) कशीदाकारी 10
	3. 18
जोड़	
	3. 18

अन्य कलक्टरियों में अन्य वस्तुओं से सम्बंधित राजस्व हानि के व्यौरों का संग्रहण किया जा रहा है ।

उत्तर में, राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है (फरवरी 1977) कि मिश्रित उद्ग्रहण योजना के विशेष उल्लेख के लिए अधिनियम में संशोधन करने में कुछ अपरिहार्य विलम्ब हुआ और वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावित बिल जब संसद के समक्ष पेश किया जाए तो उसमें इससे संबंधित विशेष उपबन्ध हो ।

98. निम्न टैरिफ मूल्य के कारण राजस्व की हानि :—

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (2) ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाने के उद्देश्य के लिए किसी भी वस्तु का टैरिफ मूल्य नियत करने की शक्तियां सरकार को प्रदान करती है जिस पर मूल्यानुसार शुल्क प्रभार्य होता है । लोक लेखा समिति को टैरिफ मूल्यों के निर्धारण में हुए विलम्बों पर टिप्पणी करने का अवसर मिला । मुड़े हुए तारों के लिए टैरिफ मूल्यों के निर्धारण के एक मामले के संबंध में समिति ने महसूस किया कि सरकार द्वारा ली गई इक्कीस महीने की अवधि बहुत अधिक थी (111वीं रिपोर्ट, 5वीं लोक सभा का पैराग्राफ 1.68)

रेफ्रिजरेटोरों के विनिर्माण में लगा एक निर्धारित पांच विभिन्न माडलों की बाजार में बिक्री करता है । इन रेफ्रिजरेटोरों के लिए नियत टैरिफ

मूल्यों और वास्तविक कीमतों के अध्ययन से जिन पर निर्धारिता ने 1 जनवरी, 1972 से 30 अगस्त, 1974 की अवधि के दौरान बाजार में उन्हें बेचा, पता चला है कि टैरिफ मूल्य कम्पनी के वास्तविक बिक्री मूल्यों से काफी कम थे। उदाहरणार्थ, एक माडल के मामले में वास्तविक बिक्री मूल्य 1675 रु० से 1849 रु० के बीच में था जबकि 1 जनवरी 1972 से 20 जुलाई, 1973 तक केवल 1,410 रु० का टैरिफ मूल्य लागू था, पुनः जबकि 21 जुलाई, 1972 से 13 अगस्त, 1974 तक 1770 रु० का टैरिफ मूल्य लागू था, वास्तविक बिक्री मूल्य 1840 रु० से 3650 रु० के बीच था। 1 जनवरी, 1972 से 13 अगस्त, 1974 की अवधि के लिए वास्तविक बिक्री मूल्यों से टैरिफ मूल्यों के कम होने के कारण राजस्व की हानि की राशि 85,091 रेफ्रिजरेटरो पर (सभी माडल) 2.24 करोड़ रु० वैठी।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर टैरिफ मूल्य नियत किए जाते हैं और यह कि टैरिफ मूल्य और वास्तविक बिक्री कीमत के बीच अंतर के कारण राजस्व के संग्रहण में अंतर को राजस्व में हानियां या लाभ नहीं कहा जा सकता है। तथापि विभाग ने इस मामले में टैरिफ मूल्य के वास्तविक बिक्री मूल्य से कम होने के औचित्य को नहीं बताया है और न तो यही बताया है कि वास्तविक बिक्री मूल्य से टैरिफ मूल्य कम क्यों है जब कि इस मामले में 21 जुलाई, 1973 से टैरिफ मूल्यों का संशोधन किया गया 21 जुलाई, 1973 से पहले ही देखी गई टैरिफ मूल्य में वृद्धि की ओर झुकाव को संशोधन में पूरी तरह दर्शाया नहीं गया।

99. संहिता संबंधी उपबंधों का पालन न किया जाना और उसके फलस्वरूप शुल्क से बचाव

जून 1968 में उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माताओं द्वारा स्व निर्धारण योजना को जिसे "स्वतः निष्कासन क्रियाविधि" से जाना जाता है, कुछ विशिष्ट वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं के संबंध में शुरू किया गया था। फिर अगस्त 1969 में स्वतः निर्धारण योजना का विस्तार, अनिर्मित तम्बाकू को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए किया गया।

चाहे शुल्क देय हो अथवा नहीं प्रत्येक उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु बनाने वाले विनिर्माता को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लाइसेंस का लेना आवश्यक है, जब तक कि इस उद्देश्य के लिए जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट न दी गई हो कोई भी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु उत्पादन किए जाने वाले स्थान से तब तक नहीं हटाई जा सकती जब तक कि उस पर लगाया जाने वाला शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के अन्तर्गत बताए गए तरीके से न अदा किया गया हो ।

एक राज्य सरकार के औद्योगिक विभाग द्वारा जारी किए गए लाइसेंसों से सहसम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई कि :—

- (i) उत्पाद शुल्क वस्तुओं के विनिर्माण में लगी सभी यूनिटें लाइसेंसधारी हैं; और
- (ii) लेखापरीक्षा द्वारा इन यूनिटों के अभिलेखों की जांच की जाती है ।

फरवरी 1974 और अक्टूबर 1975 एवं मई 1976 में किए गए पुनरीक्षण से निम्न बातों का पता चला :—

उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माण में लगी 48 यूनिटों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा लाइसेंस नहीं दिया गया था । सत्रह यूनिटों में विनिर्मित 5 वस्तुओं के संबंध में लाइसेंस नियंत्रण को उठाते हुए फरवरी 1976 में सरकार ने एक अधिसूचना जारी की । इन यूनिटों ने जनवरी 1976 तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लाइसेंस के बिना कार्य किया । शेष 31 यूनिटों में से 27 पर शुल्क लगाया जा सकता था । 30 जून, 1976 तक की अवधि के लिए 31 यूनिटों में से आठ यूनिटों द्वारा की गई निकासियों में शुल्क लगभग 2,45,700 रु० अंतर्ग्रस्त था ।

जब इन बातों की ओर ध्यान दिलाया गया तो कलकटरी ने बताया कि तीन यूनिटों के लाइसेंस देने के लिए कार्यवाही की जा रही है, सत्रह S/3C&AG/77—9

यूनिटों के मामले में लाइसेंस नियंत्रण वापस ले लिए गए हैं और शेष 28 यूनिटों के संबंध में रिपोर्ट आनी प्रतीक्षित है।

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि वह राजस्व हानि जिसका उल्लेख किया जा चुका है अनुमत नहीं की गई है क्योंकि कुछ मामलों में यूनिटों को लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं थीं और दूसरे मामलों में लेखापरीक्षा (विभाग) से पत्र प्राप्त होने के बाद उनको लाइसेंस दिया गया।

100. धारा 4 के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944, जो कि उत्पाद शुल्क लगाने के लिए वस्तुओं के मूल्यांकन से संबंध रखता है वित्त अधिनियम (अधिनियम 22) 1973 द्वारा मई 1973 में संशोधित किया गया था। संशोधक अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि संशोधित धारा 4 सरकार द्वारा नियत की गई तारीख को लागू होगी। दिनांक 8 अगस्त, 1975 को जारी की गई अधिसूचना द्वारा भारत सरकार ने नई धारा को लागू करने के लिए 1 अक्टूबर, 1975 की तारीख नियत की। इस प्रकार संशोधित उपबंध को कार्यान्वित करने में 2 वर्ष से अधिक विलम्ब हुआ।

सरकार ने धारा 4 में इस धारा के लागू किए जाने में महसूस की गई विभिन्न कठिनाइयों को दूर करने और जहाँ तक व्यवहार्य हो, केवल ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर जहाँ हेरा-फेरी की गुंजाइश हो सकती हो (यथा सम्बंधित व्यक्तियों को विक्री अथवा उनके माध्यम से विक्री) लेन-देन के मूल्य पर उत्पाद शुल्क योग्य माल के निर्धारण की व्यवस्था करने और मूल्यांकन के क्षेत्र में बहुधा आने वाली कठिनाइयों के संबंध में विशिष्ट अनुबंध करने के उद्देश्य से संशोधन किया।

विलम्ब के कारण लगभग 17 करोड़ रु० के राजस्व की हानि हुई, जो नीचे बताई गई है :—

श्रेणी	छोड़ी गई राजस्व की राशि (करोड़ रु० में)	कलकत्तरियां	(करोड़ रु० में)
1. वोल्टा के मामले के अनुसार अर्थ लगाने के कारण अव-निर्धारण	4. 19	कलकत्ता और पश्चिम बंगाल	3. 97
		कोचीन	0. 22
2. निर्धार्य मूल्य में संवेष्टन प्रभारों का शामिल न किया जाना	6. 91	चंडीगढ़	0. 76
		उड़ीसा	2. 34
		नागपुर	0. 05
		बड़ौदा	0. 27
		हैदराबाद	1. 34
		मद्रास	0. 75
		जयपुर	1. 40
3. विनिर्माण के बाद के व्यय का शामिल न किया जाना	5. 49	कलकत्ता और पश्चिम बंगाल	2. 62
		बम्बई	2. 09
		उड़ीसा	0. 08
		बड़ौदा	0. 70
		चंडीगढ़	0. 32
4. अन्य कारण	0. 41	बम्बई	0. 01
		दिल्ली	0. 08
कुल जोड़	17. 00		17. 00

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने बताया है कि नई धारा 4 के अधिनियमन किए जाने और उसके लागू किए जाने के बीच में समयान्तर, मूल्यांकन नियमावली तैयार करने, क्षेत्रीय संरचनाओं के लिए कार्यकारी अनुदेश जारी करने और यदा-कदा व्यापारियों और निर्धारण अधिकारियों को संशोधित मूल्यांकन के उपबंध की मुख्य-मुख्य बातों को समझने के लिए प्रारम्भिक कदम उठाए जाने के कारण था। उन्होंने आगे बताया है कि यह एक विवादास्पद विषय है कि कोई राजस्व हानि इस आधार पर हुई कही जा सकती है कि कानून में परिवर्तन को अभी तक लागू नहीं किया जा सका था। जहां संसद ने उस तारीख से, जिसे अधिसूचित किया जाए, कानून को प्रभावी बनाने के लिए कार्यपालिका को अधिकार दे दिया है वहां तारीख की अधिसूचना जारी करने के लिए त्वरित कार्यवाही ऐसी स्थिति में आवश्यक समझी जाती है जहां किसी एक विशिष्ट धारा में राजस्व को सुरक्षित रखने के लिए संशोधन किया जाता है। सांविधिक उपबंध को प्रभावी बनाने के लिए दो वर्ष से अधिक अवधि के विलम्ब के लिए औचित्य का दिया जाना अपेक्षित है।

101. कालातीत हो जाने के कारण राजस्व की हानि*

1975-76 के दौरान निर्धारणों के संबंध में निर्धारित कालावधि से पूर्व मांगों के जारी न किए जाने के कारण सरकार द्वारा छोड़े गए राजस्व की कुल राशि 3,15,851 रु० बनती थी जिसका व्यौरा नीचे दिया गया है :—

	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राजस्व की हानि
		रु०
(क) कालातीत हो जाने के कारण न की गई मांगें	3	55,530
(ख) कालातीत हो जाने के कारण वापस ली गई मांगें	12	2,60,321

*राजस्व और बैंकिंग विभाग द्वारा दिए गए आंकड़े जो अनन्तिम बताए गए हैं।

102. संघ उत्पाद शुल्कों की बकाया राशियां*

राजस्व और बैंकिंग विभाग द्वारा सूचित किए गए संघ उत्पाद शुल्कों के संबंध में 31 मार्च 1976 को वसूल न की गई बकाया मांगों की कुल राशि 6193.52 लाख रु० थी, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वस्तु	बकाया राशि (लाख रुपयों में)
असंसाधित तम्बाकू	545.33
कच्चा नेफथा सहित मोटर स्पिरिट	645.40
परिष्कृत डीजल तेल	295.13
कागज	99.82
रेयन धागा	238.18
सूती कपड़ा	269.09
लोहा और इस्पात के उत्पाद	377.47
टीन की चादरें	12.71
प्रशीतन और वातानुकूलन यंत्र	56.36
अन्य सभी मदें	3654.03
कुल जोड़	6193.52

*राजस्व और बैंकिंग विभाग द्वारा दिए गए आंकड़े (मार्च 1977) अनन्तिम बताए गए हैं और केवल 16 कलक्टरियों से संबंधित हैं ।

103. राजस्व के दावों की छूट और उनका परित्याग*

राजस्व और बैंकिंग विभाग ने 1975-76 के दौरान माफ़ की गई, छोड़ी गई अथवा बढ़े खाते डाली गई कुल राशि 7,48,369 रु० बताई थी। माफ़ करने और बढ़े खाते डालने के निम्नलिखित कारण बताए गए थे :—

i. निम्नलिखित से हुई हानि के कारण राजस्व की छूट :—

	मामलों की संख्या	राशि (रु०)
(क) अग्नि	34	73,959
(ख) बाढ़	4	2,26,365
(ग) चोरी	3	3,990
(घ) अन्य कारण	47	1,52,626

ii. निम्नलिखित के कारण परित्याग अथवा बढ़े खाते डालना :—

(क) बिना कोई सम्पत्ति छोड़े करदाताओं की मृत्यु हो जाना	175	17,030
(ख) करदाताओं का पता न चलना	485	36,713
(ग) करदाताओं का भारत से चला जाना	5	878
(घ) करदाताओं के जीवित होने पर भी शुल्क की अदायगी के लिए उनका असमर्थ होना	527	2,36,640
(ङ) अन्य कारण	2	168

*राजस्व और बैंकिंग विभाग द्वारा भेजे गए आंकड़े अनन्तिम बताए गए थे।

104. धोखाधड़ी और अपवंचन

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कानून के अन्तर्गत धोखाधड़ी और अपवंचनों संबंधी अपराधों के लिए चलाए गए मुकदमों की संख्या, लगाए गए अर्थदण्डों की राशि तथा जब्त माल के मूल्य की स्थिति को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :—

रु०

1. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कानून के अन्तर्गत उन अपराधों की कुल संख्या जिन पर न्यायालयों में मुकदमें चलाए गए	92
2. उन मामलों की कुल संख्या जिनमें दोष सिद्ध हो गया था।	27
3. पकड़े गए माल का मूल्य परिवहन मूल्य सहित	5,85,71,904
4. जब्त किए गए माल का कुल मूल्य	1,67,86,990
5. लगाए गए अर्थदण्ड की कुल राशि	50,71,550
6. निर्धारित किए गए शुल्क की राशि जो जब्त किए गए माल के संबंध में अदा की जानी है	1,03,89,194
7. जब्ती के बदले निर्धारित किए गए अर्थदण्ड की कुल राशि	33,38,034
8. निपटारे में तय की गई कुल राशि	50,928
9. जब्त किए जाने के पश्चात् तल्लू हुए माल का कुल मूल्य	37,820
10. जब्त किए जाने के बाद बेचे गए माल का कुल मूल्य	1,32,729

*राजस्व और बैंकिंग विभाग द्वारा दिए गए आंकड़े अनन्तिम बताए गए थे।

अध्याय-III

अन्य राजस्व प्राप्तियां

गृह मंत्रालय

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की प्राप्तियां

अनुभाग 'क'—सामान्य

105. बजट प्राक्कलनों और वास्तविक आंकड़ों में विभिन्नता

राजस्व प्राप्तियों के कुछ मुख्य स्रोतों के संबंध में 1973-74 से 1975-76 के तीन वर्षों के लिए बजट प्राक्कलनों के आंकड़े और वास्तविक आंकड़े प्रत्येक मामले में विभिन्नता तथा उसकी मात्रा को नीचे दिखाया गया है :—

राजस्व के मुख्य स्रोत	वर्ष	बजट प्राक्कलन	वास्तविक आंकड़े (करोड़ रुपयों में)	विभिन्नता (+) वृद्धि (-) कमी	विभिन्नता की प्रतिशतता
विक्रय कर	1973-74	35.53	39.80	(+) 4.27	12.01
	1974-75	44.07	52.43	(+) 8.36	18.96
	1975-76	65.00	73.00	(+) 8.00	12.31
राज्य उत्पाद शुल्क	1973-74	9.80	10.25	(+) 0.45	4.60
	1974-75	10.93	11.24	(+) 0.31	2.83
	1975-76	12.58	13.52	(+) 0.94	7.47
यानों पर कर	1973-74	3.45	3.31	(-) 0.14	4.06
	1974-75	3.57	3.55	(-) 0.02	0.56
	1975-76	3.98	3.87	(-) 0.11	2.76
स्टाम्प	1973-74	4.22	3.45	(-) 0.77	18.25
	1974-75	3.50	3.61	(+) 0.11	3.14
	1975-76	3.70	3.42	(-) 0.28	7.55

पंजीकरण	1973-74	0.21	0.16	(--)	0.05	23.81
	1974-75	0.17	0.16	(--)	0.01	5.88
	1975-76	0.16	0.10	(--)	0.06	37.50
मनोरंजन कर	1973-74	4.10	3.83	(--)	0.27	6.60
	1974-75	4.20	4.12	(--)	0.08	1.90
	1975-76	4.24	4.86	(+)	0.62	14.62
सू-राजस्व	1973-74	0.19	0.18	(--)	0.01	5.26
	1974-75	0.14	0.14		कुछ नहीं	कुछ नहीं
	1975-76	0.20	0.28	(+)	0.08	40.00

106. निर्धारण के बकाया मामले (विक्रय कर)

वर्ष 1973-74 के अंत में 1,20,964 मामलों और वर्ष 1974-75 के अंत में 1,48,616 मामलों की तुलना में दोनों स्थानीय और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियमों के अंतर्गत 31 मार्च 1976 को बकाया निर्धारण के 1,78,568 मामले थे। 31 मार्च 1976 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिए कर निर्धारण के बकाया निर्धारण की स्थिति नीचे दर्शाई गई है :-

वर्ष	31 मार्च 1974 को			31 मार्च 1975 को			31 मार्च 1976 को		
	स्थानीय	केन्द्रीय	जोड़	स्थानीय	केन्द्रीय	जोड़	स्थानीय	केन्द्रीय	जोड़
1970-71	7,623	7,566	15,189	---	---	---	---	---	---
1971-72	19,781	17,114	36,895	13,551	11,137	24,688	---	---	---
1972-73	37,505	31,375	68,880	26,777	22,453	49,230	17,732	15,627	33,359
1973-74	---	---	---	39,533	35,165	74,698	31,552	27,675	59,227
1974-75	---	---	---	---	---	---	46,248	39,734	85,982
जोड़	64,909	56,055	1,20,964	79,861	68,755	1,48,616	95,532	83,036	1,78,568

31 मार्च 1976 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान चालू मामलों और बकाया मामलों में से पूरे किए निर्धारणों की संख्या नीचे दर्शाई गई है :—

वर्ष	निपटान के लिए निर्धारणों की कुल संख्या			पूरे किए गए निर्धारणों की कुल संख्या			निपटान की प्रतिशतता	वर्ष के अंत में बकाया निर्धारणों की कुल संख्या	
	बकाया	चालू	जोड़	बकाया	चालू	जोड़			
<u>1973-74</u>									
स्थानीय	51,612	43,866	95,478	28,597	1,972	30,569	32.01	64,909	
केन्द्रीय	44,362	36,104	80,466	22,645	1,766	24,411	30.33	56,055	
								1,20,964	
<u>1974-75</u>									
स्थानीय	64,909	45,994	1,10,903	26,816	4,226	31,042	27.99	79,861	
केन्द्रीय	56,055	38,343	94,398	22,147	3,496	25,643	27.16	68,755	
								1,48,616	
<u>1975-76</u>									
स्थानीय	79,861	48,454	1,28,315	30,522	2,261	32,783	25.54	95,532	
केन्द्रीय	68,755	41,002	1,09,757	25,067	1,654	26,721	24.34	83,036	
								1,78,568	

(ये आंकड़े विभाग द्वारा दिए गए हैं)

107. 1 अप्रैल 1975 से 31 मार्च 1976 के दौरान धोखाधड़ी और अपवंचन (विक्रय कर) .

	व्यापारियों का पंजीकरण न किया जाना	पंजीकृत व्यापारियों द्वारा छिपाव/अपवंचन	जोड़
(क) 31 मार्च 1975 को बकाया मामलों की संख्या	3,694	6	3,700
(ख) 1975-76 के दौरान पकड़े गए मामलों की संख्या	2,247	26	2,273
जोड़	5,941	32	5,973
(ग) ऐसे मामलों की संख्या जिसमें कर निर्धारण पूरे किए गए :—			
(i) 1 अप्रैल 1975 से पहले पकड़े गए मामलों में से	1,602	3	1,605
(ii) 1 अप्रैल 1975 से 31 मार्च 1976 के दौरान पकड़े गए मामलों में से	569	6	575
जोड़	2,171	9	2,180
(घ) उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित मामलों में पकड़ी गई/छिपाई गई विक्री की राशि और की गई कर मांगों की राशि :—			
छिपाई गई विक्री	5,65,98,745	16,79,192	5,82,77,937
की गई कर मांगें	57,20,573	1,02,479	98,23,052
(ङ) 31 मार्च 1976 को बकाया मामलों की संख्या	3,770	23	3,793
(च) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें :—			
(i) मुकदमें चलाने के स्थान पर अर्यदण्ड लगाए गए	466	--	466
(ii) पंजीकरण न कराने के कारण मुकदमें चलाए गए	--	--	--
(iii) अपराधों का प्रणयन किया गया	9	--	9

(ये आंकड़े विभाग द्वारा दिए गए हैं)

108. 1 अप्रैल 1975 से 31 मार्च 1976 के दौरान तलाशियां और जन्तियां (विक्रय कर)

(क) 31 मार्च 1975 को अनिर्णीत मामलों की संख्या	702
(ख) 1975-76 के दौरान पकड़े गए मामलों की संख्या	961
जोड़	<u>1,663</u>

(ग) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण पूरे किए गए :

(i) 1 अप्रैल 1975 से पहले पकड़े गए मामलों में से	338
(ii) 1975-76 के दौरान पकड़े गए मामलों में से	185
जोड़	<u>523</u>

(घ) 31 मार्च 1976 को बकाया मामलों की संख्या	1,140
(ङ) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें मुकदमें चलाये गए या अपराधों का प्रशमन किया गया	67

(च) (i) पकड़ी गई, छिपाई गई विक्री की राशि	8,74,66,857
(ii) उपर्युक्त (ग) पर उल्लिखित मामलों में कर के लिए की गई मांग	46,27,717
(ये आंकड़े विभाग द्वारा दिए गए हैं)	

109. 31 मार्च 1976 को बकाया अपीलें

विक्रय कर के अन्तर्गत 31 मार्च 1976 को बकाया अपीलों, पुनरीक्षण के लिए आवेदनों और पुनरीक्षण याचिकाओं की स्थिति को निम्न सारणी में दर्शाया गया है :—

निम्न अधिकारियों के पास
पड़ी अपीलें, पुनरीक्षणार्थ
आवेदन और पुनरीक्षण
याचिकाएं

	सहायक आयुक्त	आयुक्त उप-आयुक्त
(क) 1975-76 के दौरान की गई अपीलों/ पुनरीक्षणार्थ आवेदनों/पुनरीक्षण याचिकाओं में से	3,365	68
(ख) पिछले वर्षों में की गई अपीलों/ पुनरीक्षण आवेदनों/पुनरीक्षण याचिकाओं में से	866	67
	4,231	135

बकाया अपीलों, पुनरीक्षण आवेदनों और पुनरीक्षण याचिकाओं के
वर्षवार ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :—

निम्न अधिकारियों के पास
पड़ी अपीलें, पुनरीक्षण
आवेदन और पुनरीक्षण
याचिकाएं

	सहायक आयुक्त	आयुक्त उप-आयुक्त
1968-69	—	1
1969-70	—	2
1970-71	4	10
1971-72	7	—
1972-73	30	—
1973-74	137	—
1974-75	688	54
1975-76	3,365	68
	4,231	135

जिन मामलों में कर की मांग कम कर दी गई थी अथवा जिन्हें वर्ष 1975-76 के दौरान फिर से निर्धारण के लिए वापस किया गया था, उनकी संख्या नीचे दर्शायी गई है :—

	निपटाए गए मामलों की कुल संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें कर की मांगें कम कर दी गई थीं	वापस किए गए मामलों की संख्या	रद्द किए गए मामलों की कुल संख्या
(क) सहायक आयुक्तों द्वारा	4,072	1,314	1,241	1,517
(ख) आयुक्तों/ उप-आयुक्तों द्वारा	297	59	45	193
	<u>4,369</u>	<u>1,373</u>	<u>1,286</u>	<u>1,710</u>

(ये आंकड़े विभाग द्वारा दिए गए हैं)

110. 31 मार्च 1976 की विक्रय कर विभाग के पास बकाया वसूली प्रमाण-पत्र

31 मार्च 1976 को विक्रय कर विभाग के पास बकाया वसूली प्रमाण-पत्रों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है :—

	मामलों की संख्या	राशि (लाख रु० में)
(क) 1 अप्रैल 1975 को बकाया मामलों की संख्या	1,888	118.36
(ख) 1 अप्रैल 1975 से 31 मार्च 1976 की अवधि के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या	8,337	490.58
(ग) 1975-76 के दौरान कर वसूली के बाद वापस किए गए मामलों की संख्या	5,728	122.46
(घ) कुछ कारणों से कर की वसूली किए बिना वापस किए गए मामलों की संख्या	2,987	364.91
(ङ) 31 मार्च 1976 को बकाया मामलों की कुल संख्या	1,510	121.57

31 मार्च 1976 की वसूली के लिए बकाया 1,510 मामलों में से 195 मामलों में प्रत्येक मामले में 10,000 रु० या उससे अधिक की राशि अन्तर्गस्त थी। इन मामलों का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1971-72	1
1972-73	15
1973-74	28
1974-75	53
1975-76	98
	<hr/>
जोड़	195
	<hr/>

(ये आंकड़े विभाग द्वारा दिए गए हैं)

अनुभाग 'ख'

विक्रय कर

111. विषय प्रवेश

बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 को बढ़ाकर 1 नवम्बर 1951 से संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में विक्रय कर को लागू किया गया था। विक्रय कर की वसूली को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि कानून की त्रुटियों को दूर किया जाय और कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी प्रशासकीय तंत्र को कसा जाय। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 अगस्त 1975 से संसद द्वारा बनाया गया और उसे 21 अक्टूबर 1975 से लागू किया गया।

112. नमूना लेखापाल परीक्षा के सामान्य परिणाम

बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को लागू किया गया है और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत किए गए कर निर्धारणों की 1 अप्रैल 1975 से 31 मार्च 1976 की अवधि के दौरान की गई नमूना जांच से 435 मामलों में 94.49 लाख रु० के कर का अव-निर्धारण और 18 मामलों में 20,828 रु० के कर के अधिनिर्धारण का पता चला।

अव-निर्धारण को मोटे तौर पर निम्न शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है :—

	अवनिर्धारण	
	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
1. कर योग्य विक्री की राशि का गलत निर्धारण	31	30.10
2. छूट की अनियमित अनुमति	197	48.50
3. कर की सही दर का न लगाया जाना	51	3.14
4. केन्द्रीय विक्रय कर के अन्तर्गत गलत रियायत	101	9.07
5. अन्य कारण	55	3.68
जोड़	435	94.49

अव-निर्धारण के कुछ मामलों का उल्लेख पैरा 113 से 120 में किया गया है।

113. अनियमित छूट

दिल्ली विक्रय कर नियमावली, 1951 के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में किसी पंजीकृत व्यापारी द्वारा सरकारी कामकाज के लिए रक्षा मंत्रालय अथवा उसके किसी अधीनस्थ कार्यालय को की गई बिक्री पर विक्रय कर से छूट है ।

तथापि, यह देखा गया कि 1971-72 के दौरान 2,13,656 रु० की शराब की रक्षा सेवा अधिकारी संस्थान, नई दिल्ली जो कि रक्षा मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय नहीं है, को की गई बिक्री पर विभाग द्वारा रक्षा मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय मानकर विक्रय कर की अदायगी से छूट दे दी गई । इस अनियमित छूट के परिणामस्वरूप 19,229 रु० के कर का अवनिर्धारण हुआ ।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाए जाने पर (अगस्त 1976) विभाग ने निर्धारण का संशोधन करना मान लिया । आगे की कार्यवाही की प्रतीक्षा की जा रही है (जनवरी 1977) ।

मंत्रालय ने अवनिर्धारण स्वीकार कर लिया है (दिसम्बर 1976) ।

114. कर के गलत निर्धारण के कारण अवनिर्धारण

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि बंगाल (वित्त वक्रय कर) अधिनियम 1941 जो कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर भी लागू किया गया है के अंतर्गत एक व्यापारी द्वारा देय कर का निर्धारण करते समय, निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 1971-72 की अंतिम तिमाही के लिए 6,27,319 रु० की कर योग्य राशि पर 50,545 रु० की सही राशि के बजाय गलती से 32,185 रु० के कर का परिकलन किया जिसके परिणामस्वरूप 18,360 रु० के कर का अवनिर्धारण हुआ ।

इस संबंध में लेखापरीक्षा के ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने 18,360 रु० की अतिरिक्त मांग करते हुए कर निर्धारण में परिशोधन किया (सितम्बर 1976) ।

मंत्रालय ने अवनिर्धारण को स्वीकार करते हुए बताया (जनवरी 1977) कि व्यापारी ने नवम्बर 1976 में राशि जमा करा दी थी ।

115. कर योग्य राशि के गलत निर्धारण के कारण कर का अवनिर्धारण

एक पंजीकृत व्यापारी बिना कर दिए माल की खरीद कर सकता है, यदि उसके द्वारा इनकी पुनः बिक्री की जानी है और/या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में बिक्री के लिए माल के विनिर्माण में कच्चे माल के रूप में उसके द्वारा इसका प्रयोग किया जाना है। तथापि यदि ऐसे माल उन प्रयोजनों से इतर प्रयोजनों के लिए खरीदे गए और उन प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाए जाते हैं तो माल के खरीद मूल्य को खरीद करने वाले व्यापारी की कर योग्य बिक्री की राशि में जोड़ कर, कर का निर्धारण किया जाता है।

(क) ऐसा देखने में आया कि विभाग ने वर्ष 1971-72 और 1972-73 के लिए दो व्यापारियों का निर्धारण करते हुए दिल्ली के बाहर उनकी फैक्ट्रियों को कच्चे माल का अंतरण किए जाने के कारण उनकी सकल बिक्री की राशि से क्रमशः 13,34,861 रु० और 8,20,951 रु० की कटौती अनुमत की। इसके परिणामस्वरूप कुल 82,989 रु० के कर का अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इस और ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने निर्धारण में परिशोधन किया और 82,989 रु० के अतिरिक्त कर की मांग की (अगस्त 1976 और अक्टूबर 1976)। वसूली के व्यौरे प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1977)।

मंत्रालय ने अवनिर्धारण स्वीकार कर लिया है (नवम्बर 1976 और दिसम्बर 1976)।

(ख) एक व्यापारी ने एक अन्य पंजीकृत व्यापारी को वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान 5,34,528 रु० के मूल्य के माल की बिक्री पर खरीददार व्यापारी के पंजीकरण प्रमाण पत्र के रद्द किए जाने के बाद भी कर से छूट दे दी। इस अनियमित छूट के परिणामस्वरूप 26,726 रु० के कर का अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इस और ध्यान दिलाए जाने पर विभाग निर्धारण का संशोधन करने के लिए सहमत हो गया (नवम्बर 1976)।

मंत्रालय ने अवनिर्धारण को स्वीकार करते हुए बताया (जनवरी 1977) कि निर्धारण का अपने आप संशोधन किया जा रहा था।

116. कर योग्य बिक्री का गलत निर्धारण

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम 1941 जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर भी लागू किया गया है, के अंतर्गत एक व्यापारी का निर्धारण करते हुए निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 1971-72 के लिए 4,32,647 रु० की बजाय गलती से 1,24,847 रु० व्यापारी की कर योग्य बिक्री की राशि की संगणना (शाखाओं को 3,42,000 रु० मूल्य के माल के अंतरण को 34,200 रु० लिया गया) की। इसके परिणामस्वरूप 15,476 रु० के कर का अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने निर्धारण में परिशोधन किया और 15,476 रु० के अतिरिक्त कर की मांग की (नवम्बर 1976)। वसूली के संबंध में रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1977)।

मंत्रालय ने अवनिर्धारण स्वीकार कर लिया (फरवरी 1977)

117. कर से अनियमित छूट

बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम 1941 जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर भी लागू है, के अंतर्गत जनता को विद्युत ऊर्जा प्रदाय उपक्रम को ऐसी ऊर्जा के उत्पन्न करने या वितरण में लाने वाले माल की बिक्री पर विक्रय कर से छूट है।

ऐसा देखने में आया कि जनता को विद्युत ऊर्जा पूर्ति करने वाले उपक्रम को 1,59,779 रु० के मूल्य के तीव्र गति डीजल तेल और मोटर स्पिरिट की बिक्री पर 1970-71 के दौरान एक व्यापारी को विक्रय कर से छूट प्रदान की गई। चूंकि माल का उपयोग प्रत्यक्षतः विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने और उसके वितरण में नहीं किया गया था, इसलिए बिक्री की राशि पर छूट नहीं दी गई और परिणामस्वरूप 11,185 रु० तक कर का अवनिर्धारण हुआ।

मंत्रालय ने अवनिर्धारण को स्वीकार करते हुए बताया (अक्टूबर 1976) कि वर्ष 1970-71 के लिए निर्धारण संशोधित कर दिया गया था और 11,185 रु० की अतिरिक्त मांग की गई ।

118. खरीद को हिसाब में न लिए जाने के कारण कर का अवनिर्धारण

एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा एक अन्य पंजीकृत व्यापारी को की गई विक्री पर कर नहीं लगाया जाता है बशर्ते कि खरीददार व्यापारी इस संबंध में विहित घोषणा पत्र दे कि इस प्रकार खरीदा हुआ माल संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में पुनः विक्री के लिए है और ऐसा माल उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है । माल उस अवस्था में कर लगाए जाने योग्य बन जाता है जब उसको अंतिम रूप से उपभोग के लिए बेचा जाता है ।

एक पंजीकृत व्यापारी ने 1972-73 के दौरान 2,58,644 रु० के माल को एक अन्य पंजीकृत व्यापारी से खरीदा जिसको उसकी सकल विक्री की राशि से इन विक्रियों की कटौतियां अनुमत की गई । तथापि, खरीददार व्यापारी ने इस प्रकार खरीदे माल को बिना हिसाब में लिए अपनी विवरणी को निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत किया । इसके परिणामस्वरूप 26,382 रु० के कर का अवनिर्धारण हुआ ।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जुलाई 1976) विभाग ने निर्धारण का संशोधन किया और 26,382 रु० के अतिरिक्त कर की मांग की (नवम्बर 1976) वसूली के व्योरे प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1977) ।

मंत्रालय ने अवनिर्धारण स्वीकार कर लिया (जनवरी 1977) ।

119. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत गलत छूट

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जब अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान माल एक राज्य से दूसरे राज्य में लाया ले जाया जाता है या एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसे माल के लाने ले जाने के दौरान उसके अधिकार प्रलेखों के अंतरण द्वारा विक्री की जाती है तब किसी पंजीकृत व्यापारी को ऐसे माल के लाने ले जाने के दौरान वाद में अधिकार प्रलेख के अंतरण द्वारा ऐसे माल की, की गई विक्री पर विक्रय कर नहीं लगता है ।

तथापि, यह देखने में आया कि एक व्यापारी द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों, जो कि 1968-69 से 1971-72 की अवधि के दौरान पंजीकृत व्यापारी नहीं थे, को 6,92,414 रु० की बाद में की गई माल की बिक्री पर विक्रय कर से छूट दी गई थी। क्योंकि यह बिक्री छूट के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए इससे 20,672 रु० के कर का अब निर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने निर्धारण आदेशों को प्रारम्भ से संशोधित कर दिया और 20,672 रु० के अतिरिक्त कर की मांग की (अप्रैल 1976)।

मंत्रालय ने अबनिर्धारण स्वीकार कर लिया (जुलाई 1976)।

120. केन्द्रीय विक्रय कर का अबनिर्धारण

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विज्ञान की शिक्षा में प्रयोग के लिए शैक्षिक संस्थाओं को उपयोग के लिए अस्पतालों को या साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा शैक्षिक उद्देश्यों की उन्नति के लिए अनुसंधान कार्य करने वाली न कि लाभ के उद्देश्यों से चलाई जाने वाली प्रयोगशालाओं/संस्थाओं को अंतर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान वैज्ञानिक उपकरणों और उपकरणों की बिक्री पर 1 अप्रैल, 1963 से 10 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है और सरकारी विभागों को अंतर्राज्यीय बिक्री पर विहित फार्मों में घोषणा किए जाने पर 3 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है।

तथापि यह देखने में आया कि अंतर्राज्यीय बिक्री के दौरान एक व्यापारी द्वारा विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं और सरकारी विभागों को 8,62,408 रु० के मूल्य के वैज्ञानिक माल की की गई बिक्री पर वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान 1 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया। लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (दिसम्बर 1975) विभाग ने निर्धारण का आरम्भ से संशोधन कर दिया और 34,289 रु० के अतिरिक्त कर की मांग की (जनवरी 1976) और राशि वसूल कर ली (फरवरी 1977)। मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया (अप्रैल 1976)।

अनुभाग 'ग'

मनोरंजन कर

121. विशेष मानार्थ टिकटों पर मनोरंजन कर का कम लगाया जाना

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखने में आया कि दिल्ली के तीन सिनेमा घरों में कुछ सीटों की संख्या प्रत्येक थियेटर में एक अलग स्थान पर केवल उनके मालिकों अथवा उनके अतिथियों के इस्तेमाल के लिए आरक्षित की गई थी जिसमें प्रवेश पाने का अधिकार इन सिनेमाघरों के मालिकों द्वारा जारी किए गए विशेष मानार्थ टिकटों के माध्यम से नियमित किया गया था। जबकि दो सिनेमा घर उच्चतम टैरिफ दर पर मालिकों द्वारा जारी किए गए विशेष मानार्थ टिकटों पर मनोरंजन कर की अदायगी कर रहे थे, एक सिनेमाघर ने न्यूनतम टैरिफ दर पर कर की अदायगी की। एक सिनेमाघर के संबंध में समान तथ्यों पर इस अंतर का कारण स्पष्ट नहीं था। न्यूनतम टैरिफ दर पर (उच्चतम टैरिफ दर के स्थान पर) कर की अदायगी के परिणाम-स्वरूप 20 जून, 1963 से 26 जून, 1975 की अवधि के दौरान मालिकों द्वारा जारी किए गए 46,505 विशेष मानार्थ टिकटों पर 55,806 रु० तक मनोरंजन कर की कम अदायगी हुई।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1976) कि मामले की दिल्ली प्रशासन द्वारा निम्नलिखित दो बातों पर विस्तार से जांच की गई :-

- (i) क्या मालिकों द्वारा कम लगाए गए मनोरंजन कर को पूरा किया जा सकता है।
- (ii) मालिकों के बाक्सों की दर को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना।

उपरोक्त (i) के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि प्रशासन ने बताया है कि "मालिकों से मनोरंजन कर की वसूली करना उचित नहीं होगा क्योंकि उनके द्वारा 0.60 पैसे मनोरंजन कर की दर से विशेष मानार्थ टिकटों के लिए पहले ही स्वीकृति दी गई थी और इसलिए उनकी ओर कोई बकाया राशि नहीं है"।

जहां तक उपरोक्त (ii) का संबंध है मालिकों के बाक्सों की दरों को उचित रूप से बढ़ाने का प्रश्न दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन बताया जाता है।

अनुभाग 'घ'

स्टाम्प और पंजीकरण फीस

122. पट्टी विलेखों पर स्टाम्प शुल्क में कमी

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत यदि पट्टा किसी जुर्माने अथवा प्रीमियम अथवा अग्रिम अदा की गई धन राशि के लिए दिया जाता है और जहां लगान आरक्षित कर दिया जाता है अथवा आरक्षित नहीं किया जाता है तो पट्टे पर शुल्क के अतिरिक्त जुर्माने अथवा प्रीमियम अथवा अग्रिम अदा की गई धन राशि के बराबर प्रतिफल के लिए 'सवारी' के मामले की भांति ही विहित दरों पर स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है।

लेखापरीक्षा में यह देखने में आया कि चार उप-पंजीयन कार्यालयों में पट्टेधारियों ने पट्टे देने वालों के पास पट्टे की समाप्ति पर उनको वापस होने वाली जमानत जमा के रूप में कुछ राशि जमा कर दी थी। इन जमा राशियों पर कोई स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया गया था। 1972-73 और 1973-74 के दौरान पंजीकृत 45 मामलों में कम लगाए गए स्टाम्प शुल्क की राशि 9,429 रु० परिकलित हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने बताया (अगस्त 1975) कि दो मामलों में ऐसी राशि की वसूली के लिए उचित कार्यवाही की जा चुकी थी (अगस्त 1976)। अन्य मामलों में की गई कार्यवाही के ब्यौरे प्रतीक्षित हैं (फरवरी 1977)।

श्री. गौरी शंकर

(वी० गौरी शंकर)

निदेशक, प्राप्ति लेखापरीक्षा

नई दिल्ली,

दिनांक 21-5-77

प्रतिहस्ताक्षरित

अर्धेन्दु बक्सी

नई दिल्ली,

दिनांक 21-5-77

(अर्धेन्दु बक्सी)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

